लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Print 18-8-92
Fumigated On 15-2-84
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12 बुधवार 29 नवम्बर, 1972/8 अग्रहायण, 1894 (शक)

No, 12 Wednesday, November 29, 1972/Agrahayana, 8 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
223.	फिल्म निर्माण में फिल्म वित्त निगम द्वारा सहायता देना	F.F.C. help in Film Production	—1
228.	पिछली योजनाओं की असफलताओं को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में प्रस्तावित नई व्यवस्थायें	Innovations proposed to be introduced in Fifth Plan keeping in view the failure of the previous Plans	—3
230.	गोआ में स्वतंत्रता सेनानिओं की गिरफ्तारी	Arrest of Freedom Fighters in Goa	—6
232.	लघु उद्योगों को प्रोत्साहन	Incentives to small Industries	—7
236.	पण्डित जवाहरलाल नेहरू की विरासत का सम्मान करने के लिये कार्यवाही	Steps to honour the heritage of Pandit Jawaharlal Nehru	—10
237.	साधारण डाक द्वारा भेजे गये तारों के तार-शुल्क की वापिसी करना	Refund of telegraph changes in respect of Telegrams sent by Post	—13
238.	मध्यप्रदेश मे हाल ही मैं आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं से हथियारों तथा गोलाबारूद की बरामदगी	Recovery of Arms and Ammunition from dacoits surrendered recently in Madhya Pradesh	—15

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
221.	दिल्ली में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये यूनेस्को से सहायता	UNESCO Aid to set up a T.V. Training Institute in Delhi	—16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
222.	सुचारू ढंगसे चल रहे औद्योगिक एककों को अपने लाभ की राशि को उद्योग में ही लगाने के लिये प्रोत्साहन	Incentives to Efficiently run Industrial Units to Encaurage them to Invest their profits	—16
224.	केरल में पिछड़े हुए जिलों के लिये राज सहायता	Subsidy for Backward Districts in Kerala	—17
225.	कम से कम समय में पूरा करने के लिये प्रत्येक जिले में विकास परियोजनाओ का चयन	Selection of Development Projects in each District for Completion in Shortest Period	—17
226.	पालघाट (केरल) में प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट प्रोजेक्ट	Precision Instruments Project at Palghat (Kerala)	—17
227.	सी.आई.ए. की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम	Programme to educate the masses regarding anti-Indian activitles of CIA	—18
229.	बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone facilities in rural Bihar	—18
231.	उद्योगों के विस्तार के लिए समय	Time for expansion of Industries	—18
233.	केरल में औद्योगिक परीक्षण और अनुसन्धान प्रयोगशाला का पुनर्गठन	Reorganisation of Industrial Testing and Research Laboratory in Kerala	—19
234.	राज्य सरकारों द्वारा पिछड़ें जिलों के विकास के लिए रियायतों का उपयोग न किया जाना	Failure to utilise Concessions for Development of Backward District by State Goverments	—19
235.	राज्यों द्वारा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को उचित प्राथमिकता न दिया जाना	Due priority not being given by States to Village and Small Scale Industries	—20
239.	पिछड़े जिलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Aid to U.P. for Development of Backward Districts	—21
240.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर दण्डित अधिकारी	Officials punished on the basis of enquiries by CBI	—21

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.			
2201.	सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government Employees	—22
2202.	गृह कल्याण केन्द्र श्रमिक संघ की मांगें	Demands made by the Grih Kalyan Kendra Workers Union	—22
2203.	केरल में बेरोजगार इंजीनियों को सहायता	Assistance to unemployed Engineers in Kerala	—23
2204.	पांचवीं योजना में राजस्थान के लिए उद्योगों का नियतन	Allocation of Industries in Rajasthan during Fifth Plan	—23

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2205.	चौथी पचवर्षीय योजना में राजस्थान उद्योगों की स्थापना के लिए निधि	Funds for setting up of Industries in Rajasthan during Fourth Plan	—24
2206.	नगर और ग्राम निवेश अध्यादेश/विधेयक, 1972	Urban and Rural Investment Ordinance Bill, 1972	—25
2207.	विश्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों की सहायता	World Bank Aid for Assistance to S.S.I.	—26
2208.	तांबे के तार की चोरी	Pilfrage of Copper Wire	—26
2209.	फिरोजाबाद और बनारस मे हुए दंगों के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोग नियुक्त किया जाना	Appointment of Commission by Tamil Nadu Government on Riots in Ferozabad and Banaras	—27
2211.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजपत्रित अधिकारियों, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों, तथा निगमों के अध्यक्षों के विरुद्ध जांच	Inquiries by C.B.I. against Gazetted Officers, Ex-Chief Ministers, Ministers in States and Chhirmen of Corporations	—27
2212.	टेलीफोन स्विचगिवर फैक्ट्री, केरल	Telephone Switch Gear Factory Kerala	—28
2214.	विभिन्न प्रयोगशालाओं में किए गए उद्योग तथा व्यापार संबंधी अनुसन्धानों का उपयोग	Utilisation of Research made in various Laboratories in the Fields of Industry and Trade	—28
2216.	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश	Investment in Public and Private Sector	—29
2217.	विदेशों में रोजगार देने के लिए ओवरसीज बुकिंग सैंटर, द्वारा रजिस्ट्रेशन, फीस एकत्र करना	Collection of Registration Fee by Overseas Booking Centre for giving Jobs abroad	—30
2218.	राजस्थान के लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Small and Medium Industries in Rajasthan	—31
2219.	पांचवी पंचवर्षीययोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक संगठन में समायोजन	Adjustments in Administrative Organisation for Implementation of Fifth Plan	—31
2220.	ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश पर रेल डाक सेवा यातायात	R.M.S. Traffic at Jwalapur Station U.P.	—31
2221.	रोजगार के लिए आयोजना	Planning for Employment	—31
2222.	हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल द्वारा कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर विशेष अनुदान देना	Special Grants to Employees in place of Bonus by Heavy Electricals, Bhopal	—32
2223.	श्री जे.आर.डी. टाटा द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister by Shri J.R.D. Tata	—32

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2224.	पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन	Report on Power Supply situation in West Bengal	—32
2225.	राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को उद्योग स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent for setting up of Industries to Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation	—33
2226.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बंधी अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को नजरबन्द करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों को अनुदेश	Central Government's Instructions to State Governments regarding Detention of persons under M.I.S.A,	—33
2227.	रुसी सहयोग से उत्तर प्रदेश में ट्रक निर्माण करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Manufacture of Trucks with Russian Collaboration in U.P.	—34
2228.	लक्कादीव प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को उक्त द्वीप समूह छोड़ने पर मजबूर किया जाना	Perons made to leave the Islands by Laccadive Administration	—35
2229.	बिहार के दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन	Advertisement to Bihar Dailies	—35
2230.	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 'पृष्ठ योजना'	'Page Plan' for Rural Development	—36
2231.	रोजगार और बेरोजगारी का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण	N.S.S. survey of employment and unemployment	—36
2232.	तूफान और बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा को सहायता	Aid to Orissa to meet scarcity due to Cylone and flood	—37
2233.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लग्जमबर्ग में संयंत्र की स्थापना करना	Setting up of a plant by H.M.T. at Luxembourg	—38
2234.	इण्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड द्वारा उड़ीसा तट में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of mineral deposits in Orissa coast by Indian Rare Earth Ltd.	—38
2235.	केन्द्र से राज्यों को अनुदान	Grants from Centre to States	—38
2236.	विदेशी मिशनों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए खरीदे गए स्थान	Advertisement space in Indian Newspapers purchased by Foreign Mission	—39
2237.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को हुई हानि	Losses suffered by Heavy Electricals, Bhopal	—39
2238.	राज्यों को सहायता देने का मापदण्ड	Criteria for grant of assistance to States	—40

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2239.	केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियो के कदाचारों की जांच	Investigations by C.B.I. into the malpractices by Industrialists and Businessmen	—40
2240.	सौन्दर्य प्रसाधनों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों में पूंजी निवेश	Investment of Capital in Companies Manufacturing Cosmetics	—40
2241.	डाकू ग्रस्त वातावरण को डाकुओं से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh to eliminate Dacoits infested atmosphere	—41
2242.	सब्जी मंडी, दिल्ली में आग लगना	Fire in Subji Mandi, Delhi	—41
2243.	मैसूर में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up Small Scale Industries in Mysore	—41
2244.	मैसूर में लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries in Mysore	—43
2245.	गोआ, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में मदिरा उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करना	Setting up of Distilleries in Goa, Kerals and Andhra Pradesh	—45
2246.	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन अहमदाबाद को अनुदान और सहायता	Grants and Aids to National Institute of Design, Ahemdabad	—45
2247.	भूतपूर्व त्रिपुरा के महाराजा का महल	Palace of Former Tripura Maharaja	—46
2248.	राजघाट के समीप शहीद मीनार की स्थापना	Installation of Shaheed Minar nea- Rajghat	—46
2249.	मध्य प्रदेश में चलचित्रों और दृश्य तथा श्रव्य उपकरणों की कमी	Shortage of Material for movies and Audio-Visual Aid to M.P.	—46
2250.	त्रिपुरा सरकार द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का ब्योरा देने वाले पर्चे प्रकाशित किया जाना	Publishing of Pamphlets Detailing the Safeguards for Linguistic Minority by Tripura Government	—46
2251.	शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी की समस्या हल करने सम्बन्धी योजनायें	Schemes to Solve Un-Employment of Educated Unemployed	—47
2252.	समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार देने के लिये आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजना	Centrally Sponsored Scheme for Employment of Poor and Backward Sections of Society in Andhra Pradesh	—47
2253.	बिहार में जमाखोरों और मुनाफाखोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Hoarders and Profiteers in Bihar	—48
2254.	बिहार में ट्रैक्टर बनाने की योजना	Scheme for Manufacture of Tractore in Bihar	—48
2255.	संविधान की आठवीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Ladakhi Language in the Eighth Schedule to the Consitution	—48

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2256.	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में बिजली उत्पादन एककों में बिजली उत्पादन	Production of power Manufacturing Units in HEL and BHEL	—48
2257.	पुनः नौकरी पर लगाये भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निश्चित करना तथा उन्हें युद्ध सेवा वेतन वृद्धि देना	Fixation of Pay and Grant of War Service Increments to re-Employed Ex-Servicemen	—49
2258.	पम्प सैटों की मिर्माण क्षमता को बढ़ाना	Expansion of Manufacturing Capacity of Pump Sets	—50
2259.	भारतीय और रूसी योजना विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श	Discussions between Indian and Soviet Planners	—50
2260.	होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा का उपयोग	Utilization of Services of Home Guards and Civil Defence Employees	—50
2261.	केरल का बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक, 1972	The Bonded Labour System (Abolition) Bill, 1972 of Kerala	—51
2262.	आसनसोल में टायरों का घोटाला	Racket in Tyres in Asansol	—51
2263.	त्रिपुरा में दुर्गम क्षेत्र भत्ता	Difficult Area Allowance in Tripura	—22
2264.	रोजगार कार्यक्रमों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Employment Programmes	—52
2265.	बिहार के चम्पारन जिले में ग्रामीण उद्योग	Rural Industries in Champaran District of Bihar	—52
2266.	बिहार में लघु उद्योगों की प्रगति	Progress of Small Scale Industries in Bihar	—53
2267.	संयुक्त क्षेत्र के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to large Industrial House for Joint Sector	—53
2268.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की नरैना कालोनी की डाक सम्बन्धी आवश्यकतायें	Postal requirements of D.D,A Colony, Naraina	—53
2269.	1946 में रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देना	Status of Participants of Royal Indian Navy Uprising of 1946 as Freedom Fighters	—54
2270.	चंडीगढ़ में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना	Imposition of Rent Control Act in Chandigarh	—54
2271.	विभिन्न भवनों पर 'ब्रिटिश कोट आफ आर्म्स' का प्रदर्शन	'British coat of arms on various buildings	—55
2272.	अवैध वायदा व्यापार के लिये कम्पनियों तथा व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना	Prosecution of companies and individuals for illegal forward trading	—55

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2273.	भारतीय सीमेंट निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	C.B.I. against Managing Director of Cement Corporation of India	—56
2274.	औद्योगिक, कृषि, बिजली, सिंचाई तथा अन्य क्षेत्रों का विस्तार	Expansion in Industrial Agricultural, Power, Irrigation and other sectors.	—56
2275.	शिमला के मुख्य डाकघर में आग लगना	Fire in Simla main post Office	—57
2276.	कानपुर कृत्रिम अंग निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Artificial Limbs manufacturing corporation at Kanpur	—57
2277.	बिहार में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Bihar	—58
2278.	महत्वपूर्ण उद्योगों की क्षमता को बढ़ाना	Expansion of capacity of key industries	—58
2279.	कागज संयंत्र मशीनों के आयात के लिये ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K. for Importing Paper Plan Machinery	—59
2 80	पश्चिम बंगाल के चलचित्र उद्योग में संकट	Crisis in West Bengal Film Industry	—59
2281.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्ती, नरेना में पुलिस स्टेशन	Police Station In DDA Colony, Naraina	—60
2282.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत का सम्मान किया जाना	Honoring the heritage of Netaji Subhas Chandra Bose	—62
2283.	आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pension of Freedom Fighters of I.N.A.	—61
2285.	दिल्ली में दंगों के दौरान बसों को जलाने तथा क्षतिग्रस्त करने ओर दुग्ध केन्द्रों को लूटने के कारण हानि	Loss due to burning and damaging of Buses, looting of Milk Depots during Disturbances in Delhi	—62
2286.	दिल्ली में हुए दंगों की संख्या	Number of riots in Delhi	—62
2287.	पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े औद्योगिक कारखानों को पुनः चालू करना	Reopening of closed Industrial units in West Bengal	—62
2288.	इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर में अंश	I.T.T.C. share in I.T.I. Banglore	—63
2289.	अनेक नगरों में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था	Sound and Light Programme in various cities	—63
2290.	भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के कर्मचारी	Employees of Former Rulers of Indian States	—64
2291.	वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना	Annual Plan for 1973-74	—64

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2292.	लाईसेंसों और आशय पत्रों के लिये मध्य प्रदेश से मिले आवेदन पत्रों का अनिर्णीत पड़ा होना	Pending Applications from Madhya Pradesh for Licences and Letters of Intent	—64
2293.	विदेशी तम्बाकू और सिगरेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजा जाना	Profits etc. Repartriated by Foreign Tobacco and Cigarettee Industries	—65
2294.	हजारीबाग में शीशे की बोतलें बनाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licence for manufacture of Glass Bottles in Hazaribagh	—66
2295.	आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन द्वारा विश्वमित्र (पटना) हिन्दी दैनिक को मान्यता समाप्त करना	De-recognition of Hindi Daily Vishwa-Mitra (Patna) by Audit Bureau of Circulation	—67
2296.	बिहार के डाक-तार कर्मचारियों को उर्वरक परियोजना भत्ता देना	Fertilizer Project Allowance to Bihar P&T Staff	—67
2297.	भारत ब्रिटेन तकनीकी दल	Indo-British Technical Group	—68
2298.	संकटग्रस्त मिलों का दायित्व सरकार द्वारा लिया जाना	Liabilities of Sick Mills taken over by Government	—68
2299.	रेडियो निर्माण के लिये महाराष्ट्र को लाइसेंस देना	Issue of Licence to Maharashtra for manufacture of Radios	—68
2300.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सस्ती घड़ियों का उत्पादन	Production of Cheap Watches by H.M.T.	—70
2301.	सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में सतर्कता विंग	Vigilance wings in Government Departments and Public Under takings	—70
2302.	केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों, जो कि अस्वस्थ होने के कारण अपना कार्य करने में असमर्थ है, को समय पूर्व सेवामुक्ति का लाभ	Benefits to persons who are in capable of performing their duties on health ground in Central Secretariat for early retirement	—70
2303.	पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम	Industrial Eastates Programme in Backward Regions	—71
2304.	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले व्यक्ति	People living below poverty line in States and Union Territories	—72
2305.	प्रशासनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति	Employment of Ex-Military Personnel in the Administrative Service	—73
2306.	आधारभूत प्रशासनिक सुधारो के सुझाव हेतु मंत्रालय समिति	Ministerial Committee for suggesting Basic Administrative Reforms	—73
2307.	प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं का चयन	Selection of Projects in each State	—74

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2308.	पराजित संसद सदस्यों तथा मंत्रियों को सरकारी क्षेत्र के निगमों के अध्यक्ष नियुक्त करना	Defeated Members of Parliament and Ministers appointed as Chairmen of Public Sector Corporations	—74
2309.	आंध्र प्रदेश में श्री हरि कोटा का उपग्रह छोड़ने वाले केन्द्र के रूप में विकास	Development of Sri Harikota in Andhra Pradesh as a Satellite Launching Station	—74
2310.	केरल में कान्वेन्ट्स के कार्यकरण की जांच के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation for enquiry regarding the working of the convents in Kerala	—75
2311.	अधिक राशि के टेलीफोन बिल बनाना	Excessive Telephone Billing	—75
2312,	पांचवीं योजना के दौरान राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर ऋणों के रूप में राज्यों को सहायता	Assistance to States in the form of loans during Fifth Plan of the basis of their performance	—76
2313.	औद्योगिक लाइसेंसों के मंजूर करने के लिये राजस्थान से प्राप्त अनिर्णीत पड़े प्रार्थना पत्र	Pending applications from Rajasthan for grant of Industiral licences	—76
2314.	सरकारी निर्णयों को शीघ्र कार्यन्विति की निगरानी के लिए मंत्रालयीय पैनल की स्थापना	Setting up of Ministerial Penal to Watch speedier impleme ntation of Government decision	—77
2315.	कार्य निष्पादन में सुधार करके चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान कमियों में सुधार	Cutting down of shortfalls by improving performance during the remaining period of Fourth Plan	—77
2316.	वर्ष 1973-74 के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना	Generation of Additional Job Opportunities during 1973 74	—78
2317.	टीटागढ स्थित ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी का अधिग्रहण	Take-over of Britannia Engineering Company, Titagarh	—79
2318.	पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त आशय पत्र	Unutilised Letters of Intent in West Bengal	—79
2319.	राजस्थान के लिये वर्ष 1973-74 के लिये वार्षिक योजना का प्रारूप	Draft Anual Plan for Rajasthan for 1973-74	—80
2320.	पंजाब टेलीफोन डायरेक्ट्री	Punjab Telephone Directory	—81
2321.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी योजना	Scheme for Educated Unemployed for setting up of Industries	—82
2322.	जादुगुदा यूरेनियम प्रयोगशाला से प्लेटी नियम की चोरी	Theft of Platinum from Jaduguda Unanium Laboratory	—83
2323.	उत्तर प्रदेश में डाक और तार घर	P&t Offices in Uttar Pradesh	—83

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2325	लाइसेन्स जारी करने के लिये गैर निवासियों तथा विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों पर लगाये गये प्रतिबंध	Restrictions on Non-Resident and Foreign controlled companies in issue of Licences	—83
2326.	अखबारी कागज की कमी	Shortage of Newsprint	—84
2327.	लघु उद्योगों के स्वामियों को विद्युत बोर्ड को न्यूनतम गारन्टी चार्ज देने से छूट देना	Exemption from payment of Minimum Guarantee Charge to Electricity Board by Small Scale Entrepreneurs	—85
2328.	पटना स्थित डाक तार औषद्यालय में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Unit in P&T Dispensary Patna	—85
2329.	देश में गिरफ्तार किये गये और नजरबंद किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak spies arrested and detained in the country	—86
2330.	विशाखापत्तनम में 'मनुस्मृति' के उद्धरणों का जलाया जाना	Burning of extract from 'Manu-Smriti' in Visakhapatnam	—86
2331.	उपग्रह व्यवस्था डिवीजन को थुम्बा से बंगलौर स्थानाँतरित करना	Shifting of Satellite Systems Division from Thumba to Bangalore	—86
2332.	आकाशवाणी से राजनीतिक प्रसारण	Political Broadcast over A.I.R.	—87
2333.	एच.एम.टी. की घड़ियों के लिए बिक्री केन्द्र	Sale Center for H M.T. Watches	—87
2334.	इण्यिन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर का नया एकक	New Unit of I.T.I. Bangalore	—88
2335.	मध्य प्रदेश का नगर तथा ग्राम निवेश अध्यादेश विधेयक 1972	Nagar tatha Gram Nivesh Adhyadesh/Vidhayak, 1972 of Madhya Pradesh	—88
2336.	नीमच (मध्य प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Cement Plant at Neemuch (M.P.)	—88
2337.	तमिलनाडु में सिगरेट के कारखाने की स्थापना	Setting up of Cigarette factory in Tamil Nadu	—89
2338.	भारत-श्रीलंका सूक्षम तरंग सम्पर्क	India-Ceylon Micro-Wave Link	—89
2339.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड द्वारा एसबसटस की सीमेंट की सीटों का निर्माण	Manufacture of Asbestos cement sheets by Mysore Cement Limited	—89 —89
2340.	पाकिस्तानी राष्ट्रियकों का भारत में निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरना	Overstay of Pak National in India	—90
2342.	काटेधान (हैदराबाद) में स्व-नियोजन उद्योग समूह	Self Employment Complex a Katedhan (Hydrabad)	—90
4343.	भारत में राकेटों द्वारा उपग्रहों का छोड़ा जाना	Launching of Satellites by Rocket In India	—90

ता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2344.	धौलपुर राजस्थान में पुलिस के एक उच्च अधिकारी के घर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना	Raid by C.B.I. on the House of a high Ranking Police officer at Dhaulpur, Rajasthan	—91
2345.	टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए उपग्रह छोड़ना	Launching of a Satellite for T.V. Programmes.	—91
2346.	बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को तार पत्रों का वितरण	Distribution of Tamra Patras to Freedom Fighters of Bihar State	—92
2347.	सीमेंट की मांग, उत्पादन तथा उसकी खपत	Demand Production and consu mption of Cement	—9
2348.	गोवा के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आवंटित निधि का तथाकथित दुरुपयोग	Alleged misuse of Funds alloted for Freedom Fighters of Goa	—93
2349.	बिहार के कटिहार शहर में एक घर पर छापा मार कर पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Nationals by Raid in a House in Katihar Town in Bihar	—93
2351.	वर्ष 1973-74 की योजना के लिए केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for 1973-74	—94
2352.	केरल के लिए चौथी योजना का विस्तृत किया जाना	Enlargement of Fourth Plan for Kerala	—94
2353.	राजभवनों पर होने वाले खर्च को कम करना	Reducing Expenditure on Raj Bhavan	—94
2354.	पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश को धन का आवंटन	Allotment of Funds to Madhya Pradesh during Fifth Plan	—95
2355.	पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वास्थ योजनाएं	Rural Health Schemes during Fifth Plan	—95
2356.	मैसूर राज्य के लिए स्वचालित टेली-फोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchanges for Mysore State	—95
2357.	जम्मू काश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में डाक व तार सुविधाएं	P & T Facilities in Ladakh. J&K State	—96
2358.	रेलवे माल डिब्बा उद्योग की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Railway Wagon Industry	—96
2359.	बटलर रेलवे वेगन्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी मुजफरपुर को हाथ में लेना	Take over of Butler Railway Wagons Manufacturing Co., Muzaffarpur	—96 —96
2360.	परमाणु शक्ति उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Generation of Nuclear Power	—96

अता.प्र. संख्या U.S.Q.No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2361.	खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए आइसोटोप का प्रयोग	Use of Isotopes for preservation of food stuffs and for other purpose	—97
2362.	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Plant in Kerala	—97
2363.	टेलीफोन उद्योग के लिए द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Telephone Industry	—97
2364.	दुग्ध पाउडर तथा 'कंडेंस्ड' दुग्ध संयंत्र की क्षमता	Capacity of Milk Powder and Condensed Milk Plant	—98
2365.	प्रथम श्रेणी की तकनीकी तथा गैर तकनीकी सेवायें	Technical and non-technical Class I Services	—99
2366.	मशीनी औजारों का निर्माण तथा निर्यात	Production and Export of Machine Tools	—99
2367.	योजना क्रियान्वित तथा मानिटरिंग सेल	Plan Implementation and Monitoring Cell	—99
2368.	पाँचवीं योजना में अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research during Fifth Plan	—99
2169.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया को हुई हानि	Loss incurred by Tannery and Foot Wear Corporation of India	—100
2370.	आकाशवाणी (विविध भारती कार्यक्रम) से निरोध का विज्ञापन	Advertisement of Nirodh over A. I. R. (Vividh Bharati Programme)	—100
2371.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कर्मचारी	BSF and CRP Personnel belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	—101
2372.	विदेशी फर्मों के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मशीनी औजारों के लिये डिजाइन तैयार किया जाना	Preparation of designes for machine tools by H.M.T. Collaboration with foreign Firms	—101
2373.	इलैक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिए सोवियत संघ से सहयोग	Soviet Assistance for development of Electronics Industry	—102
2374.	पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप का प्रतिवेदन	Report of the Study Group on economic development of Hill Areas	—102
2375.	बड़ौदा के लिए 3000 लाइन का क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज	3000-Line Cross Bar Telephone Exchange for Baroda	—103
2376.	टेलीविजन सैटों के मूल्य कम करने के लिये कार्यवाही	Steps to bring down Prices of TV Sets	—103
2377.	संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in Joint Sector	—104
2378.	दिल्ली के औद्योगिक एककों को ऋण	Loan to Industrial Units of Delhi	—104
2379.	राष्ट्रीय एकता	National Integration	—105

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2380.	उद्योगों की प्रौद्योगिकी में कमी	Technological Gaps in Industry	—105
2381.	तिब्बत के शरणार्थियों की जांच पड़ताल	Screening of Tibetan Refugees	—106
2382.	इन्टरनेशनल सोसायटी फार कृष्णा कॉशसनेस	International Society for Krishan consciousness	—106
2383.	पटना स्थित डाक तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का पुनः भुगतान	Reimbursement of Medical Bills of P & T Staff at Patna	—107
2384.	मध्य प्रदेश से उद्योगों की स्थापना के लिये एकाधिकार वाले गृहों से आवेदनपत्र	Applications from Monopoly Houses for Setting up of Industries in Madhya Pradesh	—107
2385.	विदेशों में आकाशवाणी संवाददाता	A.I.R. Correspondents Abroad	—108
2386.	गैर सरकारी निगमित क्षेत्र में पूंजी	Investment in Private Corporate Sector	—108
2387.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल से आवेदन पत्र	Application from Maharashtra and West Bengal for Industrial Licences	—108
2388.	सूखे के दौरान आरम्भ किये गये सूखा राहत कार्यों तथा आपतकालीन उत्पादन कार्यक्रमों को दीर्घावधि विकास कार्यक्रमों में बदलने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Converting DroughtRelief Works and Emergeney Production Programmes started during drought, into long term Development Programmes	—109
2389.	राज्य की राजधानी तथा महाराष्ट्र के अन्य जिला प्रधान कार्यालयों के बीच सीधी टेलीफोन लाइनें	Direct Telephone Lines between State Capital and District Head-Quarters of Maharashtra	—110
2390.	राजस्थान में लाइसेंसों और आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences and Letters of Intent in Rajasthan	—110
2391.	चौथी योजना के दौरान पूरी होने वाली राजस्थान में आरम्भ की गई परियोजनायें	Projects taken up for completion in Rajasthan during Fourth Plan	—111
2392.	दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Delhi Sweepers	—112
2393.	विभिन्न मंत्रालयों में रिक्त पड़े हुये पद	Posts lying vacant in varions Ministries	—112
2394.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की व्यवस्था का पुनर्गठन	Recasting of C.S.I.R. set up	—112

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2395.	मध्य प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रधान मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये ताम्र पत्र	Award of Tamra and Patras to Freedom fighters from Madhya Pradesh by Prime Minister and Chief Minister of Madhya Pradesh	—113
2396.	जिला योजनाओं के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त	Guldelines for District Plans	—113
2397.	पी. टी. आई. का अधिग्रहण	Government Take over of P.T.I.	—115
2398.	परमाणु शक्ति संयंत्रों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the Study Team on Atomic Power Plants	—115
2399.	देश में उपद्रवों के पीछे तत्व	Elements behind Distrubances in the Country	—116
2400.	सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता	Production capacity in Public and Private Sectors	—116
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—117
	भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Indian Railways (Amendment) Bill—Introduced	—118
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	—118
	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बालयोगेश्वर से पूछताछ	Examination of Balyogeshwar by Customs Authorities	—118
	सभा के बारे में	Re. Business of the House	—121
	भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Twelfth Report of Commissioner for Linguistic Minotories	—121
	श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	—121
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	—123
	श्री कार्तिक उरांव	Shrt Kartik Oraon	—123
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shymanandan Mishra	—124
	श्री बी. के. दास चौधरी	Shri B.K. Das Chowdhury	—125
	श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	—126
	श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	—127
	खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Food Situation	—128
	श्री फतह सिंह राव गायकवाड़	Shri Fatehsingh Rao Gaekwad	—128
	श्री पी. वैंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	—130
	श्री एस. पी. भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	—132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री पी. आर. शिनाय	Shri P. R. Shenoy	—132
डा. कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	—133
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Miruha	—134
श्री डी. के. पण्डा	Shri D. K. Panda	—135
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal	—136
श्री जी. विश्वानाथन	Shri G. Virhwanathan	—136
श्री शक्तिकुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	—137
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	—138
श्री पीलू मोदी	Shri Pillo Mody	—138
प्रो. शेर सिंह	Prof. Sher Singh	—139
श्री बी. बी. नायक	Shri B. V. Naik	—140
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwa	—140
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	—140
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	—141
श्रीं ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—142
श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	—142

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 29 नवम्बर, 1972/8 अग्रहायण, 1894 (शक)
Wednesday, 29 November, 1972/Agrahayana 8, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म निर्माण में फिल्म वित्त निगम द्वारा सहायता देना

***223. श्री सरोज मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम का गठन फिल्म-निर्माण के विकास में भाषा के आधार पर या राज्य के आधार पर सहायता करने के लिए किया गया था ;

(ख) उड़ीसा, असमिया, भोजपुरी, नेपाली, मणिपुरी और त्रिपुरी भाषाओं के विकास में इसने किस सीमा तक सहयोग दिया है ; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र के स्टूडियो जैसे कलकत्ता के भारत लक्ष्मी, ईस्ट इण्डियन नेशनल साउण्ड स्टूडियो, ईस्टर्न टाकीज को बन्द होने से रोकने के लिए निगम ने क्या प्रयत्न किये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

फिल्म वित्त निगम देश में बनने वाली फिल्मों के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अच्छे स्तर और श्रेणी की फिल्मों के निर्माणार्थ धन देने के लिए स्थापित किया गया है । निगम को ऋण के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उन पर वह समान रूप से विचार करता है चाहे वे किसी भी भाषा/राज्य के हों ।

2. नेपाली और त्रिपुरी भाषाओं की फिल्मों के लिए निगम को कोई ऋण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्य भाषाओं की फिल्मों की तुलना में, उड़िया, असमिया, भोजपुरी तथा मणिपुरी भाषाओं की फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण आवेदन पत्र कम संख्या में प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप, निगम अन्य भाषाओं की फिल्मों की तुलना में इन भाषाओं की फिल्मों के निर्माण को अपेक्षाकृत कम बढ़ावा दे सका है, यद्यपि वह भाषाओं का विचार किए बिना अच्छे स्तर की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक है।

3. निगम की मुख्य गतिविधि फिल्मों के निर्माण के लिए धन देना है। इस प्रकार इसको किसी भी प्रदेश में स्टूडियो को बन्द होने से रोकने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभानी होती।

श्री सरोज मुखर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि बंगाली फिल्म निर्माताओं से और मराठी निर्माताओं से ऋण के लिए कितने कितने आवेदन प्राप्त हुए और गत दो वर्षों में कितना ऋण उन्हें दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : सदस्य महोदय ने तो उड़िया फिल्मों के बारे में प्रश्न पूछा था, तथापि बंगाली फिल्मों के बारे में 47 आवेदन मिले जिनमें से 9 वापस ले लिए गए और 13 पर ऋण मन्जूर किए गए जबकि 23 को अस्वीकृत कर दिया गया। मराठी फिल्मों सम्बन्धी 32 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2 वापस ले लिए गए 18 अस्वीकृत हुए और 11 ऋण के लिए मन्जूर कर लिए गए।

श्री सरोज मुखर्जी : कितना ऋण स्वीकृत किया गया ?

श्री आई० के० गुजराल : बंगाली फिल्मों के लिए कुल 33 लाख रुपये से कुछ अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया जब कि मराठी फिल्मों के लिए 15 लाख रुपये से कुछ अधिक का ऋण मन्जूर किया गया।

श्री सरोज मुखर्जी : मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है, अर्थात् उन फिल्म स्टूडियों की सहायता के बारे में जो वित्तीय संकट के कारण बन्द हो गए हैं। यदि ये स्टूडियों ही बन्द हो गये तो फिल्में कैसे बनेंगी अतः फिल्म वित्त निगम को उनकी सहायता करनी चाहिए। पूर्वी क्षेत्र में स्थित स्टूडियो की सहायता क्यों नहीं की गई ?

श्री आई० के० गुजराल : यह निगम बेहतर और सस्ती फिल्में बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए ही बनाया गया है ताकि लोगों की रुचि में सुधार हो। कलकत्ता के स्टूडियों के बारे में हमें चिन्ता है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव की अध्यक्षता में हमने एक समिति बंगाल के इन स्टूडियों, प्रयोगशालाओं और सिनेमाओं की जांच के लिए बनाई थी जिसने हमें विस्तृत रिपोर्ट दी है। इसमें उल्लिखित सिफारिशों की जांच की जा रही है। आशा है हम शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए निर्णय करेंगे। मैं यह भी बता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार भी स्वतन्त्र रूप से उनकी कुछ सहायता करने पर विचार कर रही है।

Shri M. C. Daga : Is it the aim of Film Finance Corporation to extend financial assitance alone or also to see that their standard improves ?

Shri I. K. Gugral : Their aim is not to provide finances to each and every film but to see that quality film are produced.

श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै : गत वर्ष कितनी मलयालम फिल्मों के लिए निगम ने ऋण मन्जूर किये और इसके लिए सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ?

श्री आई० के० गुजराल : मलयालम के लिए 16 आवेदन प्राप्त हुए एक वापस ले लिया गया, 11 नामन्जूर हुए और 4 मन्जूर किए गए जिन पर लगभग 8 लाख रुपये दिये गये ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बय्या : कुछ समय पूर्व आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन फिल्म निर्माताओं को सहायता आदि देने की घोषणा की थी जो हैदराबाद आकर फिल्में बनायें । क्या फिल्म वित्त निगम से इस सम्बन्ध में भी कोई सहायता माँगी गई है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह निगम इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि फिल्में किसी राज्य या नगर विशेष में बनाई जायें । इसका काम तो देश की विभिन्न भाषाओं में फिल्में बनाने और अच्छे स्तर की फिल्में बनाने को प्रोत्साहन देना है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Some of the Film produced with the assistance of Film Finance Corporation had been very good but is the hon. Minister aware that there are no Theatre to exhibits them ? what is the use of having such Film without theatres to exhibits them ?

Shri I. K. Gujral : The Scheme of constructing art theatres has been prepared with this very aspect in view. The First such theatre is Functioning in Bombay. The second one in Delhi is lively to start in 2 or 3 months. Our scheme is to have about 100 such theatres throughout the country to exhibit quality film irrespective of whether they are financed by the corporation or not.

Shri Indrajit Gupta About Punjab, I want to know how much loan has been made available.

श्री आई० के० गुजराल : जैसा आपको मालूम है, पंजाबी आत्मनिर्भर होते है ।

Shrimati Sahodrab Rai : How much amount has been given to Madhy apradiesh for producing Hindi Film.........(Interruption)

श्री राम सहाय पांडे : उन्होने फिल्म स्टूडियो या टेलीविजन के बारे में नहीं पूछा है । वह जानना चाहती हैं कि इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

Shri I. K. Gujral : The loans advanced by the Film Finance Corporation have nothing to do with states. As far as I know, no studio has so far been opened in Bhopal, but it is proposed to be set up.

अध्यक्ष मोहदय : श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली, श्री गोपालन और श्री धर्मराव अफजलपुरकार उपस्थित नहीं हैं ।

श्री पम्पन्न गौडा : यह प्रश्न पूछने के लिए मुझे प्राधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि पहले पूरी प्रश्न सूची समाप्त हो जाये, फिर दूसरी बारी में मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री इब्राहीम सुलैमान सेट—उपस्थित नहीं हैं ।

श्री मधुकर—यहां नहीं हैं ।

श्री डागा ।

Members became angry when any Minister is absent.

Innovations proposed to be introduced in fifth plan keeping in view the failure of the previous plans

*228. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have taken into consideration the achievements and failures of previous four Plans while preparing the draft outline of the Fifth Plan ;

(b) whether Government propose to introduce certain major innovations in the Fifth Plan ; and

(c) if so, the innovations proposed to be introduced in the Fifth Plan ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) और (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण को सरकार द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पिछले अनुभव से जो सबक सीखने को मिले हैं उन्हें निस्सन्देह ही पाँचवीं योजना बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

Shri M. C. Daga : Sir, the hon. Minister has stated that the experience gained during the previous plans would no doubt be taken into account while formulating the Fifth Plan. I want to kuow the nature experiences gained from the First, Second, Third and Fourth Plans ? Has the hon. Minister been forgetting them each year, necessitating such admission by him.

Mr. Speaker : The details of lessons learnt may be placed on the Table of the House.

Shri M. C. Daga : Sir, a reply to my question regarding the lessons learnt and the mistaks committed may be got from the hon. Minister.

Mr. Speaker : If he can give a reply within a minute or two, he may do so.

श्री मोहन धारिया : चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेज में इन बातों का उल्लेख किया जा चुका है। पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र और इसकी रूपरेखा में इन पर ध्यान दिया गया है।

Mr. Speaker : Nothing has came out of that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Not even a single lesson appears to have been learnt.

Shri M. C. Daga : Now that Fifth Plan is being formulated, the hon. Minister must have kept in view the short comings of the last four Plans. Let the hon. Minister state the nature thereof ?

श्री मोहन धारिया : विभिन्न प्रकार की गलतियां योजना बनाने से ही आरम्भ हो जाती हैं। यदि योजना में रखी गई विभिन्न परियोजनाओं के आयोजन में ही सूचना या अन्य कठिनाइयों के कारण उचित ध्यान न रखा जाये तो उन्हें पूरा करना अवश्य कठिन हो जायेगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य और केन्द्रीय सरकारों में समन्वय जैसे पहलू भी हैं जिन पर ध्यान रखना होता है। चौथी योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में कमियों और उन्हें दूर करने के उपायों का उल्लेख है। अत: अनुभव से लाभ उठाया गया है।

श्री भानसिंह भौरा : क्या यह सबक भी सीखा गया है कि मंत्री बदलने से अच्छी योजना बनेगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। वह तो बदलते ही रहते हैं।

श्री वसन्त साठे : क्या पिछली योजनाओं की मुख्य भूल को, जिससे धनी अधिक धनी बन गये हैं, सुधारा जायेगा और क्या पाँचवीं योजना में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किए जाएंगे ? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने वाले हैं ?

श्री मोहन धारिया : पांचवीं योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और धनी और गरीबी हटाना है। यह सुनिश्चित करना तो स्वाभाविक ही है कि धनी और धनी न बनें और

गरीबों को अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के अवसर मिलें । इन्हीं उद्देश्यों को समक्ष रख कर पूरी योजना बनाई गई है ।

श्री वसन्त साठे : रोजगारे के बारे में तो उत्तर दिया ही नहीं गया है ।

श्री मोहन धारिया : रोजगार का सम्बन्ध तो गरीबी हटाने से ही है और यही किया भी जा रहा है । मैं माननीय सदस्य के विचार समझता हूँ ।

श्री वसन्त साठे : वह तो ठीक है, परन्तु उपाय क्या किए गए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बातें तो योजना पर आम चर्चा का विषय हैं, ये इन अनुपूरक प्रश्नों द्वारा नहीं पूछी जा सकती हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बात को देखते हुए कि गत चार योजनाओं में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जनता का योगदान पर्याप्त नहीं रहा है, क्या मंत्री महोदय उन ठोस उपायों का उल्लेख करेंगे, जो इस कमी को दूर करने के लिए और जनता का प्रभावी योगदान सुनिश्चत करने के लिए किए जाएंगे ?

श्री मोहन धारिया : यह ठीक हैं कि पीछे जनता का योगदान प्रभावी नहीं रहा है और इसीलिए राज्य सरकारों से राज्यों में योजना बोर्ड बनाने को कहा गया है ताकि योजना बनाने और उसे पूरा करने के लिए जनता का राज्य और स्थानीय स्तरों पर सहयोग प्राप्त किया जा सके ।

Shri Nathuram Ahirwar : In view of the fact that Industries were concentrated in big cities during the past plans and the backward areas were neglected, although manpower was available there in abundance, would the Government now take care to see that industries are set up there ?

श्री मोहन धारिया : हमने चौथी योजना में ही उपाय किए हैं ताकि पिछले क्षेत्रों का काफी औद्योगीकरण हो सके और कतिपय जिलों को रियायती शर्तों पर धन देने की घोषणा भी की गई है । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों को भी 10 प्रतिशत राज सहायता देने के लिए चुना गया है निश्चिय ही ऐसे उपाय किये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी न रहे ।

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली चार योजनाओं में सबसे बड़ी असफलता यह थी की पहली योजना में 333 करोड़ रुपये, दूसरी में 954 करोड़ रुपये, तीसरी में 1133 करोड़ रुपये तथा चौथी योजना में 8:0 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थव्यवस्था की गई, और पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि पाँचवीं योजना पूरी होने तक घाटे की अर्थ व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो जायेगी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या ठोस उपाय किये हैं ।

श्री मोहन धारिया : राज्यों द्वारा निश्चित राशि से अधिक राशि निकलवाने के बारे में सरकार ने कतिपय आधार भूत निर्णय किये हैं । एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को निश्चित राशि से अधिक राशि नहीं निकलवानी होगी । सरकार भी घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दे रही है तथा संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है । चौथी योजना में यद्यपि केन्द्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये के स्रोत जुटाये थे परन्तु वस्तुतः 2900 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये, तथापि प्राकृतिक संकटों के कारण तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध के फलस्वरूप घाटे की अर्थव्यवस्था से छुटकारा नहीं मिल सका परन्तु अब सरकार उसका ध्यान रखेगी ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उस विषय पर चर्चा की जाती तो बेहतर होता। यह प्रश्न काफी समय ले चुका है तथा यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है।

गआ में स्वातन्त्रता सेनानियों की गिरफ्तारी

***230. श्री मधु दण्डवते :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1972 को गोआ के अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों को पणजी (पंजिम) में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनको गिरफ्तार करने के कारण क्या थे और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) 15 अगस्त, 1972 को पंजिम में कोई स्वतन्त्रता सेनानी गिरफ्तार नहीं किया गया था। किन्तु मीरामार, पणजी में एक युवक होस्टल की आधार शिला रखने के समारोह के अवसर पर 8 सितम्बर, 1972 को 42 स्वतन्त्रता सेनानियों समेत 70 व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। गोआ प्रशासन के अनुसार ये गिरफ्तारियां की गई थीं क्योंकि स्थानीय पुलिस को आशंका थी कि स्वतन्त्रता सेनानी संस्था इस समारोह की कार्यवाही में बाधा डालने वाली है।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्तर में कहा गया है कि पुलिस को आशंका थी की शांति में विघ्न पड़ सकता है और इसीलिये इन स्वाधीनता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि उन स्वाधीनता सेनानियों में से, जिनकी स्वाधीनता सेनानियों के रूप में पहले ही सिफारिश की जा चुकी है, बहुतों के नाम उक्त सूची से काटे जा चुके थे तथा बाद में मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि उनमें से कुछ के नाम काट दिये गये हैं क्योंकि वे डाकू थे, और फिर अब उनसे पूछा गया कि डाकू से उनका क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ स्वाधीनता सेनानियों ने पुर्तगालियों के पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किया था और इसीलिये उनके रिकार्ड में भी यह लिखा था कि उन्हें डाकू माना जा रहा है, तथा इसीलिये उन्हें स्वाधीनता सेनानी की संज्ञा नहीं दी जा रही है, और यही कारण था कि इन लोगों ने वहां प्रदर्शन किया ? क्या उन्हें गिरफ्तार करने के यही कारण थे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्हें इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहां एक समारोह था जिसमें डा० सरोजिनी महीषि गई हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, गोआ प्रशासन ने हमें सूचित किया कि उसे आशंका है कि वे लोग इस समारोह में विघ्न डाल सकते हैं। परन्तु माननीय सदस्य की यह बात सही है कि यह मामला यहीं शुरू नहीं होता बल्कि इसका आरम्भ ताम्रपत्र के वितरण के समय से और इस भ्रम से आरम्भ हुआ कि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी स्वेच्छा से ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे थे तथा केन्द्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। जब कि रूप यह था कि मुख्यमंत्री सूची तैयार करने के मामले में केन्द्र सरकार के केवल एक एजेन्ट का कार्य कर रहे थे क्योंकि हमने अनेक स्थानों पर, जहां उचित समझा, अनेक परिवर्तन किये थे। मुख्य मंत्री ने भी एक प्रेस सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया था जिससे कि न केवल स्वाधीनता सेनानी बल्कि आज बहुत से लोग भी क्रुद्ध हो गये।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने डा० सरोजिनी महीषि के दौरे का वर्णन किया है। क्या यह सच नहीं है कि गिरफ्तार होने वाले स्वाधीनता सेनानी जब डा० सरोजिनी महीषि से मिले और उन्होंने यह बताया कि उनके प्रदर्शन का आधार क्या है तो वह स्वाधीनता सेनानियों के उस तर्क से सहमत हो गयीं थीं और डा० सरोजिनी महिषी ने यह भी अनुभव किया था कि उन लोगों को उचित आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके फल-स्वरूप उन्होंने उसी रात्रि के भोज के निमन्त्रण पत्र अस्वीकार कर दिये थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है। वह गोआ सरकार के एक मंत्री द्वारा दिये गये रात्रि के भोग में शामिल नहीं हुई। स्वाधीनता सेनानी उनसे मिले थे। मैं ठीक ठीक यह तो नहीं बता सकता कि डा० महीषि ने उनसे क्या शब्द कहे परन्तु यह उन्होंने अवश्य कहा था कि यदि स्वाधीनता सेनानियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है तो वह भोज में शामिल नहीं होंगी।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या सरकार को गोआ स्थित स्वाधीनता सेनानी संगठन की ओर से इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि मुख्यमंत्री ने प्रेस सम्मेलन में "विजय अभियान" के बारे में एक अत्यन्त निन्दनीय आपात पूर्ण तथा राष्ट्र-विरोधी वक्तव्य दिया था तथा फिर इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए वह वक्तव्य दिया था और गोआ में स्वाधीनता सेनानियों द्वारा विरोध प्रदर्शन तथा उनमें व्याप्त असन्तोष का यही कारण था? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि 18 अगस्त, 1972 को प्रेस सम्मेलन में दिये गये मुख्यमंत्री के वक्तव्य से केवल स्वाधीनता सेनानी ही नहीं प्रत्युत बहुत से अन्य लोग भी क्रुद्ध हो गये। परन्तु बाद में मुख्य मंत्री ने कहा कि उनके वक्तव्य की गलत व्याख्या की गई तथा फिर उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया। परन्तु उनके स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद भी, मैं कह सकता हूं कि उक्त वक्तव्य बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था और स्पष्टीकरण से संतोष नहीं मिलता और स्थिति ठीक नहीं होती।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

***232. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को नये प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ये प्रोत्साहन लघु उद्योगों के निर्यात व्यापार में सुधार करने के विचार से दिये जा रहे हैं; और

(घ) निर्यात व्यापार में लघु उद्योगों का क्या योगदान है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; फिलहाल कोई नया प्रोत्साहन विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अनुमान है कि लघु उद्योग प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हैं ।

श्री डी० डी० देसाई : गत दस वर्षों में, पुरानी मशीनों के स्थान पर दूसरी मशीनें लगाने अथवा नई मशीनरी के क्रय पर लागत 80 प्रतिशत तक पहुँच गई है । अब क्योंकि प्रतिबन्ध वित्तीय न होकर भौतिक है, अतः टूट-फूट की गई मशीनरी के स्थान पर दूसरी मशीनरी अथवा नई मशीनरी का क्रय करना प्रायः असंभव है । क्या मंत्रालय की इच्छा यह है कि लघु उद्योग को और अधिक लघु कर दिया जाये क्योंकि जिसने भी दस वर्ष पूर्व पूंजी निवेश किया है । अब उसके पास उस पुरानी मशीनरी के स्थान दूसरी मशीनरी लाने के लिए धन नहीं है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : भारत सरकार ने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है जिसने अन्य बातों के अतिरिक्त इस प्रश्न पर भी विचार किया है । हम इस समिति के प्रतिवेदन की जांच कर रहे हैं इसके बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री डी० डी० देसाई : 8वीं शताब्दी तक भारत, निर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से हथकरघा वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात करता रहा है ।

श्री पीलू मोदी : यह योजना आयोग बनने से पहले की बात है ।

श्री डी०डी० देसाई : परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण ही भारत का यह पद छिन गया । आज हमारी स्थिति यह है कि हमें श्रम प्रधान उद्योगों का देश होने का लाभ है । विश्व भर में श्रमिकों की कमी है और भारत के लिये इस श्रेणी के औद्योगिक सामान के मामले में अन्य देशों में अग्रगण्य होने का अवसर है । हम इस नई स्थिति का किस प्रकार लाभ उठाने जा रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हस्त शिल्प उद्योग की समस्याओं का हल करने के लिए पृथक से एक बोर्ड गठित है । विदेश व्यापार मंत्रालय निर्यात को अपनी पूर्ण क्षमता तक ले जाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai . The hon. Minister has just now stated that Rs. 100 crores have been allocate for the development of small scale industries. May I know whether it is for one year or for the entire five year plan. The allocated amount does not lead the industries in full. It takes a long time to available to the industry. May I know the industiries for which they have allocated this money, and what steps have been taken to make it easily available ? Then, they give upto Rs. 7 lakhs to those who have large capital. Do the government propose to reduce this amount to Rs. 5 lakhs.

Shri Siddheshwar Prasad : The hon. Member has put three questions. It appears that he has not heard my answer properly I have not said that Rs. 100 crores have been allocated for the development of small scale industries. I have not said that goods worth Rs. 100 crores are exported and these goods are manufactured by the small scale industries.

As regards his second question regarding reducing the amount Rs. 5 lakhs, I had said that a committee was set up which had gone into it, writes other things. Its recommendations are under consideration of the government.

Regarding the third question, all out help is given to the States for the development of small scale industries including technical and other facilities. In case they need loans from the banks. The matter is taken up with the banks also, so as to enable the States to get them loans and other facilities.

श्री राम सहाय पाण्डे : औद्योगिक उत्पादन का पूर्णरूपेण विकेन्द्रीकरण करने के लिए लघु पैमाने के उद्योग आरम्भ करने की वृत्ति है और उनके द्वारा स्थानीय अथवा देशीय उत्पादन

को बढ़ाना है, और इस प्रकार, क्या यह सच नहीं है कि बहुत से राज्यों में कच्चे माल की कमी के कारण बहुत से एकक बन्द हो गये हैं ? क्या सरकार के पास इस तरह की जानकारी है कि कच्चे माल की कमी के कारण बहुत से एकक बन्द हो गए हैं और चल नहीं सकते हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहाँ तक इस्पात आधारित इंजीनियरिंग उद्योगों का सम्बन्ध है, हमें विभिन्न राज्यों से कच्चे माल के बारे में शिकायतें मिली हैं और हम यहां तक कि आयात करके भी, इस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्य छोटे उद्योगों के साथ उन्हें भी यह माल मिल सके ।

Shri Shanker Dayal Singh : This question pertains to tow. ministers viz. The Ministry of Industrial Development and the Ministry of Forcign Trade. May I know whether there is proper coordination between the two and that the small scale industries are not being neglected ? Is it not true that the Foreign Trade Ministry are looking ofter only the big industries and resultantly, small scale industries are not able to develope adequately?

Shri Siddheshwar Prasad : We always make all possible efforts to keep proper coordinations and in case of any difference of opinion, we try to sort them out in joint meetings. As regards the goods manufactured by small scale industries, the Ministry of Foreign Trade non takes more care thereof...

Shri Ramavatar Shastri : Has he received any complaint from the Small Scale Industries Corporation, Bihar, to the effect that they are facing some difficulties in the setting up of more industries ? Is so what are those ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रोत्साहनों तथा निर्यात से सम्बन्धित है । मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता । आप कोई संगत प्रश्न पूछिये ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to be definite about the receipt or non-receipt o the complaint.

Mr. Speaker : Give notice of another question. Do not mix up manythings together.

श्री रणबहादुर सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों की छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य औद्योगिक प्रोत्साहन देने के किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है । तो क्या इस उत्तर का यह अर्थ है कि मंत्री महोदय अभी मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के परिणामों की प्रतीक्षा में हैं अथवा वर्तमान स्थिति सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं ? क्योंकि उक्त प्रोत्साहन पिछड़े राज्यों में उद्योगों के पनपने के लिए पर्याप्त नहीं सिद्ध हुए हैं तो क्या मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए ऐसे कुछ अन्य प्रस्तावों पर विचार करेगा ? उदहरणार्थ, एकाधिकार-प्राप्त सरकारी उपक्रमों का विकेन्द्रीकरण जिनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के छोटे तथा सहायक अंशों का निर्माण, लघु उद्योगों के अधीन पिछड़े क्षेत्रों में किया जा सके ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : भारत सरकार ने इसी वर्ष के आरम्भ में कतिपय रियायतों की घोषणा की थी और हम इन रियायतों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं । इतनी जल्दी नई रियायतें देना उचित न होगा ।

श्री धामनकर : क्या सरकार यह जानती है कि भारत सरकार द्वारा दी गई रियायतें, राज्य सरकार द्वारा उनके अध्ययन आदि में विलम्ब के कारण निरर्थक सिद्ध हो जाती है ? इस विलम्ब को कम से कम करने के लिए केन्द्र सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह बात हमारी जानकारी में लाई गई थी और हमने राज्यों के

उद्योग निर्देशकों के साथ बैठक की थी तथा हमने उन्हें यह बात बता दी है ताकि वे इन मामलों को यथासभव शीघ्र निपटा दें।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : उद्योगपतियों को विकसित क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करने से रोकने के लिए तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए पाण्डे समिति तथा वाँचू समिति के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री सी० सुब्राह्मण्यम : यह प्रश्न पिछड़े क्षेत्रों से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। यह तो सामान्य रूप से लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के बारे में है। शायद अगला प्रश्न पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लाकप्पा हर बार उठ रहे हैं। आपका प्रश्न बाद में आ रहा है।

श्री के० लाकप्पा : शायद उसके लिए समय न रहे।

अध्यक्ष महोदय : तो इसीलिए आप इसे अभी पूछ रहे हैं ? उसके लिए समय रहेगा। कुछ लोग अनुपस्थित हैं जिसके कारण आपका प्रश्न लिया जा सकेगा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यवाही

*** 236. श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत का और हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम में तथा हमारी स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्यवाही की गई है :-

1. तीन मूर्ति राष्ट्रीय स्मारक : 1964 में सरकार ने तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली को एक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में परिवर्तन करने का निश्चय किया। उसी वर्ष नवम्बर में डा० राधाकृष्णन द्वारा यह श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में समर्पित किया गया। यह संग्रहालय भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के जीवन तथा कार्यों को प्रस्तुत करता है। पुस्तकालय को राजा राम मोहनराय से नेहरू तक के आधुनिक भारत के इतिहास पर जिस में भारतीय राष्ट्रीयता पर विशेष बल दिया गया है, एक अनुसंधान-पुस्तकालय के रूप में नियोजित किया गया है।

2. नेहरू तथा नवीन भारत प्रदर्शनियां : प्रदर्शनियां अतीत में संसार की कुछ राजधानियों में जैसे न्यूयार्क, लन्दन, टोक्यो, कैन्बरा तथा सन्तयागी में हुई है। वर्तमान में इस प्रकार की कुछ प्रदर्शिनियां एशिया 1972 के मेले में दिखाई जा रही हैं।

8. जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि : यह एक सार्वजनिक परोपकार किया है और इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

(क) **जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्तियां :**

अब तक 29 फैलोशिप विभिन्न क्षेत्रों में दी जा चुकी हैं। उसमें 3,000 रु० की मासिक वृत्तिका तथा 10,000 रु० का एक वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

(ख) **जवहरलाल बाल भवन :**

यह संस्थाएं दिल्ली बाल भवन के नमूने पर आधारित है। अभी तक इन्हें आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, पश्चिम बंगाल, पाण्डिचेरी और गुजरात में स्थापित किया गया है। मद्रास और बम्बई में भी बाल भवन स्थापित किये जाने के लिए कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

(ग) जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए कार्यों पर 20 खण्डों की एक पुस्तक माला प्रकाशित किये जाने का विचार है। अब तक तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं।

(घ) **जवाहरलाल नेहरू की जीवनी :**

डा० एस० गोपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू की एक निश्चित जीवनी लिखी जा रही है।

स्मारक निधि से आनन्द भवन का विकास किया जा रहा है, जिसको प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दो वर्ष पूर्व जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में दान दिया गया था। स्वराज्य भवन का, जिसे लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ले लिया गया है, पूर्णरूप से नवीकरण किया जाएगा और वहां जवाहरलाल बाल भवन स्थापित किया जाएगा।

4. **अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पर जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार :** प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपए का पुरस्कार एक विशिष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसे पांच पुरस्कार दिये जा चुके हैं। 1970 के लिये छठा पुरस्कार घोषित कर दिया गया है।

श्री समरगुह : जो उत्तर दिया गया है, वह पूरा नहीं है। जवाहरलाल जी की विरासत का सम्मान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय कुछ परियोजनायें और कार्यक्रम चलाने जा रहा है। मैं सम्झता हूं कि ये कार्यक्रम और परियोजनायें इसमें शामिल नहीं किये गए। क्या यह उत्तर पूरा है ?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : यदि उन्होंने विवरण पढ़ा है तो मुख्य बातें उसमें दी गई है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हमें कोई भी विवरण नहीं दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ देता हूं। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री समर गुह : क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनायें इसमें सम्मिलित हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री समर गुह : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में भी।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवनकाल में स्वयं ही रखा था। बाद में इसे कार्यान्वित किया गया। वास्तव में उन्होंने रायशीना विश्वविद्यालय के नाम का सुझाव दिया था। जहां तक युवक

केन्द्रों का सम्बन्ध है, यह योजना भी जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल में बन गई थी और यह उमी समय से जारी है। पंडित जी के कहने पर सरकार ने हर जिले में युवक केन्द्र खोलने का निर्णय किया था और वह योजना अब तक जारी है।

श्री समर गुह : क्या इन सब संस्थाओं की देखभाल तथा जवाहरलाल नेहरू की विरासत के सम्मान को बढ़ाने हेतु उचित कदम उठाने के लिए सरकार ने किसी केन्द्रीय समिति का गठन किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके लिए किसी भी केन्द्रीय समिति की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न योजनायें भिन्न-भिन्न ढगों से कार्यान्वित की जाती हैं। जैसे कि मैं कह चुका हूं, एक स्मारक निधि भी है जो कुछ निश्चित कार्यक्रम चलाती है जिनका वर्णन मैं मूल विवरण में कर चुका हूं। अनेक योजनाओं में से कुछ को सरकार चलाती है। एक ही समिति इन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की देखभाल नहीं कर सकती।

श्री समर गुह : नेहरू ऐवार्ड नामक एक ऐवार्ड रूस ने दिया है। यह जवाहरलाल जी के नाम पर है और मैं समझता हूं कि यह उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिये है। इसे किसी अन्य देश ने दिया है तो यह स्वभाविक है कि इसके कुछ राजनैतिक उद्देश्य हों...

श्री एस०एम० बनर्जी : यह उनका अपमान है जो इसे प्राप्त करते हैं वे श्री समर गुह से अधिक ख्याति प्राप्त कवि है।

श्री समर गुह : "रूस" अथवा "मास्को" शब्द से यहां कुछ मित्रों के दिल में प्रतिक्रिया पैदा होती है। मैं असहाय हूं।

श्री एस०एम० बनर्जी : आप अमरीका को कोई ऐवार्ड देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री समर गुह : मेरे माननीय मित्र न जाने रूस का नाम लेने से क्यों चिढ़ जाते हैं। सदन इस बात पर विचार कर ले। ये एवार्ड 'सोवियत भूमि' द्वारा दिये जाते हैं, यह स्वभाविक है कि एक बाहरी देश जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में इसे दे रहा है। क्या कोई ऐसी समिति है जो इस बात का निर्णय करे कि ऐवार्ड किसे दिया जाये, यदि हां, तो इस समिति का गठन कैसे होता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे सम्बन्धित है। मुझ से यह जानने की आशा नहीं रखी जानी चाहिये कि क्या इस प्रकार की कोई समिति है, उसके गठन की क्या प्रक्रिया है और ऐवार्ड किसे दिये जाते हैं। यह इस प्रश्न मे संगत नहीं है।

श्री समर गुह : मैंने अपने प्रश्न में "विरासत" शब्द का उपयोग किया है। ऐवार्ड भारत में दिया जाता है और पंडित जी के नाम पर दिया जाता है। अतः मुझे यह जानने का अधिकार है कि चयन की प्रक्रिया क्या है और इसके लिये क्या किसी समिति का गठन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : विदेशी एजेन्सी द्वारा गठित समिति की जानकारी मन्त्री को कैसे हो सकती है ?

श्री समर गुह : पहले इन्होंने कहा है कि यह प्रश्न नहीं उठता। फिर मैंने कहा कि इसका सम्बन्ध विरासत से है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह प्रश्न संगत नहीं है फिर भी आपने इसे पूछा है और इन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दो बातें हैं इन्होंने किसी समिति की बात की है। मैं समिति के बारे कुछ नहीं जानता। जहां तक नेहरू जी की विरासत के प्रश्न का सम्बन्ध है, जिसे इन्होंने बाद में पूछा, इस बात का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं कि उनका नाम ऐवार्ड देने के लिए चुना जाता है। लेकिन मै कहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास पंडित जी का आदर्श था, जिस पर उन्होंने अपने जीवनकाल में बल दिया और यह उसी आदर्श के अनुरूप है। भारत के अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं।

श्री समर गुह : मुझे भय है कि उनकी विरासत का राजनैतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग न हो। इसी लिए मैंने यह प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

साधारण डाक द्वारा भेजे गए तारों के तार-शुल्क को वापिस करना

\+

*237. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारों के साधारण डाक से भेजे जाने पर तार शुल्क वापिस करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, जिसके अनुसार जिन तारों का निपटान उन्हें डाक से भेज कर किया जाता है, वे गंतव्य स्थान के तार घर में, यदि वे एक्सप्रेस तार हों तो 24 घंटे के बाद और साधारण तारें हों तो 48 घंटे के बाद पहुँचते हैं, तो उनके पाने वाले को तार के साथ एक रकम-वापसी का वाउचर भी दिया जाता है। यह रकम-वापसी का वाउचर तार की लागत में से 50 पैसे काट कर बकाया रकम का बनाया जाता है। पाने वाले को यह वाउचर इसलिए दिया जाता है कि वह इसे बिना डाक टिकट लगाए तार के प्रेषक को भेज दे और प्रेषक मूल तार घर से रकम-वापसी का दावा कर के रकम प्राप्त कर ले। इसके साथ ही, साधारणतया रकम की वापसी की मंजूरी तार के देर से पहुँचने की ऐसी शिकायतों पर दी जाती है जिनमें तार के पहुंचने में विलम्ब साधारण तारों के मामलों में डाक पहुंचने के सामान्य समय से अधिक हो और एक्प्रेस तारों के मामलों में इस के आधे समय से अधिक हो।

(ख) ये आदेश अप्रैल, 1965 से लागू हैं।

श्री के० लकप्पा : तार भेजने के बारे में इस आशय की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे अपने गन्तव्य स्थान अर्थात् अपने पते पर ठीक समय पर नहीं पहुँचते। जहां तक इस संगठन का सम्बन्ध है, इसमें काफी विलम्ब से कार्य होता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने स्थिति की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि तार ठीक समय पर पहुंचे? उनका क्या प्रभावी उपाय करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : तार भेजने में विलम्ब बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता। इसलिए, प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। जहाँ तक विलम्ब में और कमी करने का सम्बन्ध है, यान्त्रिक प्रणाली लागू होने अर्थात् टेलीप्रिन्टर सेवा और को-एक्सियल और सूक्ष्म तरंग प्रणाली पर सरकिट चालू होने से विलम्ब में और भी कमी होगी। परन्तु यह सच है कि अधिकाँश क्षेत्रों में खुले तार की लाइनें और लम्बी दूरी की लाइनें हैं, जो कभी-कभी खराब हो जाती हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि इस स्थिति में और सुधार हो।

श्री के० लकप्पा : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के मामले देश में तारपत्रों की कमी और नये यन्त्रीकरण में सुधार न होने के कारण हुए हैं और यदि हां, तो देश की तार-प्रणाली और यन्त्रीकरण प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह धन और संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इस मामले में प्रगति होगी।

श्री के० लकप्पा : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह सामान्य शब्दों में है। मैं एक निश्चित प्रश्न पूछ रहा हूं। उन्होंने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या निश्चित सुधारात्मक उपाय किये हैं ? यह एक आम शिकायत है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न सामान्य है। सामान्य प्रश्न का मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि देश की तार-व्यवस्था के अकुशल कार्यकरण के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक कारण तांबे के तार की भारी पैमाने पर चोरी भी है और यदि हां, तो मन्त्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की है कि इस प्रकार की चोरी की घटनायें न हों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : खुले तार की प्रणाली में सदैव ही इस प्रकार की चोरी की घटनायें होने की सम्भावना रहती है। मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि उक्त प्रणाली में खराबी हो जाने का यह एक प्रमुख कारण है। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न अधिकारियों को पकड़वाने में मदद करने के लिए हमने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है। दूसरे, हम ताँबे के तार की लाइनों को अल्यूमीनियम में बदल रहे हैं, जिनके इतनी मात्रा में चोरी होने की सम्भावना नहीं है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि टेलीग्राम की लागत में से 50 पैसे काटकर शेष राशि की वापसी के लिए वाउचर टेलीग्राम के साथ-साथ ही पाने वाले को दे दिया जाता है। क्या यह अधिक उचित और सही नहीं होगा कि उसे प्रेषक को भेज दिया जाय?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: जब टेलीग्राम अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो वह दूसरे सिरे पर होता है और दूसरी तरफ के आदमी को प्रेषक का पूरा पता ज्ञात होता है। हम उसे निःशुल्क डाक सेवा उपलब्ध करते हैं; उस पर टिकट नहीं लगानी पड़ती; उसे राशि वापस लेने का कार्ड दिया जाता है, उसे आदमी का सिर्फ पता ही लिखना होता है और वह प्रेषक को प्राप्त हो जाता है, जिसे अन्ततोगत्वा अपना पैसा वापस मिल जाता है।

श्री जी० विश्वनाथन : तारों के भेजने में विलम्ब को कम करने सम्बन्धी अनेक उपायों का मन्त्री महोदय ने जिक्र किया। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि किस वर्ष तक

तारों के भेजने में विलम्ब को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमारा प्रयास इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने का है, परन्तु स्पष्टतः यह अनेक बातों पर निर्भर है ।

श्री जी० विश्वनाथन : टेलीग्राम की तरह ही यथासम्भव शीघ्र ।

Mr. Speaker : Shri Shiv Kumar Shastri, Next question.

Shri Shiv Kumar Shastri : I do not want to ask.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, can a Member being present in the House, say that he does not want to ask the question ?

Mr. Speaker : He can say that he does not want to ask a question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : No Sir, it is a very serious matter, if he wes not present in the House. I could understand or he would have withdrawn it. But the notice of a question has been given, it is in the order paper and he is present in the House.

Mr. Speaker : It is also correct that if Vajpayeeji protests, he may reverse his decision.

Shri Shiv Kumar Shastri : Q. No. 238.

Recovery of Arms and Ammunition from Dacoits Surrendered Recently in Madhya Pradesh

***238. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether arms and ammunition recovered from dacoits who surrendered themselves recently in Madhya Pradesh, included arms belonging to the Indian Forces also;

(b) if so, whether Government have ascertained as to how these arms and ammunition reached the dacoits; and

(c) if so, the steps taken to punish those found involved in this crime ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a), (b) & (c) A detailed inquiry by the Government on these points is in progress.

Shri Shiv Kumar Shastri : By what time the enquiry is likely to be completed ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I want to know through you.

Shri Shiv Kumar Shastri : I have asked about the time by when the enquiry is likely to be completed. Can he give a time limit ? No specific answer has been given.

Mr. Speaker : One Member is already on his legs. An enquiry is going on, but his question has come up before that is complete.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the arms and ammunition recovered from the dacoits, belonged to our armed forces and the dacoits have not disclosed the names of persons who supplied them as it would affect their cases adversely ? They have made such a statement. In the circumtances, will the Government also enquir about these police officials who were in-collusion with those dacoits and used to get a monthly salary from the dacoits in addition to the pay from the Government ? All this has been reported in the papers. I want to know whether all these things would be kept in mind while-conducting an enquiry ? Will he keep in mind the reports published in the News papers that the arms have been supplied by the Military officers of Jabalpur ?

Shri K.C. Pant : Yes, Sir, we will keep in view everything which may be useful for the enquiry- Whatever information the honourable Member has got with him, would also be kept in mind. He may kindly give it to us.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए यूनैस्को से सहायता

*** 221. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 'यूनैस्को' भारत को एक मिलियन अमरीकी डालर देने को सहमत हो गया है;

(ख) क्या वह अनुसन्धान कार्यक्रमों के लिए भी सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और

(ग) यदि हां, तो कब तक सहायता मिल जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पूना में एक टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। सहायता की राशि के बारे में वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) टेलीविजन फिल्म अनुसन्धान और प्रोटोटाइप निर्माण एकक की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ विचाराधीन है।

सुचारु ढंग से चल रहे औद्योगिक एककों को अपने लाभ की राशि को उद्योग में ही लगाने के लिए प्रोत्साहन

222 * श्री सरजू पांडे :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुचारू ढंग से चल रहे औद्योगिक एककों को अपने लाभ की राशि को उद्योग में ही लगाने के लिए उत्साहित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर योजना आयोग विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को किस प्रकार का प्रोत्साहन देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ऐसा कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पिछड़े हुए जिलों के लिए राजसहायता

*** 224. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10% केन्द्रीय राजसहायता देने के उद्देश्य से पहले से ही चुने गये तीन जिलों के अतिरिक्त उन दो जिलों को पिछड़े हुए जिलों की सूची में सम्मिलित कर लेना स्वीकार कर लिया गया है जिनको करने की सिफारिश केरल सरकार ने की थी; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल सरकार द्वारा सिफारिश किये गये अतिरिक्त जिलों का चयन नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य का कोटा तीन जिलों एलेप्पी, कैनामूर और मालापुरम के चयन से पूरा किया जा चुका है, जिनकी कि केरल सरकार ने पहले सिफारिश की थी।

कम से कम समय में पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में विकास परियोजनाओं का चयन

*** 225. श्री धर्म राव अफजलपुरकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में एक या दो विकास परियोजनायें स्थापित करने का निर्णय किया है जो कम से कम समय में पूरी की जा सकें और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पालघाट (केरल) में प्रिसीजन इन्स्ट्रुमेंट प्रोजेक्ट

***226. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पालघाट स्थित प्रिसीजन इन्स्ट्रुमेंट प्रोजेक्ट अब किसी स्थिति में है; और

(ख) संयंत्र में किस प्रकार से उत्पादन किया जायेगा तथा वह कब चालू होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इंस्ट्रुमेंटशन लि०, कोटा ने जिसे इस प्रयोजना की स्थापना का कार्य सौंपा गया है, इस प्रयोजना की स्थापना के लिए स्थल निश्चिय करने और प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति करने पर अंतिम निर्णय कर लिया है। इस समय, वे आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत पर आगामी दो तीन महीनों की अवधि में अंतिम निर्णय हो जाने की आशा है। इसके पश्चात् योजना के क्रियान्वयन के लिए आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(ख) वर्तमान में कंट्रोल वाल्व और सहबद्ध वस्तुएं तथा रक्षा और बचाव के वाल्व निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस समय प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, प्रयोजना के वर्ष 1974 में चालू हो जाने की आशा है।

Programme to educate the masses regarding anti-Indian activities of C. I. A.

*227. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleasedto state whether Government have chalked out any programme for giving publicity to the anti Indian activities of C. I. A. and to educate the masses and seek their cooperation in order to curb such activities ?

The minister of state in the ministry of home affairs (Shri K. C. Pant) : The subject of the activities of foreign intelligence organisations has come in for discussion in different forums such as meetings of political parties, journals and newspapers published from different parts of the country etc. Parliament has also had occasion to discuss this matter. Government has no doubt that our people remain fully alive to the interests of the integrity and security of the country.

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधाएं

***229. कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के हर तीन गाँवों में से कम से कम एक गाँव में टेलीफोन लगाने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऐसे गांवों की संख्या 463 है जिनमें टेलीफोन की सुविधा दी गई है।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचराधीन नहीं है।

उद्योगों के विस्तार के लिए समय

***231. श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ उद्योगों को विस्तार करने के लिए कुछ अधिक समय दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो जिन उद्योगों को समय दिया गया है उनके नाम क्या हैं तथा वह अवधि क्या है ; और

(ग) समय बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 54 विशिष्ट उद्योगों में संयंत्र तथा मशीनों का पूरा उपयोग करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन देने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) इन 54 उद्योगों की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3847/72]।

(ग) आवेदन देने की अन्तिम तिथि यथासंभव अत्याधिक संख्या में उद्यमियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक उत्पादन पर अपना प्रभाव बनाये रखने के उद्देश्य से बढ़ाई गयी है।

केरल में औद्योगिक परीक्षण और अनुसन्धान प्रयोगशाला का पुनर्गठन

*** 233. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रादेशिक प्रयोगशाला के स्तर पुनर्गठित करने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को अब स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि उपरोक्त योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाहुल्यता से उपलब्ध होने वाले स्थानीय कच्चे माल, जैसे औद्योगिक तथा कृषि अवशिष्टों, अन्य उत्पादों, खाद्य उत्पादों, खनिजों आदि पर अनुसंधान करना है, और

(ग) क्या देश के दक्षिण प्रदेश में उक्त प्रकार की कोई भी प्रादेशिक प्रयोगशाला नहीं है :

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केरल सरकार की योजना उनके औद्योगिक परीक्षण और अनुसधान प्रयोगशाला के पुनर्गठन के लिए एक रा० स० वि० का० परियोजना के रूप में अन्य मंत्रालय और विभागों के अनेक आयोजनों के साथ रा० सं० वि० का० सहायता के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में प्रस्तुत की गई थी। दुर्भाग्य से यह रा० सं० वि० का० के देश कार्यक्रम में, जिसका निर्माण हो चुका है, स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

भारत सरकार औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशाला का बहुमुखी क्षत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में पुनर्गठन करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव का पूर्ण स्वागत करती है। सरकार पता लगा रही है कि योजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा लगभग 2,50,000 डालर को किस तरह उत्तम रूप से प्रदान किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा की इन आवश्यकताओं पर सक्रिय रूप से वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) हैदराबाद में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है।

राज्य सरकार द्वारा पिछड़े जिलों के विकास के लिए रियायतों का उपयोग न किया जाना

*** 234. श्री राम भगत पास्वान :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के विकास के लिये दी गई रियायतों का अधिकाँश राज्य सरकारों ने किन कारणों से उपयोग नहीं किया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये उपलब्ध प्रोत्साहन निम्न प्रकार है :-

(1) केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रियायती वित्त ;

(2) 10 प्रतिशत सीमा केन्द्रीय अनुदान या उपदान योजना 1971; और

(3) परिवहन उपदान योजना, 1971 ।

उपयुक्त प्रथम योजना वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और इससे लाभ उठाना उद्यमियों का काम है । राज्य सरकारों से इसका कोई संबंध नहीं है ।

10 प्रतिशत सीधे केन्द्रीय अनुदान या उपदान योजना के अन्तर्गत इनके क्रियान्वयन का कार्य राज्य सरकारों का है, जो योजना का प्रचार करती है, एककों का पंजीयन करती है और राज्य स्तर समन्वय समिति के माध्यम से राज्य के चुने हुए पिछड़े जिलों, क्षेत्र के पात्र औद्योगिक एककों को उपदान स्वीकृत करती है । अब तक 12 राज्य सरकारों ने 205 एककों को 45 लाख रु० से अधिक का उपदान स्वीकृत किया है ।

इसी प्रकार परिवहन उपदान योजना कार्यक्रम जो कि जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू है, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । इसके अंतर्गत अभी तक कोई प्रगति नहीं बताई गई है ।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकारों ने इन रियायतों या प्रोत्साहनों का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि कार्यक्रमों की घोषणा के उपरान्त राज्यों को प्रकिया संबंधी और कुछ संगठनात्मक प्रबन्ध करने थे, जिसमें कुछ अधिक समय लगता । भारत-पाक संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं—जैसे भयंकर बाढ़ें, जिनसे जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरी-पूर्वी भारत के सीमाँत राज्यों में सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, के कारण इस योजना का विशेष रूप से परिवहन राज्य सहायता योजना का कार्यान्वियन धीमी गति से हुआ ।

राज्यों द्वारा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को उचित प्राथमिकता न दिया जाना

*** 235. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या योजना आयोग द्वारा की गई समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकारों ने ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को उचित प्राथमिकता नहीं दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) चौथी पंच-वर्षीय योजना की माध्यवधि समीक्षा में योजना आयोग ने बताया है कि योजना के पहले तीन वर्षों में "ग्रामीण एवं लघुउद्योग" के अन्तर्गत चौथी योजना की कुल पूंजी के आधे से कम खर्च होगा । अनुमान लगाया गया है कि राज्य सरकारों ने चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में कुल स्वीकृत परिव्यय का 58% खर्च किया है और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर इस अवधि में इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय का 42.9 प्रतिशत खर्च किया गया था । यद्यपि कार्य को वित्तीय आधार पर नही मापा गया है ? जैसा कि योजना बनाते समय विचार था और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष बजट संबंधी व्यवस्था इसका पर्याप्त सूचक नहीं हो सकती क्योंकि संस्थागत वित्त काफी उपलब्ध होता जा रहा है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये उधार की राशि जून, 1969 में 251 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1972 में करीब 524 करोड़ रुपये हो गई है ।

राज्य सरकार का ध्यान ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम के महत्व की ओर आकृष्ट किया गया है और उनसे इस विषय को और उच्च प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है।

पिछड़े जिलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

* **239. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े जिलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता देने के बारे में और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या चौथी योजना में इसके लिए कोई राशि नियत की गयी है ;

(ग) पांचवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि दी जानी है ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने राज्य की धन सम्बन्धी आवश्यकता से केन्द्र को सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्यों को दी जाने वाली दस प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उन राज्यों में वितरित की गई है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश इस प्रकार का एक राज्य है जिसे इस मानदण्ड के अन्तर्गत विशेष सहायता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अत: उपर्युक्त सहायता के अलावा उसे केन्द्रीय सहायता की 60 प्रतिशत कुल राशि में से भी जो कि जनसंख्या के आधार पर दी जाती है अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा मिला। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले औद्योगिक विकास में पिछड़े माने गए हैं उन्हे तीस अन्य जिलों के साथ जो कि औद्योगिक विकास में पिछड़े हुए हैं, को नियत पूंजीगत विनियोजन 10 प्रतिशत केन्द्रीय इमदाद और वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करने के सूत्र के अन्तर्गत, जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है के आधार पर अधिमानता देते हुए उत्तर प्रदेश को 109.12 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा, जम्मू तथा कश्मीर, असम और नागालैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति कर केन्द्रीय सहायता के कथित सूत्र के अन्तर्गत कुल केन्द्रीय सहायता की राशि का दस प्रतिशत उन राज्यों के लिए रखा गया है जिनकी विशेष समस्याएं हैं, इस के अन्तर्गत भी उत्तर प्रदेश को 25 करोड़ रुपये की और राशि प्रदान की गई है।

(ग), (घ) और (ङ) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी इस सम्बन्ध में अभी निर्णय किया जाना है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अभी अपनी आवश्यकतायें नहीं भेजी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर दण्डित अधिकारी

* **240. श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जांच के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान अधिकारियों को दण्ड दिया गया ; और

(ख) इस समय की जा रही जांचों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जाँच के आधार पर या तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाहियों या न्यायालयों में दायर किए गए आरोप-पत्रों के आधार पर वर्ष 1972 में दिनांक 31-10-1972 तक 880 अधिकारियों को दण्डित किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध अब भी 1010 जाँचों पर कार्य जारी है ।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति

2201. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवाओं के विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए व्यक्तियों की इस समय क्या प्रतिशतता है ; और

(ख) इन कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1 जनवरी, 1971 को भारत सरकार के अधीन सेवाओं में कर्मचारियों की कुल संख्या में, श्रेणीवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक - I)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3848/72]

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को उनकी सेवा के अवसरों में सुधार लाने के लिए दी गई रियायतों तथा सुविधाओं को ब्यौरेवार विवरण में संलग्न किया गया है (अनुलग्नक - II) । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3848/72]

गृह कल्याण केन्द्र श्रमिक संघ की मांगें

2202. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह कल्याण केन्द्र श्रमिक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल 27 अक्तूबर, 1972 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को उनके निवास स्थान पर मिला था और अपने वेतन ढांचे के सम्बन्ध में कुछ माँगे प्रस्तुत की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड, जो समिति के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संस्थान है और गृह कल्याण केन्द्र योजना के संगठन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, द्वारा मांगों पर विचार किया गया था। योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, गृह कल्याण केन्द्र के

कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान के सुझाव पर बोर्ड की सहमति न हो सकी । सरकार इस विचार से सहमत है ।

केरल में बेरोजगार इंजीनियरों को सहायता

2203. श्री वयालार रवि :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए केरल से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और 1972-73 वर्ष के लिए उसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया; और

(घ) क्या केरल सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को सहायता देने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हाँ, तो केन्द्र की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों को अनेक सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1972-73 की अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विशिष्ट राशियां आवंटित की गई है । योजना में औद्योगिक बस्तियों का व्यय मशीनों की खरीद के लिए प्रारम्भिक राशि पर व्यय, स्थापना और प्रशिक्षण व्यय आदि अनेक प्रकार की सहायता का प्रावधान है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों के आवेदन-पत्र राज्य के उद्योग निदेशक को भेजे जाते हैं । योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 1972-73 की अवधि के लिए 35 लाख रुपयों की राशि आवंटित की गई है ।

(घ) राज्य सरकार ने अतिरिक्त राशि में आवंटन के लिये अनुरोध किया है । राज्य सरकार से और जानकारी मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

पांचवी योजना में राजस्थान के लिए उद्योगों का नियतन

2204. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े होने पर भी, अखिल भारतीय नियतन की तुलना में राजस्थान में चौथी योजना में केन्द्र द्वारा चालू किए गये उद्योग बहुत कम स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या पांचवी योजना में उद्योगों के नियतन पर विचार करते समय राजस्थान को चौथी योजना में मिले कम भाग के ध्यान में रखा जायेगा, जिससे राजस्थान केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योगों के मामले में अन्य राज्यों के समान हो जाये; और

(ग) चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा संचालित उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से कितने सुझाव आये थे तथा उनमें से कितनों को स्वीकार किया गया तथा अन्य को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चौथी योजना की अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योगों के लिए राजस्थान राज्य को उसका उचित अंश दे दिया गया है। सारे देश के लिए कुल 510 लाख रुपये के परिव्यय में से राजस्थान को योजना की अवधि में ऐसे उद्योगों के लिए 40 लाख रुपए की राशि व्यय करने के लिये नियत की गई है। यह नियतन इसी प्रकार के अन्य राज्यों के नियतन के बिल्कुल अनुरूप है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिए निधि

2205. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नये उद्योग स्थापित करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान का हिस्सा कितना है;

(ख) राजस्थान में स्थापित उद्योगों ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ग) क्या राजस्थान में ऐसे उद्योगों का लक्ष्य पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना में विभिन्न औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं को पूर्ण स्थापित करने के लिए निर्धारित 3150.86 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से राजस्थान का हिस्सा 129.93 करोड़ रु० का था। चतुर्थ योजना के माध्यावधि मूल्यांकन के फलस्वरूप राजस्थान के संशोधित हिस्से 126.23 करोड़ रु० के हैं जबकि संशोधित कुल परिव्यय 3126.03 रु० का है।

(ख) तथा (ग). राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन विभिन्न केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

(क) **औद्योगिक विकास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन परियोजनाएं**

1. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा
2. मशीन टूल्स कारपोरेशन लि० अजमेर
3. हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड जयपुर

उपर्युक्त परियोजनाओं में उत्पादन हो रहा है और ये संतोषजनक प्रगति कर रहीं है।

(ख) खान तथा धातु'विभाग केनि यंत्रणाधीन परियोजनाएं

1. नयी खानों की सम्भावना और विकास

(क) बलारिया खानें

डेबरी जिंक स्मेलटर के विस्तार के बाद इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बलारिया में एक दूसरी खान खोलने का प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा तैयार की गई परि-

योजना रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। इस बीच 2.4 कि० मी० लम्बी सुरंग द्वारा बलारिया को केन्द्रीय मोछिया से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और वह कार्य प्रगति पर है।

(ख) **पूर्व और पश्चिम मोछिया** : ये दोनों सामग्रियां पुराने मार्ग के माध्यम से प्रविष्ट कराई गई हैं पूर्वीय मौछिया में भूमिगत समन्वेषण तथा विकास प्रगति पर है। पं० मोछिया में भूमितल समन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

(घ) **देवरी रामपुरा खानें** : परियोजना के लिए ब्रिटेन के मैसर्स आर० टी० जैड कन्सल्टेंन्टेस् लि० ने एक संप्रत्ययपरक इन्जीनियरी सह सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। विदेशी परामर्शदाताओं से 3000 मी० टन प्रतिदिन का उत्पादन बनाए रखने के लिए अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा कम्पनी में उस पर तकनीकी दृष्टि से समीक्षा की जा रही है इसी बीच विकासशील खनन चल अयस्क ड्रेसिंग संयंत्र की अवस्थापना, अत्यावश्यक भवनों तथा सम्बन्धित सड़कों के निर्माणार्थ विशिष्ट व्यक्तियों के भेजने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

देवरी जिंक स्मैल्टर विस्तार

सितम्बर, 1971 में विषपान समैल्टर के विस्तार हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। परामर्श व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच हो रही है।

उदयपुर के निकट मैटन राक फासफेट खदान का विकास

सरकार ने अभिशोधन सुविधाओं सहित मैटन के राक फासफेट माइन के विकास के लिए हिन्दुस्तान जिंक लि० की योजना को स्वीकार कर लिया है। हिन्दुस्तान जिंक लि० ने उसे कार्यान्वित करने के बारे में आवश्यक कदम उठाए हैं।

4. खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट

इस परियोजना का पर्याप्त निर्माण हो चुका है और 1974 में आरम्भ में इसके चालू होने की सम्भावना है।

5. दरीबा कापर प्रोजेक्ट : यह परियोजना निर्माणाधीन है और 1973 के मध्य चालू हो जाएगी।

6. दी चांदमारी कापर प्रोजेक्ट : इसे अभी प्रारम्भ करना है और आशा है कि 1975-76 में चालू हो जायेगी।

Urban and Rural Investment ordinance Bill, 1972

2206. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Urban and Rural Investment ordinance/Bill, 1972 has been submitted by the Government of Madhya Pradesh to the President for his prior approval;

(b) if so, whether the requisite approval has since been accorded; and

(c) if not, the present position thereof and the reasons for delay ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

विश्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों की सहायता

2207 **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक लघु उद्योगों के लिए अपनी गैर परियोजना सहायता के रूप में भारत को वित्तीय अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता को भारत में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तांबे के तार की चोरी

2208. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे के तार और अन्य उपकरणों की चोरी के कारण सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत दो वर्षों में राज्य-वार कितनी हानि उठानी पड़ी, और

(ग) क्या सरकार ने इस गम्भीर समस्या के अध्ययन के लिए कोई समिति नियुक्ति की है और यदि हाँ, तो उसके निदेशक पद क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

1970-71 और 1971-72 के दौरान तांबे के तार की चोरियों से होने वाला नुकसान (राज्य-वार)

राज्य का नाम (सर्किल)	1970-71	1971-72
	रुपये	रुपये
1. आँध्र	1276325	559973
2. असम	1278271	1631409
3. बिहार	6896179	3171424
4. मध्य प्रदेश	1001868	1134753
5. गुजरात	156445	103073
6. जम्मू व कश्मीर	7080	3350
7. केरल	84346	57881

8. तमिलनाडु	618154	787275
9. महाराष्ट्र	1517241	1990284
10. मैसूर	117938	—
11. उड़ीसा	848502	1871194
12. पंजाब	2540912	1036809
13. राजस्थान	38750	200444
14. उत्तर प्रदेश	7111172	3801330
15. पश्चिमी बंगाल	6216010	4503369
	29709193	20852568

Appointment of Commission by Tamil Nadu Government on Roits in Ferozabad and Banaras

2209. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister or Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a Commission consisting of Members of Parliament of D. M. K. and Muslim League was sent by Tamil Nadu Government to Uttar Pradesh to enquire into the roits that took place in Ferozabad and Banaras on the issue of Aligarh University Act;

(b) whether the said Commission has submitted its report; and

(c) if so, whether a copy thereof would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnal (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) : Government have seen press reports that some persons including Members of Parliament belonging to DMK and Muslim League had visited Ferozabad and Varansi, The Government of Tamil Nadu have been requested to furnish relevant facts.

Inquiries by C. B I. Against Gazetted Officers, Ex-Chief Ministers, Minister in states and Chairman of Corporations

2211. Shri Hukam Chaad Kachwai : Will the Prime Minister be pleased to state ;

(a) the number of Gazetted Officers in Central and State Government ex-Chief Ministers and Ministers in States and Chairman of various Corporations under Central and State Governments against whom enquiries have been conducted by the Central Bureau of Investigation during the last two years; and

(b) the number of those against whom cases have been filed in courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) : The number of persons of these categories againstwhom the Central Bureau of Investigation have conducted enquiries during the period from 22nd November 1970 to 21st November 1972 and the number of those against whom chargesheets have been field in court are furnished below :-

	No. of Officers etc against whom enquiries were made.	No. of Officers etc. chargesheeted in courts.
(i) Gazetted Officers in Centrai Govt.	1564	106
(ii) Gazetted Officers in State Govt.	154	33
(iii) Ex-Chief Ministers in States.	1	1
(iv) Ministers in States.	7	1
(v) Chairmen of Corporations under the Central Government.	3	Nill
(vi) Chairmen of Corporations under the State Governments.	3	Nill

टेलीफोन स्विचगियर फैक्टरी, केरल

2212. **श्री ए० एम० जोजफ :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थापित की जाने वाली टेलीफोन स्विचगियर फैक्टरी के स्थापना स्थल को अन्तिम रूप से चुन लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कौन सा स्थान चुना गया है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख)—टेलीफोन स्विचिंग उपकरण का दूसरा कारखाना उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थापित करने का निश्चय किया गया है। रायबरेली में कारखाने के लिए भूमि का चुनाव कर दिया गया है और इस एकक को स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

Utilisation of research made in Various laboratories in the Fields of Industry and trade

2214. Shri Onkar lal Berwa : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the progress made in the utilisation of research being conducted in Laboratries by Industry and Trade in the conntry is not encouraging,

(b) the amount spent so far on development of laboratories and on researches made therein.

(c) whether the utility of research work has been assessed, and

(d) the steps being taken to avoid duplication of research work being conducted in various laboratories and to reduce the import of foreign know-how ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C.Subramaniam): (a) No, Sir. There has been a steady increase in the number of CSIR researches being utilised by Industry. In 1967 the percentage of processes utilised by industry was 42% while in 1971 it has risen to 46.6%.

(b) The expenditure incurred on the national laboratories/organisations under the CSIR, during the last 5 years, year-wise, is given below :—

(Figures in lakhs)

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
Total Expenditure :	1371.991	1473.562	1432.543	1622.330	1722.553

(c) By and large the managment of Natoinal Laboratories is vested with the Executive Councils of the Laboratories and the utility of research work is assessed by them from time to time.

The progress of utilisation of research results is given in the following publications brought out by the C.S.I.R. :—

(i)	Research for industry.	—	1964
(ii)	Data on Research Utilisation.	—	1965
(iii)	Data on Research Utilisation.	—	1966
(iv)	Data on Research Utilisation-	—	1967-68

CSIR Laboratories have made some significant contributions. These are described in the brochure entitled (i) 25 years of CSIR (ii) CSIR Special Report (1970)—and Science aids industry—(1972). Copies of these publications are available in the Library of Parliament.

(d) In pursuance of one of the recommendation of the Sarkar Committee in Part-II, the National Laboratories/Institutes have been formed into six groups, namely, (i) Chemical Sciences Group (ii) Physical and Earth Science Group (iii) Engineering Group (iv) Biolagical Sciences Group, (v) Fibre Group, (vi) Information Sciences Group the rationale' for such groups being optimum inter laboratory cooperation, and coordination councils have been constituted consisting of the Directors/Heads of the National Laboratories concerned for each of the group.

The Chairmen of the Co-ordination Councils will serve as links between policies and programmes and goals of their group of Laboratories and those of the CSIR as a whole and this would avoid duplication of work.

Besides, steps have been taken to arrange inter laboratory meetings on subjects of interest to more than one laboratory and to the exchange of research programmes, annual reports and other publications between the National Laboratories which will help avoid duplication of research work

As for the question of import of foreign know-how the reasons for preference of public and private sector industries for foreign collaboration are Stated to be that such collaboration is on a continuing basis and is backed by performance guarantee.

Action has been initiated to set up engineering consultancy centres dealing with chemical, civil and mechanical engineering to evaluate the techno-economic data, help in selecting engineering consultancy firms and provide design engineering support where necessary.

Steps have also been taken to stream-line procedure for transfer of technology from research laboratories to industrial firms as given below :—

(i) It is proposed that there should be a single nodal point for decision making consisting of the laboratory, CSIR and NRDC sitting together to evaluate and decide about the licencing of processes, terms and parties to be licensed. Thus it will go to a single point for decision making and not move from one organisation to another.

(ii) The Managing Director of the NRDC has been given powers to grant know-how, licences on behalf of the Board of Directors in accordance with the approved guidelines.

(iii) A provision of Rs. 2 crores has been made to the NRDC for providing risk capital and setting up developmental and experimental plants.

(iv) Karimnagar District has been adopted to bring science to the doors of the people that need it.

With improved procedures for transfer and adequate technological support it is expected that there will be significant improvement in the transfer and successful commercialisation of the results of researches carried out in the National Laboratories and this would reduce import of foreign know-how.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

2216. श्री विश्वनाथ झुंझुन वाला : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित तथ्यों के अनुरूप ही गत तीन वर्षों से औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो दोनों क्षेत्रों में कितना कम पूंजी निवेश हुआ है; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में कमी के क्या कारण हैं और क्या इसका एक कारण सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका के बारे में कोई निर्णय न किया जाना है और इस निर्णय को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चौथी योजनावधि में सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों में निवेश के सम्बन्ध में वर्ष वार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। फिर भी, समूची योजनावधि में संगठित उद्योग तथा खनन के लिए लगभग 5298 करोड़ कार्य का निवेश चतुर्थ योजना के लिए रखा गया था जिसमें से 3048 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में तथा 2250 करोड़ रुपये निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में खर्च किए जाना था।

वर्षवार किसी विशिष्ट लक्ष्य के अभाव में (ख) और (ग) में निर्देशित प्रश्न उठता ही नहीं।

विदेश में रोजगार देने के लिए ओवरसीज बुकिंग सैंटर, द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस एकत्र करना

2217. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज बुकिंग सैंटर विदेशों में एक नौकरी देने के लिये एक हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस एकत्र कर रहा है ;

(ख) क्या धन एकत्र करने के बाद भी यह फर्म उन व्यक्तियों को कोई रोजगार नहीं दिला रही है जो उसके पास रजिस्टर हैं और न ही उन्हें धन लौटा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) : जाँच-पड़ताल की जा रही है।

राजस्थान के लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को केन्द्रीय सहायता

2218. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु और माध्यम, स्तर के उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि दी है ;

(ख) उन परियोजनाओं की प्रगति क्या है जिसके लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी ;

(ग) इसी अवधि के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अन्य राज्यों को आवंटित की गई केन्द्रीय धनराशि की तुलना में राजस्थान को आवंटित की गई धनराशि की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या राज्य की अर्थ व्यवस्था की धीमी गति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार का विचार अन्शदान को बढ़ाने का है ?

औद्योगिक विकस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता क्षेत्रों द्वारा या योजनाएं कार्यक्रमों द्वारा न दी जाकर वार्षिक योजना के आधार पर इकट्ठे अनुदान और ऋणों के जरिये दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का नियतन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3849/72] ।

(घ) केन्द्रीय सहायता में राजस्थान के अंश पर इकट्ठे केन्द्रीय अनुदान और ऋणों के नियतन के सम्पूर्ण नमूने को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक संगठन में समायोजन

2219. श्री कुशोक बाकुला : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र को अन्तिम रूप देते समय इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक संगठन में आवश्यक समायोजन करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण को अभी तक सरकार ने अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश पर रेल डाक सेवा यातायात

2220. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालापुर रेलवे स्टेशन हरिद्वार के निकट (उत्तर प्रदेश), पर रेल डाक सेवा, के बहुत अधिक थैले प्राप्त होते हैं, परन्तु हथ-ठेलों की कमी के कारण चपरासियों को डाक के भारी थैले आर० एम० एस० डाकघर से गाडियों तक और गाड़ियों से डाकघर तक अपने मित्रों और सहयोगियों की साइकिलों पर रख कर ले जाने और लाने पड़ते हैं और

(ख) क्या सरकार का विचार डाक के थैलों के लाने-ले जाने के लिए इस स्टेशन पर हथ ठेलों का प्रबन्ध करने का है और यदि हां, तो यह ठेले कब तक उपलब्ध करवाये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर कोई रेल डाक सेवा कार्यालय नहीं हैं । ज्वालापुर उप डाक घर रेलवे स्टेशन से 0.75 किलोमीटर की दूरी पर है । इस उप डाक घर का मेल पियन रेलवे स्टेशन पर छह थैले देता है और वहाँ से पांच थैले ले जाता है । इस मेल पियन को कोई हाथ-ठेला या साईकिल नहीं दो गई है ।

(ख) जी हां, । सहारनपुर के सीनियर अधीक्षक, डाकघर को ऐसी हिदायतें जारी कर दी गई है कि थैले लाने ले जाने के लिए मेल पियन को एक हथ-ठेला साईकिल दे दी जाए ।

रोजगार के लिए आयोजना

2221. श्री बयालार रवि : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 25 अगस्त, 1972 में 'एजुकेटिड अनएम्पलायमेंट (शिक्षित बेरोजगारी)' और 'टाइम्स आफ इन्डिया' दिनांक 15, 16 तथा 17 जून, 1972 में

"प्लानिंग फार एम्पलायमेंट' (रोजगार के लिए आयोजना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेखों की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लेखों में उठाये गये प्रश्नों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) : जी, हां ।

(ख) उस लेख में दिये गये मुख्य सुझाव, अर्थात सेवा निवृत्ति की आयु घटाकर 55 वर्ष कर देने के सम्बन्ध में सरकार ने विचार नहीं किया है । उस लेख में दिये गये अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

Special Grants to Employees in place of Bonus by Heavy Electricals, Bhopal

2222. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Heavy Electricals, Bhopal have announced special grants for their employees in place of bonus;

(b) if so, the nature and the basis thereof; and

(c) the minimum special grant proposed to be given to each employee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

श्री जे०आर०डी० टाटा द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

2223. श्री के० बालदन्डायुतम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा प्रधान मन्त्री को दिये गए ज्ञापन में कौन से मुख्य सुझाव दिए गए हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है ? और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ज्ञापन में बताई गई बातों का सारांश दिया गया है । सरांश की एक प्रति 15 नवम्बर, 1972 को लोक सभा के ता० प्र० सं० 50 के उत्तर के साथ संलग्न की गयी थी ।

(ख) तथा (ग) देश में औद्योगिक वृद्धि द्रुतगति से करने की सरकारी नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है । विभिन्न सुझाव जैसे कि ज्ञापन में दिये गये हैं समय समय पर सरकार के समक्ष रखे जाते हैं । सरकार सभी सुझावों पर ध्यान देती है, सरकार की नीति औद्योगिक विकास को विशद आधार प्रदान करने और संसद त्वरित गति की आवश्यकता को सुनिश्चय से युक्त तथा सामाजिक न्याय से अनुच्युक्त होगी ।

पश्चिम बंगाल मे विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे मे प्रतिवेदन

2224. डा० रानेन सेन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई की स्थिति का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या निर्णय हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : जी, हाँ। पश्चिम बंगाल में बिजली की पलब्धि की स्थिति की समीक्षा सम्न्बधी कार्यदल की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और योजना आयोग उस पर विचार कर रहा है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को उद्योग स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया जाना

2225. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1970 से लेकर अब तक राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए 9 आशय-पत्र जारी किये है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आशय-पत्र के अन्तर्गत कितना उत्पादन होने का अनुमान है और प्रत्येक के अन्तर्गत रोजगार के कितने अवसर बनेंगे और इन परियोजनाओं में कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से इन परियोजनाओं को कोई वित्तीय सहायता मिलेगी और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ) 1 जनवरी, 1970 से 30 सितम्बर, 1972 की अवधि में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को दिये गये आशयपत्रों का ब्यौरा और अनुमानित उत्पादन, रोजगार क्षमता और इन परियोजनाओं द्वारा कार्य शुरू करने का संभावित वर्ष बताने वाला विवरण संलग्न है। ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 38:0/72] केन्द्रीय सरकार राज्य औद्योगिक विकास निगम की किसी भी परियोजना को सीधे आर्थिक सहायता नहीं देती है। परियोजनायें प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को नजरबन्द करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों को अनुदेश

2226. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मोहम्मद शरीफ़ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये

गये अनेक नजरबन्द व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को नये अनुदेश भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) कुछ मामले हुए हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1971 के अधीन जारी किये गये नजरबन्दी के आदेश इस आधार पर रद्द कर दिये हैं कि इनसे संविधान तथा अधिनियम की अपेक्षाओं का पूर्णरूप से पालन नहीं होता है। राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी सक्षम प्राधिकारी अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से सुपरिचित हो और अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की ओर आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं का पूर्णरूप से पालन किया जाता हो।

रूसी सहयोग से उत्तर प्रदेश में ट्रक निर्माण करने के लिये आवेदन-पत्र

2227. श्री समर गुह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहयोग से एक हल्के ट्रक के निर्माण के लिए लाईसेंस के लिए आवेदन-पत्र पश्चिम बंगाल के आवेदकों को नहीं दिया गया।

(ख) क्या परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकृत कर लिया गया है और अपेक्षित लाईसेंस शीघ्रता से जारी कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश से किन-किन आवेदकों ने आवेदन-पत्र दिये थे और परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के आवेदकों को लाईसेंस जारी करने और पश्चिम बंगाल के आवेदकों को जारी न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) मै० एसोसिएटेड इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज, कलकत्ता ने रूस के सहयोग से हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन करने के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्ति के लिए 6.10.64 को एक आवेदन पत्र दिया था। इस उपक्रम को पश्चिम बंगाल के पंछूट बांध क्षेत्र में अथवा उड़ीसा में कोरामुट के समीप स्थापित करने का प्रस्ताव था। चूंकि सरकार की नीति उस समय वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिये नए एकक स्थापित करने की अनुमति न देना था इसलिये 26.12.64 को आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था।

मै० एसोसिएटेड इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज, कलकत्ता, के कुछ संस्थापकों ने मै० इन्सोव आटों लिमिटेड नामक एक दूसरी कम्पनी चालू की और उसी रूसी सहयोग से हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन करने के लिये उत्तर प्रदेश में एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिये 4.4.70 को एक आवेदन दिया था। उस समय सरकार ने इस क्षेत्र में नए एककों को लाइसेंस देने पर लगी रोक को समाप्त कर दिया था। अतः इस आवेदन पर विचार किया गया और

लाइसेंस समिति की सिफारिश पर इस पार्टी को 12,000 की वार्षिक क्षमता के लिये 2.11.70 को एक आशय पत्र दिया था।

दोनों निर्णयों में परियोजना का स्थापनास्थल कोई कारण नहीं था।

लक्कादीव प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को उक्त द्वीप-समूह छोड़ने पर मजबूर किया जाना

2228. श्री के० बालदंडायुतम : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव प्रशासन ने कुछ लोगों को द्वीपसमूह छोड़ जाने पर मजबूर किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) लक्कादीव, मिनिकाय, मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह (प्रवेश व आवास प्रतिबन्ध) नियमावली, 1967 के नियम 3 में व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अधीन व अनुसार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो द्वीप समूह का निवासी नहीं है द्वीप समूह में प्रवेश अथवा वहां निवास अथवा प्रवेश करने अथवा निवास करने का प्रयत्न नहीं करेगा पर उस नियम के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के मामले में कोई ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी। 12 व्यक्ति जिनके अनुमति पत्रों की अवधि समाप्त हो गई थी तथा जिन्होंने अनुमति पत्रों का नवीकरण नहीं कराया था परन्तु जो द्वीपसमूह में बिना वैध अनुपत्रों के रह रहे थे सितम्बर, 1972 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था कि वे सर्वप्रथम उपलब्ध जहाज द्वारा द्वीप समूह से चले जायं। ये व्यक्ति 26 सितम्बर, 1972 को द्वीप समूह से चले गये।

(ग) क्योंकि उपरोक्त 12 व्यक्ति समूह के निवासी नहीं थे और द्वीप समूह में अवैध रूप से बिना वैध परमिट के रह रहे थे, अतः स्थानीय प्रशासन ने कानून उन्हें द्वीप समूह से चले जाने का आदेश दिया था।

बिहार के दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन

2229. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं के नाम क्या है जिनमें वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान एक हजार रुपए और इससे अधिक के विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये;

(ख) क्या विज्ञापनों के सम्बन्ध में बिहार के, विशेषकर छोटा नागपुर के दैनिक समाचार-पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं की उपेक्षा की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उन समाचार-पत्रों की एक सूची संलग्न है जिनको 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान विज्ञापन और दृश्य

प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गये विज्ञापनों के निमित 1000 रुपये तथा इससे अधिक की राशि दी गई। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या ए० टी० 3851/72]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए "पृष्ठ योजना"

2230. श्री निम्बालकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी "पृष्ठ योजना" की मुख्य बातें क्या है; और

(ख) क्या इसे कार्यान्वित कर दिया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार 1956 से एक समेकित क्षेत्र विकास स्कीम का कार्यान्वियन कर रही है जिसे "पृष्ठ-स्कीम" भी कहते हैं। प्रति वर्ष 4-5 जिलों के हिसाब से इस स्कीम का धीरे धीरे विस्तार किया गया। इस समय महाराष्ट्र के सभी 25 जिले इसके अन्तर्गत हैं और प्रत्येक जिले में एक समेकित क्षेत्र विकास खण्ड है जिसका संहत क्षेत्र 20,000 एकड़ से 30,000 एकड़ तक है और लगभग 25,000 लाभानुभोगी हैं। इस स्कीम का उद्देश्य छोटे किसानों की कृषि आय बढ़ाना है और इसका तात्पर्य सहायक धन्धों तथा अधिक रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा समेकित दृष्टिकोण अपनाकर छोटे किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों का अभिनिर्धारण करना तथा उनके लिए समाधान ढूंढना है। इस कार्यक्रम में ये सम्मिलित हैं :—भूमि विकास, सघन काश्तकारी, सिंचाई तथा दुग्ध उद्योग और मुर्गीपालन एकक। विदित हुआ है कि छोटे किसानों पर इस स्कीम का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।

महाराष्ट्र सरकार के विशेष रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजना आयोग ने इस स्कीम को पूरे राज्य में प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जिसके लिए 1972-73 के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई है जिसमें से 2.47 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

Nss Survey on Employment and Unemployment

2231. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) whether any survey regarding the present employment/unemployment position of the country has ecently been conducted by the National Sample Survey; and

(b) if so, the findings thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Brodcosting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : A sample survey is being carried out currenty by the National Sample Survey Organisation, Department of Statistics, with the main objective of collecting data on employment, unemployment and under-employment in the rural and urban areas of the

country. The field work of the survey began in October 1972 and is likely to last upto the end of September, 1973. Efforts will be made thereafter to bring out certain important results of the survey in 6 to 9 month's time.

तूफान और बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा को सहायता

2232. श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही के तूफान और बाढ़ से उत्पन्न कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए उड़ीसा की दिसम्बर, 1972 तक की मांग को पूरा कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को जून, 1972 तक नकद तथा वस्तुओं के रूप में कितनी सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख). हाल के तूफान व बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार ने दिसम्बर, 1972 तक 2033.72 लाख रुपये की राशि आवंटित करने के लिए मांग की थी। राज्य सरकार को 30 जून, 1972 तक तथा अब तक नकद तथा सामान दोनों में दी गई सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को तूफान व बाढ़ के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए दी गई सहायता

सहायता देने वाला भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग	दी गई नकद सहायता 30-6-72 तक	अब तक	सामान के रूप में दी गई सहायता
वित्त मंत्रालय	3.00 करोड़ रुपये	4.00 करोड़ रुपये	
कृषि विभाग	3.00 करोड़ रुपये	3.00 करोड़ रुपये	
योग	6.00 करोड़ रुपये	7.00 करोड़ रुपये	
			दुग्ध का पाउडर 500 मैट्रिक टन और 300 बोरी। सोया अनाज की 1,740 बोरियाँ। गेहूँ 1,65,200 मैट्रिक टन चावल 69,800 मैट्रिक टन मक्का 2,800 मैट्रिक टन निम्नलिखित वस्तुएं भेजी जा रही हैं :— मटर—3,872 मैट्रिक टन सोया फोर्टीफाइड बलगर गेहूँ—5,824 मैट्रिक टन दुग्ध का पाउडर—966 मैट्रिक टन

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लग्जमवर्ग में संयंत्र की स्थापना करना

2233. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पुरुषोत्तम ककोडकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने लग्जमवर्ग में एक संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में स्थापित किया जाने वाला यह पहला कारखाना होगा; और

(ग) विदेश में कारखाना लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड अपनी मशीन के फिनिशिंग करने के लिए लग्समवर्ग में एक छोटा 'बेस शॉप" स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

(ख) क्योंकि यह एक कारखाना नहीं होगा इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लग्समवर्ग में प्रस्तावित बेस स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यूरोप में एच०एम०टी० के मशीनों औजारों की निर्यात बिक्री को बढ़ाना है।

इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा उड़ीसा तट में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण

2234. डा० रानेन सेन : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड का मोनोजाइट तत्व का पता लगाने के लिए उड़ीसा तट में खनिज रेत निक्षेपों की तकनीकी एवं आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब तक आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस अध्ययन को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग). उड़ीसा के समुद्र तट पर पाये जाने वाले रेत के खनिज युक्त निक्षेपों में विद्यमान सभी मूल्यवान खनिजों, जिनमें मोनाजाइट भी शामिल है, को निकालने के लिए मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा उन निक्षेपों का सम्भाव्यता अध्ययन तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से किया जा रहा है। इस अध्ययन के मार्च 1973 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

Grants from Centre to States

2235. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Minister of Planning has suggested recently that the Central Government should give grants to such States only as implement the schemes within scheduled time and in an appropriate manner;

(b) if so, whether the Central Government have agreed to this suggestion,

(c) whether the State Government have also agreed thereto, and

(d) if so, the names of the States which have agreed and the names of the States which have protested against it ?

The Minister of State in Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) while addressing a public meeting at Dadri in Haryana on 26.10.72, the Minister for Planning had suggested that one of the criteria for the allocation of Central assistance should be preformance in the implementation of the plan projects.

(b) and (c) Both the Centre and the State Government are yet to examine the issus.

(d) Does not arise.

विदेश मिशनों द्वारा भारतीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन के लिए खरीदे गये स्थान

2236. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ देश अथवा उनके भारत स्थित मिशन भारतीय समाचार-पत्रों में राजनीतिक विचारों के प्रशासन के लिए कभी-कभी एक-एक संस्करण में कई-कई पृष्ठों तक का बहुत सा विज्ञापन स्थान खरीद रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने इस प्रचार के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त की है ; और

(ग) इस प्रचार के लिए भारत स्थित विदेशी मिशनों अथवा उनके एजेंटों ने विभिन्न समाचार पत्रों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) भारत में स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

(ग) भारतीय समाचार-पत्रों एवम् पत्रिकाओं के विज्ञापन विदेशी दूतावासों द्वारा सीधे ही दिये जाते हैं । सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को हुई हानि

2237. **डा० कर्णसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैवी इलैक्ट्रिकल्स (आई) लिमिटेड, भोपाल, के चेयरमैन द्वारा 30 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई 16 वीं वार्षिक जनरल मीटिंग में दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया था कि वर्ष 1971-72 में कार्य संचालन सम्बन्धी लेखों से 142 लाख रुपये की हानि का पता चलता है और इस कम्पनी को 31 मार्च 1972 तक 5,927 लाख रुपये की कुल हानि हो चुकी थी, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां ! वर्ष 1971-72 के कार्यसंचालन परिणामों के अनुसार हैवी इलैक्ट्रिकल (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल को 142 लाख रु० की हानि हुई । वर्ष 1970-71 में कम्पनी को हुई 578 लाख रु० की हानि से तुलना करने पर इसकी स्थिति में सुधार हुआ है । इसके अलावा यदि पहले के वर्षों के 231 लाख रु० के लाभ को लेखों में लिया जाय तो वर्ष में 89 लाख रु० की शुद्ध बचत हुई है । 31-3-1972 तक कम्पनी को हुई कुल हानि अनुमानतः 5927 लाख रु० है । सरकार को स्थिति

की पूरी जानकारी है और प्रबन्ध में आवश्यक पुनर्गठन करने के अलावा कम्पनी के पूंजीगत ढांचे को पुनर्गठित करने का फैसला किया गया है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होगा।

राज्यों को सहायता देने का मापदण्ड

2238. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह अपने सहायता फार्मूले में परिवर्तन करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों की राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृति केन्द्रीय सहायता आवंटित करने के वर्तमान मापदण्ड में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवर्तित करने का कोई इरादा नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में उन सिद्धान्तों के आधार पर जिनसे राज्यों की केन्द्रीय सहायता नियत की जा सकेगी, अभी विचार किया जाना है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उद्योग पतियों और व्यापारियों के कदाचारों की जांच

2239. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने उद्योग पतियों और व्यापारियों के कदाचार संबंधी मामलों की जांच की जा रही है; और

(ख) कितने मामलों में मुकदमे दायर किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) दिनाँक 17-11-1972 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियों के विरुद्ध तथा कथित कदाचार सम्बन्धी, 277 मामलों की जाँच की जा रही थी। वर्ष 1971 तथा 1972 (17-11-1972 तक) के दौरान, इस तरह के 233 मामलों में मुकदमे चलाए गए थे।

Investment of Capital in Companies Manufacturing Cosmetics

2240. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of Companies manufacturing cosmetics in which foreign capital is invested;

(b) the amount of foreign capital invested in each of them; and

(c) the amount remitted by them to foreign countries from India so far by way of profits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :
(a) & (b) A statement is attached.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

S. No.	Name of the Company	Percentage of Foreign Capital
1.	M/s. Beecham (I) Pvt. Ltd., Bombay.	100%
2.	M/s. Burroughs Welcome & Co. (I) Pvt. Ltd., Bombay.	100%
3.	M/s. Colgate Palmolive (I) Pvt. Ltd., Bombay.	100%
4.	M/s. CIBA of India Ltd., Bombay.	65%
5.	M/s. Duphar Interfran, Bombay.	50%
6.	M/s. Gooffrey Manners & Co. Ltd. Bombay.	45%
7.	M/s. Glaxo Laboratries (I) Pvt. Ltd., Bombay.	77.5%
8.	M/s. Hindustan Lever Ltd., Bombay.	85%
9.	M/s. Johnson & Jahnson (India) Ltd. Bombay.	75%
10.	M/s. Reckitt & Colman of India Ltd., Calcutta.	100%

डाकू-ग्रस्त वातावरण को डाकुओं से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

2241. श्री रणबहादुर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए, जिनमें डाका डालना सरल होता है, मध्य प्रदेश सरकार ने डाकूग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार को 18 करोड़ रुपए का पंच वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) समाज कल्याण तथा पंचायत मंत्री, मध्य प्रदेश ने सरकार को डाकूओं को फिर से बसाने की एक योजना दी थी जिस पर 18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) योजना विचाराधीन है ।

Fire in Subzi Mandi, Delhi

2242. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) Whether fierce fire broke out twice in Subzi Mandi, Delhi within ten days recently resulted in an estimated loss of Rs. 50 lakhs;

(b) if so, whether Government have given some amount as grant to the affected persons ; and

(c) If not, the reasons therefor

The Deputy Minister in the Ministary of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes,Sir. Two fires broke out in New Subzi Mandi, Azad Pur, Delhi on 23.9.1972 and 29.9.1972. The Chief Fire Officer, New Delhi has estimated the loss in these fires at Rs. 10,000,00 and Rs. 3,50,000 respectively.

(b) No, Sir.

(c) No formal application for grant was made by the affected persons.

मैसूर में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेन्स जारी करना

2243. श्री के० मालन्न : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में और 1 अप्रैल, 1972 से 30 अक्तूबर, 1972 तक लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मैसूर राज्य में कितने नये लाइसेन्स जारी किये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या कुछ लघु उद्योगों में, जिनको लाइसेंस जारी किये गये थे, कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(घ) ऐसे लघु उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सामान्यतौर पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे माल के आवंटन की स्थिति सुधरी है जो निम्न प्रकार है:—

मैसूर राज्य के लघु उद्योग एककों को जारी किये गये लाइसेन्सों का मूल्य

वर्ष	रु० लाखों में
1969-70	268
1970-71	389
1971-72	602

लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा मैसूर राज्य को किया गया अलौह धातुओं को आवटन

वस्तु	वर्ष	लघु क्षेत्र को कुल आवंटन	मैसूर क्षेत्र को आवंटन
(1)	(2)	(3)	(4)
ई० सी० ग्रेड	1970-71	20,500 मी० टन	415 मी० टन
अल्यूमिनियम	1971-72	30,000 „ „	567 „ „
	1972-73 (आज की तिथि तक)	24,140 „ „	1022 „ „
कार्मशियल ग्रेड	1971-72	5,000 „ „	258 „ „
एल्युमिनियम	1972-73 (आज की तिथि तक)	5,000 „ „	262 „ „
जस्ता	1971-72	1,000 मी० टन	15 मी० टन
	1972-73 (आज की तिथि तक)	1,500 मी० टन	20 मी० टन
केडमियम	1972-73	14,500 किलो ग्राम	170 किलो ग्राम
एन्टीमोनी	1970-71	90,000 „ „	9,583 „ „
	1971-72	1,00,000 „ „	10,653 „ „

लोहा और इस्पात

(1) एस० पी० सी० (ए) सूची—मैसूर राज्य को आवंटन:—

अवधि	कुल आवंटन मी० टनों में
जनवरी-मार्च, '71	441
अप्रैल-जून, '71	—
जुलाई-सितम्बर, '71	1221
अक्तूबर-दिसम्बर, '71	883
जनवरी-मार्च, '72	1542
अप्रैल-जून '72	1625
जुलाई-सितम्बर, '72	जे० पी० से० से विवरण प्रतीक्षित है।
अक्तूबर-दिसम्बर '72	1829

(2) तैयार इस्पात का वास्तविक प्रेषण .000 मी० टनों में:-

अवधि	मैसूर राज्य में एस० एस० आई० सी०/एस० एस० आई एककों को कुल प्रेषण
1970-71	1.7
1971-72	8.5
1972-73 (अप्रैल-जून, '72)	2.5

मैसूर में लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी

2244. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में लघु उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चे माल की भारी कमी है।

(ख) यदि हाँ, तो उस राज्य में कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण कितने लघु उद्योग बन्द हो गये हैं; और

(ग) क्या इन लघु उद्योगों ने कच्चे माल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में कच्ची सामग्री की सामान्य रूप से कमी है जो कि मैसूर राज्य सहित सभी राज्यों के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) मैसूर राज्य सहित देश के सभी भागों से कच्ची सामग्री की कमी के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपलब्धता के आधार पर लघु उद्योगों को कच्ची सामग्री के संभरण को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कच्ची सामग्री के आवंटन की स्थिति में निम्न प्रकार से सुधार हुआ है:—

मैसूर राज्य के लघु उद्योग एककों को जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य

वर्ष	रु० लाखों में
1969-70	268
1970-71	389
1971-72	602

लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा मैसूर राज्य को किया गया अलौह धातुओं का आवंटन

वस्तु	वर्ष	लघु क्षेत्र को कुल आवंटन	मैसूर क्षेत्र को आवंटन
(1)	(2)	(3)	(4)
ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम	1970-71	20,500 मी० टन	415 मी० टन
	1971-72	30,000 ,, ,,	567 ,, ,,
	1972-73 (आज की तिथि तक)	24,140 ,, ,,	1022 ,, ,,
कामर्शियल ग्रेड एल्युमिनियम	1971-72	5,000 ,, ,,	258 ,, ,,
	1972-73 (आज की तिथि तक)	5,000 ,, ,,	262 ,, ,,
जस्ता	1971-72	1,000 मी० टन	15 मी० टन
	1972-73 (आज की तिथि तक)	1,500 ,, ,	20 ,, ,,
केडमियम	1972-73	14,500 किलो ग्राम	170 किलो ग्राम
एन्टीमोनी	1970-71	90,000 ,, ,,	9,583 ,, ,,
	1971-72	1,00,000 ,, ,,	10,653 ,, ,,

लोहा और इस्पात

(1) एस० पी० सी० (ए) सूची—मैसूर राज्य को आवंटन

अवधि	कुल आवंटन मी० टनों में
जनवरी-मार्च, '71	441
अप्रैल जून, '71	—
जुलाई-सितम्बर, '71	1221
अक्तूबर-दिसम्बर, '71	883
जनवरी-मार्च, '72	1542
अप्रैल-जून, '72	1625
जुलाई-सितम्बर, '72	जे० पी० से० से विवरण प्रतीक्षित है
अक्तूबर-दिसम्बर, '72	1829

(2) तैयार इस्पात का वास्तविक प्रेषण' 000 मी० टनों में

अवधि	मैसूर राज्य में एस० एस० आई० सी०/एस० एस० आई० एककों को कुल प्रेषण
1970-71	1.7
1971-72	8.5
1972-73 (अप्रैल-जून, '72	2.5

Setting up of Distillries in Goa, Kerala and Andhra Pradesh

2245. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased te state :

(a) whether Government propose to set up distilleries in Goa, Kerala and Andhra Pradesh: and

(b) their production capacity and whether their produce will be sold India or exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाईन अहमदाबाद को अनुदान और सहायता

2246. श्री पीलू मोदी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाईन, अहमदाबाद को हाल ही में कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) इस इन्स्टीट्युट को विभिन्न स्रोतों से अनुदानों तथा सहायता के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) गुजरात राज्य सरकार से इस इन्स्टीटयुट को अनुदान सहायता के रूप में कुल कितनी राशि मिली है; और

(घ) क्या इन्स्टीटयुट की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, और यदि नहीं, तो भारत सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) नेशनल इन्स्टीटयुट आफ डिजाईन को इसकी स्थापना के समय 1961 से सभी साधनों से प्राप्त अनुदान की कुल राशि, केन्द्रीय सरकार के राशि सहित 203.19 लाख रुपये है। इसमें से केन्द्र सरकार ने 116 लाख रुपए दिये हैं। गुजरात सरकार ने 17 लाख रुपये दिये हैं।

(घ) संस्था का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के डिजाईन ग्राफिक आर्टस् आर्चीटेक्चर (वस्तुकला) नगर नियोजन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवा की व्यवस्था करना है। इस उद्देश्य के लिए संस्था कार्य कर रही है।

भूतपूर्व त्रिपुरा के महाराजा का महल

2247. श्री बीरेन दत्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व त्रिपुरा के महाराजा के महल को भारत सरकार ने खरीद लिया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके लिए क्या कीमत अदा की है; और

(ग) इस महल को किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जी नहीं श्रीमान् । किन्तु राज्य सरकार अपने कुछ कार्यालयों के लिए उज्जयन्ता महल को खरीदने पर विचार कर रही है ?

Installation of Shaheed Minar Near Rajghat

2248. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a 'Shaheed Minar' was installed by the revolutionries in memory of all the martyrs of the country on 15th August, 1972 near Rajghat, New Delhi which was later on demolished by the police in the night; and

(b) the reaction of Government there to and the nature of assistance proposed to be given by the Government for the installation of the Shaheed Minar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) No Minar or any other structure was installed by revolutionries in the memory of all the martyrs of the country on 15th August, 1972 near Rajghat, New Delhi. However, 35 marble slabs were placed on the road side near Ring Road between Gandhi Samadhi and Shanti Van by some persons on 14.8.1972. A case was registered by the police u/s 112/117 Bombay Police Act for causing obstruction to the flow of traffic. One person was arrested in this case and the slabs, darries etc., lying on the spot were taken in to possession by the local police. The slabs were returned on 23. 8. 1972 under orders of the court.

(b) There is no proposal for given assistance by the Government for installation of a Shaheed Minar.

Shortage of Material for Movies and Audioe—Visual Aid to M. P.

2249. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of material required for movies and audio-visual aids in Madhya Pradesh and the programmes of publicity and broadcasting are being hampered as a result thereof; and

(b) if so, the arrangements being made by the Central Government to provide these articles to the Government Departments on priority basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Ministry has not received any intimation to this effect from the Govt. of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा सरकार द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का व्यौरा देने वाले पर्चे प्रकाशित किया जाना

2250. श्री दशरथ देव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा सरकार को ऐसे पर्चे प्रकाशित करने के लिए कोई अनुदेश दिये हैं जिनमें भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का उल्लेख हो;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में त्रिपुरा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) त्रिपुरा में भाषायी अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने त्रिपुरा सरकार से भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए किये गये सुरक्षण के ब्यौरे की एक पुस्तिका प्रकाशित करने का अनुरोध किया है ।

(ख) त्रिपुरा सरकार ऐसी एक पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए कदम उठा रही है ।

(ग) त्रिपुरा सरकार ने कुछ चुने हुये स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर त्रिपुरा तथा लुशाई भाषा में तथा माध्यमिक स्तर पर लुशाई भाषा में शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध किये हैं ।

अल्पसंख्यकों की भाषा में पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षकों की व्यवस्था करने में कुछ प्रगति हुई है ।

त्रिपुरा सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की एक सूची भी बनाई हैं जहां जनसंख्या का 15 प्रतिशत या इससे अधिक भाषायी अल्पसंख्यकों का है ताकि उनके लिए सूचनाओं, नियमों, कानून के संक्षेप इत्यादि के प्रकाशन से सम्बन्धित प्रशासनिक सुविधाओं की व्यवस्था हो सके ।

त्रिपुरा सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती में क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान की पूर्व शर्त नही होनी चाहिए ।

शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी की समस्या हल करने संबंधी योजनाएं

2251. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों तथा अन्य बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करने के लिये तैयार की गई स्कीमों की मुख्य बातें "रोजगार अवसर" नामक पुस्तिका में विस्तृत रूप से दी गई हैं, जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा संसद सदस्यों में भी उन्हें परिचारित किया गया था।

समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजना

2252. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार और लाभप्रद उद्योग उपलब्ध कराने के लिए आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाया गया है, यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह कार्यक्रम कितने जिलों में प्रारम्भ किया जायेगा और इससे अनुमानतः कितने लोगों को लाभ होगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3852/72]

Arrest of Hoarders and Profiteers in Bihar

2253. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of hoarders and profiteers arrested in Bihar under the Defence of India Act. for hoarding foodgrains, food products and other essential articles, during the current year; and

(b) the quantity of foodgrains seized from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prarad) : (a) and (b) The information has been called for from the Government of Bihar and on receipt, be laid on the Table of the House.

Scheme for Manufacture Tractors in Bihar

2254. Shri Chiranjiv Jha : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have submitted a scheme for the manufacture of 20/25 horse power every year at a cost of Rs. 15,70,00,000 in purnea Patna and Ranchi;

(b) whether the Central Government have given their approval to the scheme and propose to give assistance to the Bihar Government for its implementation; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Such a scheme was submitted by the Bihar State Agro-Industrial Development Corporation and the capital cost of the project was estimated at Rs. 10 million only.

(b) and (c) : The scheme is under consideration. All possible assistance will be given to the Corporation to implement the scheme after it is approved.

Inclusion of Ladakhi Language in the Eighth Schedule to the Constitution.

2255. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include Ladakhi language in the Eighth Schedule to the Constitution ;

(b) if so, the time by which it would be included ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

(c) It is the considered view of the Government that in the wider national interest the Eighth Schedule should not be enlarged further.

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में बिजली उत्पादन एककों में बिजली उत्पादन

2256. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में बिजली उत्पादन एककों में उत्पादन बड़ा फीका है और यदि हां, तो उपरोक्त कारखानों तथा अन्य कारखानों में इसका उत्पादन तेज करने के लिए सरकार का क्या कार्यवही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विद्युत उत्पन्न करने के उपकरण केवल सरकारी क्षेत्र में हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के संयंत्रों में ही निर्मित किए जा रहे है। ये सूक्ष्म प्रकार की वस्तुएं हैं और इनके डिजाइन, निर्माण में आपरेटरों द्वारा अपेक्षित उच्च श्रेणी की दक्षता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है कुछ थोड़े से सेटों के मामले में कुछ विलम्ब को छोड़कर उपर्युक्त आर्डर के अनुसार उत्पादन होने से वर्तमान आवश्यकतायें बहुत कुछ पूरी हो रही हैं जो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा डिलीवरी के पश्चात उपकरण लगाने और उन्हें चलाने के अनुरूप होंगी। थर्मल और हाइड्रो के लिए एच० ई० (आई०) एल० भोपाल और बी० एच० ई० एल० एककों द्वारा 1975-76 तक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है जो न्यूक्लियर टर्बाइनों के लिए 2.35 लाख कि० वा० के आलावा क्रमशः 27 लाख कि० वाट/वार्षिक और 13 लाख किलो वाट/वार्षिक है। इस आर्डर की क्षमता इतनी होगी कि आशा है कि इससे विद्युत क्षेत्र की प्रत्याशित आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जाएंगी।

पुनः नौकरी पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निश्चित करना तथा उन्हें युद्ध सेवा वेतन वृद्धि देना

2257. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी पर लगाने वाले विभागों को इन सैनिकों को फिर से नौकरी देने पर उनका वेतन निश्चित करने और युद्ध सेवा वेतन-वृद्धि देन से सम्बन्धित नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने क्या अनुदेश जारी किए ;

(ख) क्या इन अनुदेशों के बावजूद विभाग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस गलत प्रवृत्ति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाहीकरने विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) पुनः नौकरी पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निश्चित करने की प्रक्रिया के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालय के लिए आवश्यक है कि वे उनके अधीन पुनः नौकरी पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निश्चित करें। प्रशासनिक मंत्रालय, इस सम्बन्ध में अपने विवेक पर नीचे के प्राधिकारियों को इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो ऐसे निम्न प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए प्राधिकृत हैं। सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सिविल पदों में उनकी नियुक्ति पर वेतन निश्चित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए हैं। ऐसे कोई दृष्टांत देखने में नहीं आए हैं, जहां मंत्रालयों/विभागों द्वारा वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेशों का पालन न किया गया हो। तथापि, यदि कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है अथवा वेतन निर्धारण के विषय

में सम्बन्धित मंत्रालयों / विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टी करणमाँगा जाता है तो उस मामले से सम्बन्धित नियमों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी।

पम्प सैटों की निर्माण-क्षमता को बढ़ाना

2258. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों ने पम्प-सैटों के निर्माण समेत अपनी कृषि-उद्योग सम्बन्धी क्षमता को बढ़ा लिया है;

(ख) इन राज्यों की कितनी मुख्य एजेन्सियाँ पम्प-सैट सप्लाई कर रही हैं; और

(ग) क्या खराब पम्प-सैट सप्लाई करने के कारण इन एजेन्सियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन राज्यों में संगठित क्षेत्र में ऐसा कोई एकक नहीं है जो कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करता हो । पम्प उद्योग का बिहार में एक एकक है जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 192 नग है और प्रतिवर्ष 45,209 नगों की कुल क्षमता वाले 8 एकक पश्चिमी बंगाल में हैं।

(ख) तथा (ग). इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध बहुसंख्यक उपभोक्ताओं, उत्पादकों और अभिकरणों से है ।

भारती और रूसी योजना विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श

2259. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री वी० मायावन:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पहली नवम्बर, 1972 को भारतीय और रूसी योजना विशेषज्ञों के बीच वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उस में क्या निर्णय लिए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). सितम्बर, 1972 में योजना मंत्री ने अपने मास्को दौरे के दौरान जो विचार-विमर्श किया उसका अनुसरण करते हुए, सोवियत विशेषज्ञ जो कि सोवियत आयोजन संगठनों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे के तीन दल हाल में भारत आये । इनमें से एक दल इस समय (1) लोहीय और अलौहीय उद्योग तथा (2) दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने वाले औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में और जितना कुछ सहयोग किया जा सकता है उसकी संभावनाओं का पता लगाने के बारे में विचार-विमर्श कर रहा है ।

होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा का उपयोग

2260. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक प्रकोपों और दंगों के समय राहत देने के साथ-साथ इस कार्य के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करने का सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने केन्द्र की सलाह को माना है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को पहले ही ज्ञात है कि होम गार्ड का प्रमुख कार्य पुलिस की सहायक के रूप में सेवा करना तथा किसी भी प्रकार के आपात काल जैसे हवाई हमला होने, और आग लगने, बाढ़ आने तथा संक्रामक रोग फैलने इत्यादि में समुदाय की सहायता करना है। जहाँ तक नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों का सम्बन्ध है अगस्त, 1969 में राज्यों को सुझाव दिया गया था कि वे उनको आपात कालीन राहत संगठन के तुल्य बना सकते हैं तथा प्राकृतिक प्रकोपों के दौरान आपतकालीन राहत कार्य के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 13 राज्यों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है।

केरल का बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक 1972

2261. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक, 1972 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग). बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उन्मूलन) विधेयक, 1972 केन्द्रीय सरकार की सहमति के लिए प्राप्त हुआ है। विधेयक पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श में विचार किया जा रहा है।

आसनसोल में टायरों का घोटाला

2262 श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल क्षेत्र में ट्रक आदि के टायरों (हैवी ड्यूटी टाइप टायर) में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में दुर्गम क्षेत्र भत्ता

2263. श्री दशरथ देव : क्या **संचार** मंत्री त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र भत्ते के सम्बन्ध में 30 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 4167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंचनपुर, दासदा जैसे त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो भत्ते का भुगतान कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस मामले पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

रोजगार कार्यक्रमों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

2264. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के लिए राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में है अथवा ऋण के रूप में अथवा दोनों प्रकार की है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करने का है कि बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की सहायता सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उनको दी गई समूची वित्तीय सहायता को अनुदान समझ लिया जाये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता अधिकांशतः सीधे अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, इसके अपवाद केवल वे मामले हैं जिनसे स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण होता है और औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए जो ऋण दिए जाते है । प्रत्येक मामले में, सहायता एक-तिहाई अनुदान तथा दो-तिहाई ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि वर्तमान प्रणाली यानी एक-तिहाई अनुदान तथा दो-तिहाई ऋण देना जारी रखा जाय क्योंकि सहायता का उद्देश्य उत्पादक परिस्थितियों का निर्माण करना है।

Rural Industries in Champaran District of Bihar

2265. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the village industry schemes sponsored by the Central Government in Bihar are undertaken in certain selected Districts only;

(b) whether Government propose to undertake five such schemes in Champaran District and in each of all other Districts of Bihar in the near future; and

(c) if so, by which time they are likely to be undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Under the Centrally Sponsored Scheme of the 'Rural Industries Projects Programme' which aims at the intensive development of small industries in certain selected

rural areas. 5 projects were selected in Bihar during 1962-63; subsequently, the area was extended to cover all the districts, excluding towns with more than 15,000 population. Under the expansion programme, the Government propose to take up, during the Fifth Five Year Plan, new projects in 4 more districts of the State, including Champaran, Since the programme has to be extended to the whole country in a phasedmanner, the remaining districts of Bihar would be covered in subsequent Plan periods.

Progress of Small Scale Industries in Bihar

2266. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of be pleased to state :

(a) whether the progress of small scale industries in Bihar has been very slow despite the four Five Year Plans;

(b) whether the amount allocated for the small-scale industries during the four Five Year Plans has not been spent fully so far : if so, the reasons therefor;

(c) the amount alloocated for the development of small-scale industries in Bihar in the Fourth Five Year Plan, the amount spent so far, the number of industrial units set up and the number of persons provided with employment there; and

(d) whether the Central Government discussed this question with the Government of Bihar; and if so, the outcome of the discussions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) Information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House

संयुक्त क्षेत्र के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना

2267. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को कितने लाइसेंस दिये जाने हैं; और

(ख) किन किन औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये जाने हैं और इन उद्योगों में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) किसी भी वर्ग के आवेदकों को दिये जाने वाले लाइसेंसों की संख्या के बारे में सरकार पहले से कुछ नहीं कह सकती है। घोषित नीति के अनुसार तथा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को हटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नरैना कालौनी की डाक सम्बन्धी आवश्यकताएं

2268. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की नरैना कालोनी की डाक सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता है,

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाकघर के लिए भूमि का एक प्लाट निर्धारित किया है और यदि हां, तो क्या कालोनी में डाकघर की इमारत का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इमारत कब तक बन जाएगी तथा वहां के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाकघर खुल जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाकघर के लिए भूमि का एक प्लाट निश्चित किया है किन्तु इमारत बनाने के बारे में कुछ प्रतिबन्ध भी लगा दिए हैं। डाकघर की इस इमारत के निर्माण का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। इस प्लाट की उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

(ग) यदि यह प्लाट उपयुक्त पाया गया तो डाकघर के लिए इमारत बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। नरैना गांव में एक डाकघर पहले से ही काम कर रहा है और यह डाकघर निकटवर्ती दिल्ली विकास प्राधिकरण कालोनी की डाक संबधी जरूरतें पूरी करता है।

1946 में रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनानियों का दर्जा देना

2269. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1946 में रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उन स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय किया है जिन्हें तत्सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) : यह निर्णय किया गया है कि उन व्यक्तियों को, जिहोंने 1946 के रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लिया था, पेंशन आदि की स्वीकृति के लिए अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों के बराबर समझा जायगा यदि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ मे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना

2270. श्री मधु दण्डवते :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किराया नियन्त्रण अधिनियम सभा, चण्डीगढ़, ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें चण्डीगढ़ में किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू करने की मांग की गई है;

(ख) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने भी किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) पूर्वी पंजाब नगर किराया प्रतिबन्ध अधिनियम, 1949 के उपबन्धों को चण्डीगढ़ में लागू करते हुए 13 अक्तूबर, 1972 को एक अधिसूचना जारी की गई थी।

विभिन्न भवनों पर 'ब्रिटिश कोट आफ आर्म्स' का प्रदर्शन

2271. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति भवन जैसे सरकारी भवनों पर अब भी 'ब्रिटिश कोट आफ आर्म्स' का पुराना चिन्ह लगा है,

(ख) उन अन्य सरकारी भवनों अथवा संस्थानों के नाम क्या हैं जिन के ऊपर 'ब्रिटिश कोट आफ आर्म्स' का चिन्ह लगा हुआ है, और

(ग) इसे 'सत्यमेव जयते' में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रलाय मे उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1949 में राज्य सरकारों इत्यादि को आदेश दिए गये थे कि नये भारतीय चिन्हों द्वारा धीरे-धीरे अंग्रेजी ताज तथा अन्य पुराने प्रतीकों को सरकारी भवनों पर से बदलें। अधिकतर परिवर्तन किया जा चुका है। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुराने प्रतीक अनिश्चित काल तक न बने रहें राज्य सरकारों इत्यादि को पुनः आदेश दिए गये हैं कि पुराने प्रतीकों के स्थान पर नये प्रतीक स्थापित करने की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने के लिए कदम उठाये जायें परन्तु यह कार्य किसी भी स्थिति में 15 अगस्त, 1973 के पूर्व पूरा किया जाये। उनको यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि भारत के राज्य चिन्ह में 'सत्यमेव जयते' का आदर्श वाक्य जहां कहीं अब तक न लिखा हो, लिख दिया जाये। राष्ट्रपति भवन में केवल जयपुर स्तम्भ में 'ब्रिटिश कोट आफ आर्म्स' का चिन्ह विद्यमान है उसको बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अवैध वायदा व्यापार के लिए कम्पनियों तथा व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना

2272. श्री मधु दंडवते : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार आयोग ने वैध वायदा व्यापार के लिए कई कम्पनियों तथा व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने मुकदमें चलाए गए तथा कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया,

(ग) क्या अवैध वायदा व्यापार में कमी करने की दिशा में सरकार ने वायदा बाजार आयोग के योगदान का अनुमान लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो अनुमान का परिणाम क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक वायदा व्यापार करने वाली कम्पनियों और व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की दण्ड व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राज्य की पुलिस द्वारा चलाए

जाते हैं। वायदा बाजार आयोग, बम्बई के पास जो जानकारी होती है उससे वह राज्य की पुलिस को केवल सूचित ही करता हैं और उनको आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1969, 1970 और 1971 में 588 मामलों में अभियोग चलाया गया था और 100 मामलों में दण्ड दिया गया था।

(ग) तथा (घ). वायदा बाजार आयोग की प्रमुख भूमिका जैसी कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 4 में निर्धारित की गई है, अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत वायदा व्यापार के उचित विनियमन से सम्बन्धित है इसके अलावा वायदा बाजार आयोग छापे में पकड़े गए दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करने और अभियोग चलाने और उनकी जांच करने में राज्य की पुलिस को तकनीकी सहायता देकर अवैधनिक वायदा व्यापार पर रोक लगाने में बहुत उपयोगी और सक्रिय भूमिका अदा करना है।

भारतीय सीमेंट निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

2273. श्री वरके जार्ज :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय सीमेंट निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जाँच कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच की वे सिद्ध नहीं हुई।

औद्योगिक, कृषि, बिजली, सिंचाई तथा अन्य क्षेत्रों का विस्तार

2274. श्री डी० डी० देसाई : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक, कृषि, बिजली और सिंचाई के क्षेत्रों का विकास करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उसकी क्रियान्विति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए है। कृषि के सम्बन्ध में 1972-73 की रबी की फसल के लिए सरकार ने एक आपत्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ कर रखा है ताकि सूखा एवं बाढ़ के परिणामस्वरूप खरीफ के उत्पादन (1972-73) की सम्भावित कमी को पूरा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त पटसन तथा कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है जो योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात् बनाये गये ।

औद्योगिक उत्पादन को सुधारने और बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग सम्बन्धी उपाय भी सम्मिलित हैं । सूती वस्त्र, वनस्पति चीनी आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कपास, तिलहन तथा चीनी जैसी कच्ची सामग्री जो कि आपात्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है, की उपलब्धि पर निर्भर है ।

बिजली तथा सिंचाई के सम्बन्ध में वर्तमान ऐसी परियोजनाओं के विस्तार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं जहां ऐसा करना सम्भव है । इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है और बाधाएं दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है । हाल ही में जो सूखा राहत उपाय किए गए हैं उनसे भी कई क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं के सुधार में सहायता मिलेगी ।

शिमला के मुख्य डाकघर में आग लगना

2275. श्री राम भगत पास्वान :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में मुख्य डाकघर की इमारत में 22 सितम्बर, 1972 को आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने से कुल कितनी हानि हुई तथा आग लगने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 23 सितम्बर, 1972 को शिमला प्रधान डाकघर की इमारत की दूसरी मंजिल में आग लग गई थी ।

(ख) इस दुर्घटना से डाकघर की इमारत और रेकार्ड को नुकसान तो पहुंचा ही उसके साथ फर्नीचर और दूसरे सरकारी उपस्कर आदि के नष्ट होने से सरकार को लगभग 33566 रुपये का नुकसान होने का अनुमान है । आग लगने के कारणों के बारे में पुलिस तफतीश कर रही है ।

(ग) एक सीनियर अधिकारी के जरिये विभागीय जांच कराई गई थी, किन्तु पुलिस की तफतीश अभी चल रही है ।

कानपुर कृत्रिम अंग निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

2276. श्री राम भगत पास्वान : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री की स्थापना की परियोजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर अनुमानतः कितना परिव्यय होगा और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 400.00 लाख रुपये जिसमें 82 लाख की विदेशी मुद्रा भी निहित है।

बिहार में उद्योगों की स्थापना

2277. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 तक बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से बिहार में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों की स्थापना की जायेगी और किन-किन स्थानों पर ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के प्रस्ताव का उल्लेख किया है औद्योगिक विकास मंत्रालय का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विभिन्न राज्यों के लिए शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में बिहार राज्य के लिए शिक्षित बेरोजगारों को उनके अपने एकक स्थापित करने के लिए 35 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। बिहार में सहायक उद्योगों को विशेष रूप से भारी इंजीनियरी तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। कतिपय निजी क्षेत्र के उपक्रमों से भी रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें अपने सहायक एककों को बढ़ावा देने के लिये कहा गया है।

महत्वपूर्ण उद्योगों की क्षमता को बढ़ाना

2278. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 54 महत्वपूर्ण उद्योगों की क्षमता दुगनी करने की अनुमति प्रदान की है और इस सूची में हाल ही में कुछ और उद्योग भी जोड़ दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो हाल में जोड़े गये उद्योगों के नाम क्या हैं तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1972 को सरकार ने घोषणा की थी कि 5 विशेष उद्योगों, औद्योगिक उपक्रमों जिनको एक अथवा दो पाली के आधार पर लाइसेंस दिए थे/पंजीकृत किया गया, उन्हें क्षमता के अधिकतम प्रयोग के आधार पर अपने उत्पादन की वृद्धि करने की अनुमति दी जायेगी और अन्य प्रकार के मामलों में उनकी लाइसेंसी कृत/पंजीकृत क्षमता को 00 प्रतिशत बढ़ाने की भी अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें। बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित उपक्रमों और विदेशी फर्मों को यह सुविधा वस्तुतः नहीं दी जायेगी। वे सरकार से विशेषरूप में आवेदन करेंगे और उनके आवेदन पत्रों पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित कृतिक दल (टाक फोर्स) कार्यवाही करेगा। ये छूटें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में लगे औद्योगिक उपक्रमों को नहीं दी जायेंगी।

अर्थनीतिकी अपेक्षाओं को दृष्टि में रखकर 3 अक्तूबर, 1972 को सरकार ने इस सूची में 11 उद्योगों को जोड़ दिया है और वे छूट के उसी प्रकार पात्र हैं जैसे कि कुछ शर्तों के अधीन 54 उद्योग हैं। बशर्ते कि इन 11 उद्योगों के उपक्रमों ने 1 अक्तूबर 1972 से पूर्व उत्पादन शुरू कर दिया है। इन 11 उद्योगों की सूची संलग्न है।

विवरण

1. होजरी में प्रयोग होने वाली सुइयां।
2. रोड रॉलर्स।
3. पालिस्ट्रीन।
4. इस्पात की तारें।
5. व्हील डिस्क, बोडी व्हील और कावलर ट्रैक्शन ट्रैक्स
6. औद्योगिक जंजीरें
7. पालीथिन (कम घनत्व और अधिक घनत्व)
8. पी० वी० सी० रेमिन
9. डीजल लोकोमोटिव्स (विभिन्न गेजों के)
10. औद्योगिक अल्कोहल
11. संश्लिष्ट डिटर्जेंट

कागज संयंत्र मशीनों के आयात के लिए ब्रिटेन से सहायता

2279. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज संयंत्र मशीनों का आयात करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इस धनराशि के खर्च के बारे में क्या शर्तें रखी गई हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कागज संयंत्र मशीनरी के आयात के लिए ब्रिटेन सरकार ने किसी विशिष्ट ऋण की व्यवस्था नहीं की है। ऋण की कुल धनराशि 12 मिलियन पौंड है जिसमें से सरकारी क्षेत्र की मशीनरी के के आयात हेतु $5\frac{1}{2}$ मिलियन नियत है, 5^{1} मिलियन पौंड प्राइवेट उद्योगों के लिए तथा बाकी 1 मिलियन पौंड नेशनल स्माल ईडस्ट्रीज कारपोरेशन के लिये हैं। करार की शर्तों के अनुसार इस क्रेडिट के अन्तर्गत उपकरण प्रमुख्यत: ब्रिटेन के बने होंगे (चेनल आइसैन्ड तथा आइल आफ मेन सहित) उपकरण में ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों के पुर्जों का अधिकतम प्रतिशत उपकरण के जहाज पर पहुंचने तक नि:शुल्क मूल्य के 20% तक होगा।

पश्चिम बंगाल के चलचित्र उद्योग में संकट

2280. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस जांच का क्या निष्कर्ष निकला है और इस समिति ने किन उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की है;

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(ग) जांच समिति में किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था और उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या है जिनके विचार इस सम्बन्ध में जाने गये है; और

(घ) उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग की शिकायतों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1972 में दी थी। रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3853/72] दल द्वारा की गई सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल की सरकार तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्ती, नरैना, में पुलिस स्टेशन

2281. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नरैना बस्ती मन्त्रालय द्वारा पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए एक प्लाट निर्धारित किया था;

(ख) क्या इस समय वहां पुलिस स्टेशन टैन्टों में बना हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो पुलिस स्टेशन के लिए वहाँ पर इमारत कब तक बन जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। नरैना में पुलिस थाना इस समय एक प्राइवेट किराये के स्थान में स्थित है।

(ग) कार्यकारी अभियन्ता द्वारा स्थल के सर्वेक्षण का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस अवस्था में नियमित भवन के निर्माण में कितना समय लगने की सम्भावना है यह बतलाना सम्भव न होगा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत का सम्मान किया जाना

2282. श्री समर गुह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का सम्मान करने के लिए एक प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार कर रहा है। कुछ बंगाल प्रस्ताव पश्चिम तथा मणिपुर सरकार के भी विचाराधीन है।

इस सन्दर्भ में किये गये कुछ अन्य उपाय इस प्रकार हैं :—

(क) आजाद हिन्द फौज का एक इतिहास तैयार करना।

(ख) क्रांतिकारी गतिविधियों से सम्बन्धित स्रोतों का संकलन, जो आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों समेत 1905-1947 के दौरान भारत की स्वतन्त्रता के लिए भारत के बाहर हुई।

(ग) स्वतन्त्रता के जयन्ती वर्ष के दौरान स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय नेताओं की दीर्घा में सुभाष चन्द्र बोस को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) मोइरंग में नेताजी की मूर्ति समेत आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के स्मारक के लिए एक गैर-सरकारी संस्था को, जिसने प्रस्ताव किया है, 50,000 रुपये स्वीकृत करना।

(ङ) नेताजी के जन्म दिवस पर आकाशवाणी से कार्यक्रम।

(च) नेताजी पर एक फिल्म जारी करना।

(छ) प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो द्वारा 'नेताजी व आजाद हिन्द फौज' पर सामान्य लेख प्रकाशित करना।

(ज) डा० तारा चन्द द्वारा लिखित "भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास" पुस्तक का चतुर्थ खंड, जो छप रहा है, में नेताजी द्वारा देश के स्वाधीनता आन्दोलन में निभाइ गई भूमिका, उनकी भारत तथा विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि का विस्तृत ब्यौरा है।

आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान

2283 श्री समर गुह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने सभा में यह कहा था कि इस प्रश्न पर, कि क्या आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतन्त्रता सेनानी माना जाए तथा उन्हें स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन का हकदार माना जाए, सरकार विचार कर रही है तथा क्या प्रधान मन्त्री ने यही विचार कुछ महीने पूर्व मदुरै में हुए भूत-पूर्व आजाद हिन्द फौज सम्मेलन में व्यक्त किये थे तथा दिल्ली में भी भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रतिनिधियों को भी बताए थे।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया है? और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ होने वाली योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति के पात्र होंगे, यदि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी, जिन्हें छः महीने अथवा अधिक के लिए रखा गया था, सजा दी गई और भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के उन कर्मचारियों के परिवार भी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गये, पेंशन की स्वीकृति के पात्र होंगे।

Loss due to burning and Damaging of Buses, Looting of milk Depots During Disturbances in Delhi

2285. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the estimated loss incurred by way of burning and damaging of buses and looting of milk depots as a result of public resentment and disturbances caused by the suicide by Prem Lata, a Harijan girl recently and whether Government have taken a decision in regard to the payment of compensation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : According to information received from the Delhi Administration, the total loss is estimated to be about Rs, 4, 28, 4001/-.No proposal regarding payment of any compensation is under consideration.

दिल्ली में हुए दंगों की संख्या

2286. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, सितम्बर, 1972 तक तारीख वार तथा वर्ष वार, दिल्ली में कितने दंगे हुए ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

वर्ष	दंगों की संख्या
1969	92
1970	192
1971	241
1972 (सितम्बर 72 तक)	269

इन दंगों की तिथियों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े औद्योगिक कारखानों को पुनः चालू करना

2287. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ अन्य बन्द पड़े कारखानों में कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1972 में पहली जुलाई, 1972 तक कितने कारखानों में कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) कितने कारखाने अब भी बन्द पड़े हैं ; और

(घ) उन्हें चालू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : जी, हाँ।

(ख) 1972 में 30.6.1972 तक 38 औद्योगिक एकक फिर से प्रारम्भ किये गये थे ।

(ग) 30.9.1972 को 227 औद्योगिक एकक बन्द थे।

(घ) आमतौर पर निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

(1) जहां कहीं भी न्यायोचित होता है उद्योग (विकास तथा विनियमय) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना ।

(2) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, कलकत्ता द्वारा पुननिर्माण सहायता देना ।

(3) श्रम विभाग द्वारा समझौता ।

(4) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा एककों को सीधी वित्तीय सहायता देना ।

इन्टरनेशनल टेलीफोन एन्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर में अंश

2288. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फर्म इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन से उसके द्वारा दी गई टेक्नालाजी में खराबी होने के कारण इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के अंशों को बेचने के लिए कहा गया है ; और

(ख) क्या इस विदेशी फर्म से दोपूषर्ण टेक्नालाजी सप्लाई करने के लिए मुआवजा माँगा गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) आई० टी० टी० अमेरिका के पास जो हिस्से हैं उन्हें बेचने के मामले पर कम्पनी से विचार विनिमय हो रहा है, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनका प्रस्तुत प्रश्न में उल्लेख है ।

(ख) आई० टी० टी० की बेल्जियम स्थित सहायक कम्पनी द्वारा सप्लाई किये गये स्विचिंग उपकरणों को सुधारने से सम्बन्धित मामला, सम्बन्धित पक्ष के साथ उठाया गया था और अब उस पर कार्य हो रहा है । दोनों पक्षों, अर्थात डाक-तार विभाग और बेल्जियम की कम्पनी (इंटवर्प की दिबेल टेलीफोन मन्यूफेक्चरिंग कम्पनी बेल्जियम) के इन्जीनियरों के एक दल ने संयुक्त रूप से, सुधार कार्यक्रम और यथार्थतः इसके निष्पादन की समस्या का हल, स्वीकार कर लिया है । सप्लाई किये गये 48,000 लाइनों के स्विचिंग उपकरणों के सुधार का खर्च कम्पनी खुद उठायेगी । डाक-तार विभाग और आई० टी० आई० के इंजीनियरों का कृतिक-दल (टास्कफोर्स) इसमें और सुधार करने के लिए कार्य कर रहा है जिसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज अपने भावी उत्पादन में अपना सके ।

अनेक नगरों में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था

2289. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य नगरों में भी ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम दिखाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं तथा कार्यक्रमों के कथानक क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) 'स्वाधीनता के लिए संघर्ष तथा उसके उपरान्त प्रगति' विषय पर आधारित ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

का फिलहाल दिल्ली समेत देश के अन्य सात केन्द्रों में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के कर्मचारी

2290 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के भूतपूर्व शासकों के कर्मचारियों के लिए निजी थैलियों की समाप्ति के पश्चात् रोजगार सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या निजी थैलियों की समाप्ति के पश्चात् उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जा रहा है, और यदि नहीं, तो उनका भविष्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) चूंकि ऐसे व्यक्ति गैर-सरकारी रोजगार के आधीन थे अतः सरकार इस सम्बन्ध में किसी राहत की गारन्टी नहीं दे सकती है और न ही सरकारी कर्मचारियों के रूप में उन्हें मान्यता दी जा सकती है। तथापि उन कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है जो नियुक्ति के लिए पात्र हों और विभिन्न विभागों, संगठनों आदि में उपयुक्त पाये जायें। सरकार के पास ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं है।

वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना

2291. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना इस बीच बना ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना समंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) इस समय वर्ष में 1973-74 की वार्षिक योजनाओं के बारे राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मत्रालयों के साथ विचार-विमर्ष किया जा रहा है। इन विचार-विमर्शों के पूरा हो जाने पर वार्षिक योजना 1973-74 तैयार कर सभापटल पर रख दी जायेगी।

लाईसेंसों और आशय पत्रों के लिए मध्य प्रदेश से मिले आवेदन पत्रों का अनिर्णीत पडा होना

2292. श्री फूल चंद वर्मा :
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान लाइसेंसों के लिए कितने प्रार्थना पत्र मिले तथा कितने लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए;

(ख) उनमें से कितने प्रार्थना पत्र मध्य प्रदेश से आए थे तथा मध्य प्रदेश में कितने लोगों को लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये;

(ग) मध्य प्रदेश के कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या एवम् 1970 की और 1971 की अवधि में मंजूर किये गये आशय पत्रों और लाइसेंसों की सं० तथा उनमें मध्य प्रदेश का कितना अंश था यह दिखाया गया है।

	1970	1971	योग
प्राप्त हुए आवेदनों की सं० योग	3033	2932	5995
मध्य प्रदेश का अंश	85	105	190
मंजूर किये गये आशय पत्रों की सं० योग	438	1015	1453
मध्य प्रदेश का अंश	9	31	40
स्वीकृत किये गये औ० लाइसेंसों की संख्या योग	363	625	988
मध्य प्रदेश का अंश	2	20	22

(ग) औद्योगिक लाइससों के लिए 1 अक्तूबर, 1972 को मध्य प्रदेश के 89 आवेदन अनिर्णीत थे।

(घ) अनिर्णीत आवेदनों पर शीघ्र ही निर्णय करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजा जाना

2293. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों द्वारा लाभ बाहर भेजे जाने के बारे में 10 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कम्पनी का नाम	वर्ष	लाभाँश/बाहर भेजे गए लाभ की राशि (लाख रु० में)	कुल अचल आक्तियाँ (लाख रुपये में)	टिप्पणी
1. मै० इण्डिया टोबेको कम्पनी, कलकत्ता	1969	138.29	1109.19 (31-3-1971 को)	
	1970	143.61		
	1971	146.05		

2. मै० वजीर सुल्तान टोबेको मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, हैदराबाद	1969	19.70	207.31
	1970	22.16	(30-9-1971 को)
	1971	9.91	
3. मै० गौडफ्रे फिलिप्स बम्बई।	1969	कुछ नहीं	85.31
	1970	कुछ नहीं	(31-12-1970 को)
	1971	14.59**	
4. इण्डियन लीफ टोबेको डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड,	1969	38.16	106.74
		36.93	(31-3-1971 को)
	1970	32.63	
	1971	कुछ नहीं	
5. दी ब्रिटिश इंडिया टोबेको कारपोरेशन लि० मद्रास	31-10-1968	रु० 6,04,797/-	
	31-10-1969	रु० 12,79,723/-	*31.96
	31-10-1970	रु० 4,98,512/-	(31-10-1970 को)

* कम्पनी को उपर्युक्त राशि अपने प्रधान कार्यालय के खाते में जमा करने और ब्रिटेन को निर्यात करने के लिये तम्बाकू खरीदने हेतु भारत में निधि रखने की अनुमति दे दी गई है।

** 1968 को समाप्त हुए वर्ष का अन्तरिम और अन्तिम लाभांश।

हजारी बाग में शीशे की बोतलें बनाने के लिए लाइसेंस देना

2294. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने जनवरी, 1971 में हजारी बाग में शीशे की बोतलें तथा बर्तन बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या बिहार सरकार ने अप्रैल, 1971 में मैसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटिड, कलकत्ता को बिहार में आर्गन गैस का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश भी की थी; और

(ग) क्या अब तक उनमें से किसी को लाइसेंस दिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) हजारी बाग के श्री ललित कुमार अग्रवाल को धनबाद में प्रतिवर्ष 18,000 मी०टन की क्षमता वाला एक नया ग्लास बोतल एकक स्थापित करने के लिए 15 अप्रैल, 1971 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। चूंकि संयंत्र तथा मशीनों के आयात के उनके आवेदन पर अभी तक अनुमति नहीं मिली है इसलिए आशय-पत्र लाइसेंस में बदला नहीं गया है। बिहार में आर्गन

गैस का निर्माण करने के लिए कलकत्ता के मै० इण्डियन आक्सीजन लिमिटिड के ग्रावेदन पत्र पर अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो पाया है।

ग्राडिट ब्यूरो ग्राफ सर्कुलेशन द्वारा विश्वमित्र (पटना) हिन्दी दैनिक की मान्यता समाप्त करना

2295. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन ने विश्वमित्र (पटना) हिन्दी दैनिक की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) क्या वास्तव में इसकी 500 प्रतियों का परिचालन होता है और यह कथित रूप से ग्रखबारी कागज को चोर बाजार में बेच कर और सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से लाभ कमाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ग्राडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन एक गैर सरकारी संगठन है तथा सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की एक सर्कुलेशन टीम ने 'विश्वमित्र' के पटना संस्करण के बारे में 1971 के दौरान 2311 प्रतियों की खपत संख्या के प्रकाशक के दावे की मई, 1972 में तत्स्थान जांच की थी। उस टीम ने प्रकाशक का दावा ठीक पाया। समाचार पत्र द्वारा अखबारी कागज को काले बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और विज्ञापन ग्रौर दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए इसका उपयोग केवल उस समूह, जिससे यह संबंध रखता है, के अंग के रूप में ही मिश्रित दरों पर किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार डाक-तार कर्मचारियों को उर्वरक परियोजना भत्ता देना

2296. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बेगूसराय, बरौनी, हाथीदान, मोकामाह ग्रौर अन्य स्थानों पर काम कर रहे, डाक-तार कर्मचारियों को 1970 में उर्वरक परियोजना भत्ता दिया गया था;

(ख) क्या यह भत्ता फरवरी, 1972 में अचानक रोक दिया गया था; यदि हां तो इसके बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसे फिर से चालू करने का विचार है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) बरौनी आयल रिफाइनरी डाकघर और बरौनी टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर बकाया प्रश्नाधीन डाक-तार घरों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रोजेक्ट भत्ता 1-2-72 से बंद कर दिया गया था। उपर्युक्त दो डाक-तार कार्यालयों के लिए भी प्रोजेक्ट भत्ता 9-11-1972 से बन्द कर दिया गया है प्रोजेक्ट भत्ता बंद करने का कारण यह

है कि इन डाक-तार कार्यालयों में से कोई भी कार्यालय फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के प्रौजेक्ट क्षेत्र में नहीं आता।

(ग) उर्वरक नगर डाकघर फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को डाक सेवा देता है। इस डाकघर के लिए परियोजना भत्ता 1-2-1972 से अर्थात उसी तारीख से बहाल कर दिया गया है जिस तारीख को यह बंद किया गया था। अन्य डाक-तार कार्यालय प्रोजेक्ट क्षेत्र में नहीं आते। इसलिए उन के लिए प्रोजेक्ट भत्ता फिर से लागू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

भारत ब्रिटेन तकनीकी दल

2297. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री भारत ब्रिटेन तकनीकी दल की बैठक के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटिश तकनीकी दल के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : और (ख) सरकार का अपनी घोषित लाइसेंस नीति के अनुसार निर्यात दायित्व के स्तर को कम करने का कोई विचार नहीं हैं।

संकटग्रस्त मिलों का दायित्व सरकार द्वारा लिया जाना

2298. श्री प्रबोधचन्द : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने किन-किन संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लिया है तथा अधिकार में लेते समय उनके दायित्व क्या थे;

(ख) क्या दायित्व परिसम्पत्तियों से अधिक थे; और

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि दायित्वों को बढ़ाकर दिखाया गया था और कुछ मामलों में निजी प्रबन्धकों ने अधिकार सौंपते समय मशीनें, महंगे तथा महत्वपूर्ण पूर्जा हटाने का प्रयत्न किया था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार में लिए गये संकटग्रस्त / बन्द मिलों/ उपक्रमों की सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3854/72]

अन्य बातों की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रेडियो निर्माण के लिए महाराष्ट्र को लाइसेंस देना

2299. श्री एस० सी० बेसरा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय लाईसेंस प्राधिकरण पर यह आरोप लगाया है कि रेडियो निर्माण के लिए महाराष्ट्र को लाईसेंस देने का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने आवेदन पत्र की तिथि को बदला है जबकि पश्चिम बंगाल ने आवेदन पत्र इससे पहले दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) मैसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड जो एक 69.2% मैजोरिटी बिदेशी इक्वीटी कम्पनी है, ने **अक्टूबर 1968** में महाराष्ट्र में अपनी पूना रेडियो फैक्ट्री में 3.3 लाख रेडियो प्रतिवर्ष से बढ़ा कर 19 लाख रेडियो प्रतिवर्ष के विस्तार हेतु औद्योगिक लाईसेंस के लिए आवेदन पत्र भेजा था। **मार्च 1969** में लाईसेंसिंग समिति द्वारा इस आवेदन-पत्र पर विचार किया गया और 7 लाख रेडियो प्रतिवर्ष की क्षमता की सिफारिश कर दी गई। **मई 1969** में इस क्षमता के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया, और औद्योगिक लाईसेंस **12.8 1970** को जारी कर दिया गया।

मैसर्स फिलिप्स ने **अप्रैल 1969** में अपनी पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता रेडियो फैक्ट्री के लिये भी 60,000 प्रतिवर्ग रेडियो रिसीवरों की क्षमता को बढ़ाकर 1,75,000 रेडियो प्रति वर्ष विस्तार के लिए आवेदन-पत्र इस तर्क पर दिया था कि वास्तव में उन्होंने इस क्षमता को स्थापित कर लिया है, **जून 1970** में लाईसेंसिंग सीमति द्वारा इस आवेदन-पत्र पर विचार किया गया, नई औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए जो मैजोरिटी विदेशी इक्विटी कम्पनियों पर लागू होती है, 1, 75,000 रेडियो प्रतिवर्ष की सिफारिश इस शर्त पर कर दी गई थी कि वह अतिरिक्त क्षमता की 75% निर्यात-बाध्यता को स्वीकार करे। **जुलाई 1970** में मैसर्स फिलिप्स को इसकी सूचना दे दी गई थी।

मैसर्स फिलिप्स ने **24.8.70** को इलैक्ट्रानिक्स बिभाग को अपनी कलकत्ता फैक्ट्री के लिये 3 लाख रेडियो प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए लिखा था जिसमें निर्यात बाध्यता का कोई उल्लेख नहीं था और बताया था कि उन्होंने पहले से ही इस क्षमता को प्राप्त कर लिया है। इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया और दिसम्बर 1971 में मैसर्स फिलिप्स को सूचित कर दिया गया कि सरकार का मूल-निर्णय स्थिर है। जैसा कि फिलिप्स ने इस पत्राचार का कोई उत्तर अभी तक नहीं भेजा है कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

पश्चिमी बंगाल के उद्योग निदेशक ने दिनांक **13.8.1970** को इलैक्ट्रानिक्स विभाग को एक पत्र सम्बोधित किया जिसमें प्रस्ताव किया था कि मैसर्स फिलिप्स को उनकी कलकत्ता फैक्ट्री के लिए 3 लाख रेडियो प्रतिवर्ष की क्षमता प्रदान कर दी जाय, बिना किसी निर्यात-बाध्यता के जैसे कि उनकी पूना फैक्ट्री की क्षमता के विस्तार हेतु नहीं थोपा गया है और वास्तव में मैसर्स फिलिप्स ने अपनी कलकत्ता फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता की बढ़ती मात्रा को प्राप्त कर लिया है।

अगस्त, 1972 को पश्चिम बंगाल के उद्योग निदेशक ने इलैक्ट्रानिक्स विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह सन्देह प्रकट किया गया था कि मैसर्स फिलिप्स की पूना फैक्ट्री के विस्तार के लिए औद्योगिक लाईसेंस उद्योग-निदेशक के पत्र दिनाँक 13-8-1970 की प्राप्ति के उपरान्त जारी किया गया जिसका उल्लेख पहले हो चुका है परन्तु इस पर पूर्व तिथि 12.8.1970 पड़ी थी। इस तर्क की सत्यता सिद्ध नहीं होती जैसा कि लाईसेंसिंग कमेटी मार्च 1969 में पूना फैक्ट्री की विस्तृत क्षमता पर निर्णय ले चुकी थी। मई 1969 में आशय पत्र जारी किया गया और पूना फैक्ट्री के विस्तार के लिए औद्योगिक लाईसेंस वास्तव में 12-8-1970 को जारी किया गया तथा दे दिया गया। जबकि उद्योग-निदेशक के पत्र तारीख जिसका उल्लेख इसमें किया गया है, कलकत्ते में, 13 अगस्त 1970 पड़ी थी। इसके विपरीत, कलकत्ता फैक्ट्री के विस्तार हेतु आवेदन-पत्र अप्रैल 1969 में प्राप्त हुआ था।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सस्ती घड़ियों का उत्पादन

2300. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सस्ती घड़ियां बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित सस्ती घडियों का विक्रय मूल्य क्या होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कम मूल्य की घड़ियां बनाने का एक प्रस्ताव हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विचार करने की प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) तथा (ग) . मुख्य बातें अथवा विक्रय मूल्य के बारे में बताया जा सके, ऐसी अवस्था नहीं आई है।

सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में सतर्कता विंग

2301. श्री बनमाली पटनायक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था कि प्रत्येक सरकारी विभाग तथा सरकारी उपक्रम में एक अपनी सतर्कता विंग होनी चाहिए।

(ख) क्या सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) . दिनांक 10 अक्तूबर, 1972 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा राज्य के भ्रष्टाचार-निरोधी अधिकारियों के छठे संयुक्त सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रधान मन्त्री ने सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की आवश्यकता पर बल दिया था ; किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि प्रत्येक सरकारी विभाग तथा सरकारी उपक्रम में अपनी एक सतर्कता विंग होनी चाहिए। तथापि, केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अधिकांश सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता एकक पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों, जोकि अस्वस्थ होने के कारण अपना कार्य करने में असमर्थ हैं को समय पूर्व सेवामुक्ति का लाभ

2302. श्री बनमाली पटनायक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अस्वस्थ होने के कारण अपना कार्य करने में असमर्थ हैं और जिन्हें मानवता तथा अन्य आधारों पर अपने स्थानों पर बने रहने की अनुमति दी हुई है ; और

(ख) क्या बेरोजगारी की समस्या हल करने की दृष्टि से उन्हें कुछ लाभ देकर सेवा मुक्ति प्राप्त करने की वाँछनीयता पर विचार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) विद्यमान नियमों के अन्तर्गत, जहां सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे संक्रामक रोग अथवा शारीरिक या मानसिक नियोग्यता से पीड़ित है, जो उसकी राय में उसे अपने कार्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करने में बाधा डालता हो तो वह प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को डाक्टरी-परीक्षा कराने के लिए आदेश दे सकता है और डाक्टरी परीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई राय के आधार पर उसे अशक्ततापेंशन पर सेवानिवृत कर सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं भी डाक्टरी कारणों से अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृति के लिए इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है। हालांकि, सरकारी सेवा में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष व्यवस्थायें हैं, ऐसी नियुक्तियां केवल उन पदों पर ही की जाती हैं, जिनमें अशक्तता उससे कर्तव्यों के निष्पादन में बाधक न बन सके। इन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों को जो अस्वस्थता के कारण अपना कार्य करने में असमर्थ हों, सरकार द्वारा मानवीय अन्यथा अन्य आधारों पर, अपने स्थानों पर बने रहने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम

2303. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम असफल हो गया है ;

(ख) क्या यह कार्यक्रम नगरीय तथा अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में असफल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं ने कितनी धन राशि व्यय की ?

औद्यगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तथा शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्र की औद्योगिक बस्तियों में शेडों की कब्जा संबंधी स्थिति निम्न प्रकार है:—

	पूरे तैयार शेड	कब्जा किए गए शेड	कब्जा किये गये शेडों का प्रतिशत
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र	1937	1141	59
शहरी और अर्द्ध शहरी	2489	1914	77

शेडों का और अधिक उपयोग किये जाने का सुनिश्चिय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे बिजली और पानी आदि की व्यवस्था करें, और उद्यमियों को इन शेडों पर कब्जा लेने के लिए विशेष प्रोत्साहन दें और उन्हें समझायें बुझायें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि भविष्य में नई औद्योगिक बस्तियो की स्थापना करने के भूतपूर्व वे तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण भी करें।

(घ) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में 31 मार्च, 1971 तक औद्योगिक बस्तियों पर कुल मिला कर 3.70 करोड़ रुपये खर्च किया था। वर्ष 1971-72 में व्यय के अस्थायी आँकड़े 2.84 करोड़ रु० थे। योजना आयोग ने वर्ष 1972-73 के लिये 5.08 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने की सहमति दे दी है।

औद्योगिक बस्तियों की स्थापना पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये व्यय का निश्चित पता लगाया जा रहा है और वह सभापटल पर रख दिया जायेगा।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले व्यक्ति

2304. श्री पी० गंगा देव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना** मन्त्री गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में 16 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी के स्तर से नीचे स्तर पररहने वाले लोगों की प्रतिशतता कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : प्रोफेसर वी० एम० डाण्डेकर और श्री एन० रथ ने सुझाव दिया है कि उपभोग का राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि औसत प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 1968-69 के मूल्यों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 40.50 रुपये हो। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19 वें दौर के आधार पर वर्ष 1964-65 के बारे में सरकारी उपभोक्ता व्यय के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1964-65 और 1968-69 के मध्य हुई मूल्य वृद्धि का समंजन करते हुए 1964-65 के मूल्यों के अनुसार निम्नतम जीवन-स्तर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 30 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय आवश्यक है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले लोगों को जनसंख्या का सम्भावित अनुपात का अनुमान इस प्रकार है:—

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1. आन्ध्र प्रदेश	48.50	57.61
2. असम	18.30	48.51
3. बिहार	42.80	55.55
4. गुजरात	45.59	54.48
5. हरियाणा	21.16	48.11
6. जम्मू तथा काश्मीर	26.63	61.38
7. केरल	60.82	66.36
8. मध्य प्रदेश	46.32	54.73
9. मद्रास	50.94	55.16
10. महाराष्ट्र	47.02	43.93
11. मैसूर	48.99	51.81

12. उड़ीसा	72.04	57.58
13. पंजाब	22.69	43.39
14. राजस्थान	35.26	51.41
15. उत्तर प्रदेश	41.61	62.56
16. पश्चिम बंगाल	50.19	40.18
17. संघ शासित क्षेत्र	33.24	24.12
18. अखिल भारतीय	44.57	51.34

प्रशासनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति

2305. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रशासनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का उपयोग करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्हें आपात की अवधि के दौरान कमीशन प्राप्त हुआ था और बाद में नियुक्त कर दिया गया था, को रोजगार मे लिए जाने के उपाय के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से 20 प्रतिशत वर्ष 1966 से ऐसे अधिकारियों से भरी जा रही हैं। इन रिक्तयों में भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि (निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त । अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों) की परीक्षा के आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जो कि निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए ही सीमित है। यह रियायत जो पहली बार वर्ष 1966 में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर की गई, उसे आगे के 3 वर्षों की अवधि वर्ष 1974 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जहां तक राज्यों की प्रशासनिक सेवा में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के उपयोग का सम्बन्ध है, निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार में लिए जाने के लिए जो योजना केन्द्रीय सरकार में उपलब्ध है, उसे अपने अधीन सेवाओं में भर्ती करते समय अपनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

आधारभूत प्रशासनिक सुधारों के सुझाव हेतु मंत्रालयीय समिति

2306. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक लघु मंत्रालयीय समिति स्थापित कर रही है जो सरकार के निर्णयों की शीघ्रता से क्रियान्विति के लिए आधारभूत प्रशासनिक सुधारों को सुझाव देगी और यदि हाँ, तो समिति की स्थापना कब की जायेगी ;

(ख) क्या वह समिति प्रशासनिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन की पद्धति का भी अध्ययन करेगी ; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करेगी और यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग की, सामान्य भर्ती की एक द्रुतगामी प्रणाली बनाने, पदों के लिए उम्मीदवारों के अनुपात को कम करने, प्रचार पर खर्च कम करने और उच्चतर सेवाओं के लिए परीक्षाओं की पाठचर्या में संशोधन करने के प्रश्नों की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना के बारे में सिफारिश विचाराधीन है ।

प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं का चयन

2307. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में दो परियोजनाओं का चयन करने और फिर धन राशि, उपकरण, विशेष ज्ञान, कर्मचारी और अन्य सहायता उपलब्ध करके उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देने की एक योजना पर योजना आयोग विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पराजित संसद सदस्यों तथा मंत्रियों को सरकारी क्षेत्र के निगमों के अध्यक्ष नियुक्त करना

2308. श्री राम कंवर : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पराजित मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों की संख्या कितनी है जो हाल ही में सरकारी क्षेत्र के निगमों के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों के पक्ष में महत्वपूर्ण कारण क्या हैं जिनके लिये वे स्वायत्तशासी निगमों के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):(क)तथा(ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश में श्री हरि कोटा का उपग्रह छोड़ने वाले केन्द्र के रूप में विकास

2309. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा का उपग्रह छोड़ने वाले केन्द्र के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है ।

प्रधान मंत्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री. गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सुलूरपेटा से आने वाली सड़क तथा उसके जोड़ने वाला पुल, लांचिंग तथा पैड तथा ब्लाक हाउस बनाये जा चुके हैं । राकेट असैम्बली बिल्डिंग तथा हार्डवेयर स्टोर लगभग तैयार होने वाले हैं । उप-विद्युत केन्द्र काम कर रहा है । रेंज को राकेट छोड़ने के काम में लाया जा रहा है तथा पहली राकेट शृंखला अक्तूबर, 1971 में छोड़ी गई थी ।

(ख) अब तक भूमि के अधिग्रहण पर 75 लाख रुपये तथा निर्माण कार्य पर 150 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ है ।

केरल में कान्वेन्ट्स के कार्यकरण की जांच के सम्बन्ध मे अभ्यावेदन

2310. श्री वयालार रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्वेंट प्राधिकारियों द्वारा बदले की भावना से जलाये जाने के कारण त्रिचूर जिले के कान्वेंट की एक उस सिस्टर के भाग जाने के पश्चात्, जिसके शरीर पर जलने के घाव थे केरल में कान्वेंट्स के कार्यकरण की जाँच की मांग करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). एक सिस्टर अन्नी रोसम्मा से केरल में एक कन्वेन्ट के प्राधिकारियों द्वारा निर्दयता पूर्ण व्यवहार करने के आरोपों से समाहित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार से आरोपों के बारे में तथ्य मालम किए जा रहे हैं ।

अधिक राशि के टेलीफोन बिल बनाना

2311. श्री बिक्रम महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में वर्ष 1970-71 के लिये और अक्तूबर, 1972 तक के लिए अधिक राशि के टेलीफोन काल के बिल बनाने की कितनी शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों पर क्या विशिष्ट उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : दिल्ली में टेलीफोन काल के बिल बढ़ा चढ़ा कर बनाने के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या वर्ष 1970-71 के बारे में 5404 अक्तूबर 1972 के बारे में 565 है । इसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित विशेष उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं :—

(i) नियमित जाँच और उपस्कर की जांच की आवृत्तियाँ बढ़ा दी गई हैं ।

(ii) उपस्कर के कार्य-चलन को अक्सर जांच के लिए विशेष समय सूचियां लागू की गई है।

(iii) वितरण बक्सों (डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स) की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और इन बक्सों में ताले लगाने की व्यवस्था का काम चल रहा हैं।

(iv) लाइन स्टाफ के काम-काज पर देख-रेख की कार्रवाई और मजबूत कर दी गई है।

(v) उपभोक्ताओं को यह चेतावनी दे दी गई है कि वे इस बात पर नजर रखें कि उनके टेलीफोन से बात करने वाले आगन्तुक स्थानीय कालों के बहाने उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग को कालें न मिला जाएं और यह भी कि वे टेलीफोन का रिसीवर सेट पर ठीक तरह से रखें और जब उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की काल खत्म हो जाए तो यह देख लें कि डायल टोन आ गई है।

(vi) टेलीफोन बिलों में लिखा पढ़ी और हिसाब की गलतियाँ पकड़ने और उन्हे दूर करने के लिए उचित जांच प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई हैं।

(vii) उपभोक्ता के स्थान में एक ऐसा चेक मीटर लगाने की परीक्षणा की जा रही है जिसमें उपभोक्ता ट्रंक डायल की कालों की संख्या मालूम हो सकेगी।

(viii) टेलीफोन बिल कम्प्यूटरों के जरिए तैयार कराने की प्रणाली के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ix) सभी शिकायतों की अच्छी तरह से जाँच की जाती है और जिन मामलों में औचित्य होता है, उनमें मुनासिब छूट दे दी जाती है।

Assistance to States in the form of Loans During Fifth Plan on the Basis of their Performance

2312. **Shri Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the quantum of assistance in the form of loans proposed to be given under the Fifth Five Year Plan to the States is to be decided on the basis of their performance; if so, the reasons therefor;

(b) whether the Chief Ministers of some States, particularly the Chief Minister of Madhya Pradesh, are not agreeable to this proposal; and

(c) if so, the manner in which Government propose to reach a settlement on this issue?

The Minister of state in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Planning Commission has yet to take a view on many matters relating to the Fifth Plan including Central assistance to States.

(b) and (c) Do not arise.

औद्योगिक लाइसेंसों के मंजूर करने के लिए राजस्थान से प्राप्त अनिर्णीत पड़े प्रार्थना-पत्र

2213. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नए उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत रूप से सिफारिशें किए गए 59 प्रार्थना-पत्र एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन प्रार्थना-पत्रों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नये उपक्रमों की स्थापना हेतु राजस्थान से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों के 1 साल से अनिर्णीत आवेदन पत्रों की 1 अक्तूबर, 1972 को संख्या 37 है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करना आवश्यक होता है। विशेष आवेदन पत्र के निपटान में देरी सरकार के काबू से बाहर के अनेक कारणों से होती है जैसे कि आवेदन पत्र में पहली बार में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती और अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। समय समय पर संबंधित उद्योगों पर नीति निर्धारण की आवश्यकता होती है। फिर भी, सरकार अनिर्णीत आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान करने के बारे में हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।

सरकारी निर्णयों की शीघ्र कार्यान्विति की निगरानी के लिए मंत्रालयीय पैनल की स्थापना

2314. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन विभागो द्वारा मन्त्रालयों के निर्णय की धीमी क्रियान्विति देश में आर्थिक विकास की धीमी गति के लिए उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार का विचार मंत्रालयीय पैनल बनाने का है जो सरकारी निर्णयों की शीघ्र क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव देगा; और

(ग) यदि हां, तो यह मंत्रालयीय समिति प्रशासनिक सुधार आयोग से किन अर्थों में भिन्न होगी जिसने अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं और क्या प्रस्तावित मंत्रालय सम्बन्धी समिति का इस बीच गठन कर लिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमन्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्य निष्पादन में सुधार करके चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान कमियों में सुधार करना

2315. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में निर्देशित होने वाली कमियों में, कार्य निष्पादन में, सुधार करके चौथी योजना की शेष अवधि में कितना सुधार होने की आशा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है जिससे क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). इन बातों पर चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन-दस्तावेज में विस्तृत रूप से विचार किया जा

चुका है, जिसे 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर प्रस्तुत किया गया था और जिस पर 5-6 अप्रैल, 1972 को लोक सभा में बहस हुई थी। मूल्यांकन दस्तावेज में यथा-निर्दिष्ट उपायों में से कुछ निम्न प्रकार से हैं :—

(1) क्षमता के अधिकतम उपयोग को उच्च प्राथमिकता देना।

(2) उन उपायों का पता लगाने के लिए विस्तृत कार्य आरम्भ करना जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।

(3) निर्यात संवर्धन पर अधिक बल देना

(4) आयात प्रतिस्थापन के लिए अधिक तेजी से काम करना।

(5) अधिक वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को विस्तृत-मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना।

वर्ष 1973-74 के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना

2316. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करने की आशा है; और

(ख) चौथी योजना के अन्त तक उक्त वार्षिक योजना के अनुसार कितने व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सकेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1973-74 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

पहले योजना आयोग, योजना के प्रारम्भ में पिछली बेरोजगारी के अनुमान, तथा योजना अवधि में होने वाली अनुमानित श्रम वृद्धि और निष्पादित योजना के कार्यान्वियन से पैदा होने वाले अतिरिक्त अनुमान प्रस्तुत किया करता था। उपयुक्त परिभाषाओं तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के माप के लिए उचित मानदण्डों के बारे में मतों में अधिक विभिन्नता होने एवं विभिन्न स्रोतों के आधार पर बेरोजगारी के अनुमानों में अत्यधिक विभिन्नता होने के कारण यह अनुभव किया गया कि विभिन्न पहलुओं की ठीक प्रकार से जांच-पड़ताल की जाय। तदनुसार, पिछली योजनाओं में तैयार किये गये बेरोजगारी के अनुमान, उन्हें तैयार करने में उपयोग में लाये गये आँकड़े और प्रणाली की जांच करने तथा योजना आयोग को विभिन्न सम्बद्ध विषयों पर सलाह देने के लिए योजना आयोग ने 1968 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। चौथी योजना में इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, चौथी योजना के आरम्भ में पीछे से चली आ रही बेरोजगारी के अनुमान, चौथी योजना के दौरान श्रमशक्ति में होने वाली वृद्धि और यथा निष्पादित चौथी योजना कार्यान्वियन से पैदा होने वाले अतिरिक्त रोजगार के बारे में अनुमान देने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सरकार ने

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, वह भी इस मामले पर विचार कर रही है। समिति की आंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अन्तिम रिपोर्ट की इन्तजारी की जा रही है।

टीटागढ स्थित ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग कम्पनी का अधिग्रहण

2317. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वामित्व की जैसप एण्ड कम्पनी द्वारा टीटागढ़ स्थित ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी जो अक्तूबर, 1970 से बन्द पड़ी है, का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त कम्पनी को फिर से कब चालू कर दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव अब तक सरकार के समक्ष नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त आशय पत्र

2318. श्री डी० के० पंडा : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर, 1972 के फाइनेन्शियल एक्सप्रैस में बंगाल इंडस्ट्रीयल रिवाइबल अवर्सटन, शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि स्वीकृत परि-योजनायें निर्धारित समय सूची के अनुसार स्थापित हों ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से यह स्पष्ट नहीं होता कि उसमें कौन से आशय पत्रों का उल्लेख किया गया है। फिर भी, समय समय पर जारी किए गए यह आशयपत्रों का ब्यौरा 'वीकली बुलैटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, साप्ताहिक' इण्डियन ट्रेडजर्नल तथा मासिक पत्रिका जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियाँ नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) सरकार सभी राज्य सरकारों के सम्बन्ध में जारी किए गए विभिन्न आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों के कार्यान्वियन को तेज करने के लिए उत्सुक है। व्यवहार में यह देखा गया है कि आशयपत्र जारी होने के पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम के स्थापित करने तथा उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने तक लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं साधारण रूप से औद्योगिक लाइसेन्स धारकों ने क्या प्रगति की है इसकी समीक्षा आवेदन पत्रों की वैधता की अवधि बढ़ाने के समय तथा लाइसेन्स की कार्यान्वित की अवधि में की जाती है। इस प्रकार के अनुरोधों पर स्वीकृति

होने देने में अधिकाधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जिन मामलों में कार्यान्वियन में बहुत कम रुचि दिखाई गई है उनमें चेतावनियां दी गई हैं, या अन्तिम अवधि दे दी गई है और उपयुक्त मामलों में लाइसेन्स वापस या रद्द कर दिये गये हैं। कुछ प्रकार के आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्स धारियों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई है। इस प्रकार की चुनी हुई समीक्षाओं के फलस्वरूप कार्यान्वियन में आड़े आने वाले कुछ सामान्य रुकावटों का पता लगा है तथा यथासंभव उन्हें दूर करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार एक संगणक सूचना पद्यति के द्वारा, औद्योगिक लाइसेन्स के कार्यान्वियन में हुई प्रगति के साथ साथ केन्द्रीकृत तथा निरन्तर चलने वाली एक समीक्षा प्रणाली लागू करने के बारे में विचार कर रही है।

राजस्थान के लिए वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक योजना का प्रारूप

2319. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के लिए वर्ष 1973-74 का वार्षिक योजना प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय तथा अन्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसमें आय-वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि कितनी होने का अनुमान लगाया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार से वांछित सूचना मांगी गयी थी। उन्होंने बताया है कि राज्य की 1973-74 की वार्षिक योजना में आय वृद्धि तथा कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

विवरण

1. राजस्थान की वार्षिक योजना, 1973-74 की मुख्य बातें

(1) राजस्थान सरकार द्वारा सुझाया गया वित्तीय परिव्यय — 78.41 करोड़ रुपये

(2) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा सुझाए गए भौतिक लक्ष्य:

मद	यूनिट	1973-74 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य
1. कृषि		
खाद्य उत्पादन-लघु	लाख मी० टन	77.96
सिंचाई के अन्तर्गत		
क्षेत्र (अतिरिक्त)	हजार हैक्टर	35.00

1. बिजली		
उत्पादित बिजली-	एम० के० एच० डब्ल्यू०	962,00
ग्राम बिजलीकरण:		
(क) बिजलीकृत ग्राम	संख्या	1000
(ख) बिजलीकृत पम्पसैट नलकूप	संख्या	20000
3. परिवहन		
सड़कें	किलोमीटर	33380
4. सामान्य शिक्षा :		
नामांकन—1-5 कक्षाएं—6-11 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशतता के रूप में—		
(क) लड़के	प्रतिशतता	83.3
(ख) लड़कियां	,,	35.2
जोड़:	,,	60.7
6-8 कक्षाएं—11-14 आयु वर्ग		
(क) लड़के	प्रतिशतता	45.1
(ख) लड़कियाँ	,,	13.4
जोड़:	,,	30.0
5. स्वास्थ्य		
बिस्तरे:		
शहरों में—	संख्या	251
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		71
उप-केन्द्र—		

पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी

2320. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्कल की टेलीफोन डायरेक्ट्री 1969 से प्रकाशित नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) डायरेक्ट्री के कब तक प्रकाशित होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। पंजाब सर्किल की डाइरेक्ट्री का दिसम्बर 1970 संस्करण जो कि 28 फरवरी, 1971 तक संशोधित था प्रकाशित किया गया था और मुद्रकों से डाइरेक्ट्री की जो 30000 प्रतियां प्राप्त हुई थीं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नगरों में वितरित कर दिया गया था।

(ख) अलबत्ता डाइरेक्ट्री की बकाया 44000 प्रतियां छापने में विलम्ब हुआ। यह विलम्ब मुद्रकों की विफलता के कारण हुआ। छपाई का काम अब पूरा हो चुका है और जिल्द बाँधने का काम चल रहा है।

(ग) आशा है कि ये प्रतियां शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी और उसके बाद सर्किल के सभी उपभोक्ताओं को डाइरेक्ट्री दे देने का काम शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि इसकी एक पूरक डाइरेक्ट्री जारी कर दी जाए जिसमें अपटुडेट शुद्धियां शामिल कर दी जाएं।

शिक्षित बेरोजगारों के लिये उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी योजना

2321. श्री पी० वेंक्टसुब्बया :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस उद्देश्य के लिए कितना नियतन किया गया है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने अथवा आयोगों की स्थापना के लिए सहायता दिए जाने की आशा है और इस समय मामला किस स्थिति में है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगारों को पैकेज सहायता देने के लिये राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 1972-73 में नियत की गई विशिष्ट राशियां विवरण में दी गई हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये दिखाई गई राशि के व्यय का मोटेतौर पर नमूना औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने, मशीनों की खरीद के लिए प्रारम्भिक राशि का प्रावधान करने, स्थापना प्रभारों, फुटकर व्यय और 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये हैं। राज्य सरकारें और केन्द्र शासित क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य लगभग 4000 व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना वर्ष 1972-73 के लिये नियतन

सूची (क)

राज्य जिनमें से प्रत्येक को 35 लाख रु० नियत किये गये हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश	6. हिमाचल प्रदेश	11. मैसूर
2. आसाम	7. जम्मू और काश्मीर	12. उड़ीसा
3. बिहार	8. केरल	13. पंजाब
4. गुजरात	9. मध्य प्रदेश	14. राजस्थान
5. हरियाणा	10. महाराष्ट्र	

15. तमिलनाडु
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिमी बंगाल

सूची (ख)

	नियतन (रु० लाखों में)
1. नागालैंड	8.00
2. मणिपुर	2.00
3. मेघालय	3.00
4. चण्डीगढ़	2.00
5. दिल्ली	20.00
6. पाँडिचेरी	9.00
7. गोआ, दमन और दिव	11.00

Theft of Platinum from Jaduguda Uranium Laboratory

2322. Shri Hukam chand Kachwai :
Shri Nanjibhai Ravjibhai Vekaria :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether Government have since detected the theft of Platinum worth rupees nine lakhs from the Jaduguda Uranium Laboratory near Jamshedpur; and

(b) if so, the further action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) . Platinum ware (crucibles, lids dishes, etc.) valued at roughly Rs. 50,000 were stolen from a locked safe of the Controller, Research and Developdent Department of Uranium Corporation of India Ltd., Jaduguda, between 5.00PM on 14th August, 1972 and 7.00AM on 16th August, 1972. A case of theft has been lodged with the local police and investigations are in progress. Meanwhile, steps have been taken to improve security arrangements within the Company.

P. &. T. Offices in Uttar Pradesh

2323. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Posts and Telegraph Offices in Uttar Pradesh District-wise; and

(b) the number of Post and Telegraph Offices likely to be opened in 1972-73. district-wise ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b) . The information is given in the statement attached. (Placed in Library. See No L. T. 3855/72)

लाइसेंस जारी करने के लिए गैर निवासियों तथा विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध

2325. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति में गैर-निवासियों तथा विदेशियों द्वारा

नियंत्रित कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के नीति सम्बन्धी निर्णय का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . लाइसेंसीकरण नीति घोषणा में उल्लिखित विदेशी फर्में अथवा ब्राँच अथवा विदेशी कम्पनी की सहायक कम्पनियों में वे सब कम्पनियां आती हैं जो विदेशों में पंजीकृत है, अभारतीयों की अथवा अनिवासी भारतीयों की है व जिनकी चुकता इक्विटी पूंजी 50% से अधिक है। नई नीति की घोषणा के पश्चात पर्याप्त विस्तार करने विविधीकरण करने तथा नये उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इन कम्पनियों को अनिवार्यतः आवेदन पत्र देना होगा । अन्य आवेदकों के समान उनसे भी यह प्रत्याशा है कि प्रधान क्षेत्र तथा भारी उद्योग क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में वे भी हिस्सा लेंगे तथा अपना दायित्व निभायेंगे तथा बाकी क्षेत्रों में अन्य उद्यमियों को कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे 1 मध्यम क्षेत्र में सामान्य विस्तार के उनके 1 करोड़ .से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश कार्य आवेदन पत्रों पर उस सीमा तक विचार किया जायेगा जहाँ उपक्रम का ऐसा विस्तार आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम लाभ के लिए आवश्यक होगा और जिससे उपक्रम की लागत दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी । मध्यम क्षेत्र में इन फर्मों के उन उपक्रमों में भी जहां विस्तार अथवा नये उपक्रम स्थापित होने हैं, इस शर्त पर विचार किया जायेगा कि वे तीन वर्षों में अपने यहां किये गये नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन का न्यूनतम 60 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व निभायेंगे । लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में न्यूनतम निर्यात दायित्व 75 प्रतिशत होगा ।

सरकार द्वारा घोषित 65 उद्योगों सम्बन्धी वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग की सुविधायें इन कम्पनियों को स्वयमेव उपलब्ध नहीं होगी । उन्हें इस कार्य हेतु कृतिक बल को आवेदन पत्र देना होगा ।

इन मानदण्डों के आधार पर सरकार समुचित स्तर पर इन कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर विचार करती है।

अखबारी कागज की कमी

2326. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इकनामिक टाइम्ज" बम्बई के 29 सितम्बर, 1972 के अंक में "न्यूजप्रिंट शार्टेज- काम्युनिकेशन मैप वाईडन्ज" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से (1) पिछले तीन वर्षों में प्रति अखबारी कागज की मांग और सप्लाई, (2) इसी अवधि में क्रमशः देशी उत्पादन और आयात के क्रमशः और (3)

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानित मांग और सप्लाई संदर्भ में उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि यूनेस्को द्वारा सिफारिश किये गये अखबारों की ग्राहक संख्या के निम्नतम स्तर को लक्ष्य के रूप में यथाशीघ्र प्राप्त करने को ध्यान में रखा तो भी विद्यमान नियंत्रणों के कारण मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने और देश में उत्पादन कम होने से इस क्षेत्र में अनियंत्रित वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी सकती। विगत तीन वर्षों में अखबारी कागज की प्रतिवर्द्धित मांग और जिस प्रकार उसे पूरा किया गया वह निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	प्रतिवर्द्धित मांग	देशी सप्लाई	आयात
1969-70	1,56,000 मी० टन	36,000 मी० टन	1,20,000 मी० टन
1971-71	1,72,957 ,,	32,957 ,,	1,40,000 ,,
1971-72	2,20,040 ,,	40,040 ,,	1,80,000 ,,

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक माँग और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाने की संभावना है।

Exemption from Payment of Minimum Guarantee Charge to Electricity Board by Small Scale Eutrepreneurs

2327. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) Whether the Central Goverment have suggested to the states to exempt persons intending to start small-scale industries from the payment of minimum guarantee charges to the Electricity Boards; and

(b) if so, the names of the states where such exmption has been allowed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

पटना स्थित डाक-तार औषधालय में परिवार नियोजन केन्द्र

2328. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित डाक-तार औषधालय में परिवार नियोजन केन्द्र को योग्य कर्मचारियों के न मिलने के कारण नहीं खोला जा रहा है जिसके सम्बन्ध में पदों को स्वीकृति डाक-तार विभाग द्वारा दी जा चुकी है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) पटना के डाक-तार औषधालय में दो परिवार नियोजन फील्ड कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं और इस औषधालय में परिवार नियोजन कार्यक्रम 28 अक्तूबर, 1972 से शुरू कर दिया गया है।

देश में गिरफ्तार किये गये और नजरबन्द किये गये पाकिस्तानी जासूस

2329. श्री धनशाह प्रधान :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत छह महीनों के दौरान कितने व्यक्ति पाकिस्तानी जासूसों के रूप में गिरफ्तार किये गए और नजरबन्द किये गये ; और

(ख) उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 मई, 1972 से 31 अक्तूबर 1972 तक की अवधि में पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने के सन्देह में 19 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। इन व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है। उस राज्य में किये गये नजरबन्दियों की संख्या के बारे में सम्बन्धित सूचना मालूम की जा रही है। दिल्ली में 3 व्यक्तियों को भारत की रक्षा तथा सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से नजरबन्द किया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, केरल मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा मिजोराम की सरकारों से सूचना प्रत्याशित है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सम्बन्धित अवधि में ऐसी किसी गिरफ्तारियां/नजरबन्दियों की कोई सूचना नहीं है।

विशाखापत्तनम में मनुस्मृति के उद्धारणों का जलाया जाना

2330. श्री रण बहादुर सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1972 को अम्बेदकर मिशन ने विशाखापत्तनम् में मनुस्मृत्ति के उद्धरणों को जलाया था ? और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

उपग्रह व्यवस्था डिवीजन को थुम्बा से बंगलौर स्थानांतरित करना

2331. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री पीलू मोदी :

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पास करके प्रस्तावित उपग्रह व्यवस्था डिवीजन को थुम्बा राकेट स्टेशन से बंगलौर ले जाने के प्रस्ताव पर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने उसमे भी पहले यह निर्णय ले लिया था कि उपग्रह प्रणाली विभाग को थुम्बा से नहीं हटाया जायेगा।

आकाशवाणी से राजनीतिक प्रसारण

2332 श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राजनीतिक दल चुनावों के समय आकाशवाणी के माध्यम से दलगत राजनीतिक प्रसारणों के लिए समय के आवंटन सम्बन्धी प्रश्न के बारे में एक निर्णय पर पहुंच गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच० एम० टी० की घड़ियों के लिए बिक्री केन्द्र

2333 श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एच० एम० टी० की घड़ियों के राज्यवार कितने बिक्री केन्द्र है।

(ख) क्या नई दिल्ली में केवल एक बिक्री केन्द्र है और क्या घड़ियां खरीदने के लिए उस केन्द्र में खरीदारों की हमेशा बड़ी भीड़ लगी रहती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों की मांग को पूरा करने के लिए और केन्द्र खोलने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हि० म० टू० की घड़ियों के 12 बिक्री केन्द्र है राज्यवार वे निम्न प्रकार हैं :—

1. मैसूर वाच फैक्ट्री सेल्स काउन्टर बंगलौर और बंगलौर सिटी।

2.	दिल्ली	नई दिल्ली
3.	महाराष्ट्र	बंबई
4.	तमिलनाडू	मद्रास और कोयम्बटूर
5.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता
6.	पंजाब और हरियाणा	चण्डीगढ़ और एच० एम० टी० मशीन टूल फैक्टरी, पिंजौर।
7.	केरल	एर्नाकुलम्
8.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
9.	गुजरात	अहमदाबाद

(ख) जी हां, नई दिल्ली में केवल एक बिक्री केन्द्र है।

(ग) नये बिक्री केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार घड़ियों की निकट भविष्य में अधिक प्राप्यता के संदर्भ में किया जायेगा।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर का नया एकक

2334 **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हुकमचँद कछवाय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर का विचार क्रास बार टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों के निर्माण के लिए एक नया एकक बनाने का है ;

(ख) क्या इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के अध्यक्ष ने अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ सितम्बर, 1971 में मध्य प्रदेश राज्य का दौरा किया था और प्रस्तावित स्थानों अर्थात् इन्दौर, उज्जैन तथा देवास को देखा था ; और

(ग) यदि हां, तो दल के निष्कर्ष क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) जी हाँ।

(ग) दल ने कुछ स्थानों का सुझाव दिया था। सरकार ने सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कारखाने को उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थापित करने का निश्चय किया है।

मध्य प्रदेश का नगर तथा ग्राम निवेश अध्यादेश विधेयक, 1972

2335. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अध्यादेश/विधेयक, 1972 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है और विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नीमच (मध्य प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करना

2336. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीमच (मध्य प्रदेश) में एक सीमेंट के कारखाने की स्थापना करने के बारे में सरकार कब तक अनुमति दे देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा नीमच (मध्यप्रदेश) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्तुत सम्भाव्यता रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है और जांच पूरी होते ही औपचारिक स्वीकृति दे दी जायेगी।

तमिलनाडु में सिगरेट के कारखाने की स्थापना

2337. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से संयुक्त क्षेत्र में एक सिगरेट कारखाना खोलने के लिए सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 4,500 मिलियन की क्षमता वाली एक सिगरेट फैक्टरी की धरनपुरी जिले (तमिलनाडू) में स्थापना करने हेतु तमिलनाडू इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को एक आशय पत्र दिया गया था। कारपोरेशन से संयुक्त क्षेत्र में फैक्टरी प्रारम्भ करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है।

भारत श्रीलंका सूक्ष्म तरंग सम्पर्क

2338. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म तरंग पद्धति के द्वारा श्रीलंका से सम्पर्क बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो यह पद्धति कब तक चालू हो जायेगी ?

सचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर सीमेन्ट लि० द्वारा एसवेसटस की सिमेन्ट की शीटों का निर्माण

2339. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सीमेंट लि० ने हाल में अपनी वर्तमान परियोजना में एसवेसटस की सीमेंट की शीटों के निर्माण की अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वरप्रसाद) : (क) से (ग) मै० मैसूर सीमेंटस् लि० बंगलौर ने मैसूर राज्य में एसबेस्टस सीमेंट उत्पादों का निर्माण करने के लिए **उद्योग** (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाईसेंस के लिए 1 सितम्बर 1971 को आवेदन पत्र दिया था। कम्पनी के आवेदन को इसलिए स्वीकार नही किया गया क्योंकि स्वय मैसूर राज्य में ही एक दूसरे कारखाने को एसबैस्टस सीमेंट का उत्पादन करने के लिए पहले ही लाईसेंस दिया जा चुका था यह विचार किया गया था कि मैसूर राज्य तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दो एककों के उत्पादों की खपत होने की आशा नहीं है।

पाकिस्तानी राष्ट्रीयकों का भारत में निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरना

2340. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यवार पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा पार-पत्र नियमों का उल्लंघन करके भारत में निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरने सम्बन्धी कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) उन्हें पाकिस्तान भेजने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 30-4-1972 को पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का भारत में निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरने की समस्या का केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श में मूल्यांकन किया जा रहा है। अपेक्षित सूचना कुछ राज्य सरकारों से अभी आनी है। उन विदेशियों के विरुद्ध जो बिना वैध कारणों के निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरते हुए पाये गये, अभियोजन तथा निष्कासन समेत, जो भी उपयुक्त हो, विदेशियों से सम्बन्धित कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

काटेधान (हैदराबाद) में स्व-नियोजन उद्योग समूह

2342 श्री पुरषोत्तम काकोडकर :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में हैदराबाद के निकट काटेधान में एक स्व-नियोजन उद्योग समूह स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने एकक होंगे जिनके लिए स्थान उपलब्ध होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Launching of Satellites By Rocket in India

2343. Shri Narendra Singh
Shri S. A. Muruganantham

Will the Minister of Space be pleased to state :

(a) the progress made so far regarding the launching of satellites by rocket in India; and

(b) the names of the countries from which technical and economic assistance was sought for the development of the rockets ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Ministr of Home Attairs, Minister of Information and Broadcasting and Ministry of space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No satellites have been launched so far in India. The progress achieved in regard to development of indigenous capabillity in the field of rocketry and satellite technology is indicated in the annual report for the year 1971-72 of the Department of Atomic Energy, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) India has collaberative programmes for space research activities with USA, USSR, France, Federal Republic of Germany, UK and Japan. No technical or economic assistance has been sought for the development of rockets.

धौलपुर, राजस्थान में पुलिस के एक उच्च अधिकारी के घर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

2344. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलपुर, राजस्थान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पुलिस के एक उच्च-अधिकारी के घर पर छापा मारा है और तलाशी ली है;

(ख) क्या वहाँ कीमती पत्थर और मुद्रा मिली है; और

(ग) यदि हाँ, तो बरामद की गई वस्तुओं और मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए उपग्रह छोड़ना

2345. **श्री एस०सी० सामन्त :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में टेलीविजन कार्यक्रमों के विस्तार के लिए भारत सरकार और अमरीका के बीच टेलीविजन उपग्रह छोड़ने का करार अभी भी बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को कब शुरू किया जायेगा;

(ग) इस बात को ध्यान में रखने हुए कि हर दो अथवा तीन वर्षों में उपग्रहों को बदल देना होगा, इन उपग्रहों की उपलब्धता के लिए कौन सी व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) क्या उपग्रहों का देश में उत्पादन करने की भी योजना है; और यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम को चलाने के लिए अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्टेस एडमिनिस्ट्रेशन के ए.टी.एस.एफ उपग्रह को प्रयोग में लाने का करार अभी भी बना हुआ है।

(ख) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रम के वर्ष 1975 में आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) तथा (घ). संचार उपग्रह का जीवनकाल लगभग 5 वर्ष होगा। उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण के लिए पहला उपग्रह सम्भवत: किसी विदेशी ठेकेदार की सहायता से तैयार किया जायेगा। आशा है कि सन् 1980 के बाद आवश्यक दूसरा उपग्रह तथा उसके बाद के उपग्रह भारत में ही बनाये जायेंगे।

Distribution of Tamra Patras to Freedom Fighters of Bihar State

2346. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters of Bihar State who have been awarded "Tamra Patras";

(b) whether Government have received some complaints that some such persons have received 'Tamra Patras' who have never participated in the freedom struggle;

(c) the number of persons belonging to Bihar who have received 'Tamra Patras' after the Silver Jubilee celebıations; and

(d) whether these 'Tamra Patras' were also awarded to the I.N.A. soldiers ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) 239 freedom fighters of Bihar State have been so far awarded "Tamrapatras" in functions at Delhi and Patna. More functions are to be held in Bihar in the remaining period of the Jayanti year,

(b) State Government have stated that no such case has been brought to their notice.

(c) The 25th Independence Jayanti Celebrations are being observed throughout the year from 15th August 1972 to 14th August, 1973. The Tamrapatras being awarded at State level functions are also therefore awards made during the Jayanti celebrations.

(d) Information regarding I. N. A. personnel included for award of Tamra Patras is awaited from the State Government. Guidelines for the programme cover eligible INA personnel also.

सीमेंट की मांग, उत्पादन तथा उसकी खपत

2347. श्री पम्पन गौडा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की अनुमानित मांग लगभग एक करोड़ 70 लाख मीटरी टन की है जबकि उत्पादन लगभग एक करोड़ 60 लाख मीटरी टन होता है;

(ख) विदेशों को सीमेंट की कितनी मात्रा का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सीमेंट उद्योग की वर्तमान क्षमता 195 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 1972 में 170 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की आशा थी जबकि अनुमानित मांग भी इतनी ही थी। सीमेंट उद्योग में 17 अगस्त से 29 अगस्त, 1972 तक श्रमिक हड़ताल, दक्षिण में लोको हड़ताल होने, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विद्युत संभरण पर प्रतिबन्ध लगाने तथा यन्त्रिक गड़बड़ी तथा टूट-फूट आदि के कारण अब वास्तविक उत्पादन 155 लाख मी० टन के आस-पास होने का अनुमान है।

जनवरी से सितम्बर, 1972 की अवधि में विदेशों को निर्यात किये गये सीमेंट की मात्रा 87,300 मीट्रिक टन थी। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विस्तार करके तथा नए एककों के लिए लाइसेंस देकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जा रही है तथा लगभग 64 लाख मीट्रिक टन क्षमता और बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह भी निर्णय किया गया है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया न केवल कमी वाले क्षेत्रों में अपितु अन्य क्षेत्रों में भी क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगा। कारपोरेशन के माँढर स्थित पहले एकक में जिसकी क्षमता 20 लाख टन वार्षिक है, 19 जुलाई 1970 में उत्पादन प्रारम्भ हो गया था, जबकि कुरकुन्ता (मैसूर) स्थित इतनी ही क्षमता वाले दूसरे एकक में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। इतनी ही क्षमता वाले दो अन्य एककों, एक बोकाजन (आसाम) स्थित और दूसरे पौन्टा (हिमाचल प्रदेश) में निर्माण कार्य हो रहा है। कारपोरेशन ने बरूवाला (उत्तरप्रदेश), नीमच तथा अकलतरा (मध्य प्रदेश), तेन्दूर, सेगरागुन्तला तथा अदीलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) में कारखाने स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्टें भी स्तुत की है। ये सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार ने मांढर एकक का विस्तार करके उसकी क्षमता दुगुनी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है कारपोरेशन मैसूर के कुरकुन्ता स्थित एकक की क्षमता दुगनी करने के प्रस्ताव तथा मध्य प्रदेश के मैहर के सम्बन्ध में एक संभाव्यता रिपोर्ट पर भी विचार कर रहा है।

गोवा के स्वतंत्रता सैनानियों के लिए आवंटित निधि का तथाकथित दुरुपयोग

2348. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा की स्वतंत्रता सैनानी एसोशियेशन ने केन्द्र को सूचित किया है कि स्वतंत्रता सैनानियों के पुनर्वास के लिए गोवा सरकार को आवंटित निधि का दुरुपयोग किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु अक्तूबर, 1971 में गोवा के स्वतन्त्रता सैनानियों की यूनियन के तथाकथित अध्यक्ष श्री थोमस डियास, बम्बई से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने गोवा, दमन व दीव सरकार द्वारा गोवा दमन व दीव के स्वतन्त्रता सैनानियों के पुनर्वास के लिए अभिप्रेत धन राशि का दुरुपयोग करने का उल्लेख किया था। गोवा, दमन व दीव सरकार ने सूचित किया है कि आरोप निराधार थे।

बिहार के कटिहार शहर में एक घर पर छापा मार कर पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

2349. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 सितम्बर, 1972 को बिहार के कटिहार शहर में एक घर पर छापा मारा गया था ;

(ख) क्या छापा मारकर उस घर से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे तत्वों को शरण देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) बिहार सरकार से अपेक्षित सूचना अभी आनी है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

वर्ष 1973-74 की योजना के लिए केरल को वित्तीय सहायता

2351. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना को लागू करने के लिए केरल सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) इस पर योजना आयोग ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल सरकार ने 1973-74 के लिए राज्य की वार्षिक योजना के प्रारूप के प्रस्तावों के लिए धन उपलब्ध करने के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि 43.50 करोड़ रुपये दर्शायी है । परन्तु इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में 4 और 5 दिसम्बर, 1972 को विचार विमर्श कर अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के लिए चौथी योजना को विस्तृत किया जाना

2352. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार उस राज्य के लिए चौथी योजना को विस्तृत बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजभवनों पर होने वाले खर्च को कम करना

2353. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभवनों पर होने वाले खर्च को बहुत कम करने के मार्गोपायों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज भवन के व्यय के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए तथा उपयुक्त स्तर बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही ऐसे व्यय को कम करने के लिए जो पूरी तरह आवश्यक नहीं है, इस स्वरूप को युक्तियुक्त करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है ।

पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश को धन का आवंटन

2354. श्री के० मालन्ना : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य को अधिक राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है कि राज्य में पिछड़ी जातियां कुल जनसंख्या की लगभग 34 प्रतिशत हैं और राज्य का क्षेत्रफल संघ के भौगोलिक क्षेत्रफल के 12 प्रतिशत से अधिक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्यों को पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के आकार और अन्य सम्बद्ध विषयों के मामले पर योजना आयोग को अभी निर्णय लेना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य योजनायें

2355. श्री के० मालन्ना : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीमें मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवायें प्रदान करना है । ग्रामीण स्वास्थ्य में रोकथाम, परिवार नियोजन, पोषाहार और बीमारी का शीघ्र पता लगा कर परामर्श सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था पर बल दिया जायेगा । इस समय बढ़ावा देने के लिए जो प्रणालियां अपनाई जा रही है उनके अलावा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार सेवाओं के एकीकरण के लिये तेजी से आगे बढ़ना होगा । बाह्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें मुख्यत: स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करने की मंशा है ।

इस समय प्रस्तावित स्कीमों की निश्चित रूपरेखायें बतानी संभव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में अनेक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

मैसूर राज्य के लिए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज

2356. श्री के० मालन्ना : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें 1972-73 और 1973-74 में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज लगाये जाने की संभावना हैं; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). मैसूर राज्य के उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने की संभावना है और हर एक प्राजेक्ट पर जितनी रकम खर्च होने की संभावना है, इनके संलग्न अनुबंध (क) और (ख) में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3856/72]

P & T Facilities in Ladakh, J & K State

2357. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of places in Ladakh District of Jummu and Kashmir State where Telephone and Post and Telegraph facilities exist; and

(b) the names of places where such facilities are proposed to be provided and when?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The names of places in Ladakh district of Jammu and Kashmir state where postal, Telegraph and Telephone facilities exist are indicated in Annexurs 'A' (Placed in Library See No. LT 3857/72)

(b) The names of the places where new post offices, Telegraph offices and Public Call Offices are likely to be opened are given in Annexure 'B'

Production capacity of Railway Wagan Industry

2358. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the factories manufacturing Railway wagons are working to full capacity;

(b) whether Government propose to raise the production capacity of the said factories by taking them over; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir,

(b) There is no obvious need in the context of under-utilization of installed capacity.

(c) Efforts are being made to create conditions which will optimize utilization of existing capacity.

Take over of Butler Railway Wagons Manufacturing Co. Muzaffarpur

2359. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state ;

(a) whether the Butler Wagons manufacturing Company in Muzaffarpur City of Bihar has been lying closed for the last several months;

(b) whether the Bihar Government have recommended to the Central Government to take it over, and

(c) if so, the reaction of Central Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Since there were some pending legal disputes against this company the Central Government had to move the Calcutta High Court for permission to investigate into the affairs of the unit. Soon after the receipt of this pemission, an Investigation Committee was appointed by the Government (on 27th September, 1972) under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act to look into the affairs of this undertaking. It will be possible to take a decision on the take over of the management of the unit after the receipt and consideration of the report of the Investigation Committee.

परमाणु शक्ति रिऐक्टरों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

2360. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

देश में आधुनिक औद्योगिकी और शक्ति संभावनाओं का विकास करने के पूर्ण लक्ष्य के साथ परमाणु शक्ति रिऐक्टरों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिए क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (**श्रीमती इन्दिरा गांधी**) : सरकार का लक्ष्य विदेशी साधनों एवं प्रौद्योगिकी पर देश की निर्भरता को घटाकर न्यूनतम कर देना है। भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा बनाये जा रहे परमाणु बिजलीघरों में देशी माल की मात्रा में निरन्तर वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

तथापि, क्योंकि इस क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता उसके औद्योगिक आधार के समुचित विकास पर भी निर्भर करती है अतः कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

खाद्य वस्तुओं के परिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए आइसोटोप का प्रयोग

2361. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य वस्तुओं, मछली उत्पादों, दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा और कृषि प्रयोजनों के लिए अधिक उपज वाले बीजों के उत्पादनों के परिक्षण के लिए आइसोटोपों के प्रयोग में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय की योजना की रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (**श्रीमती इन्दिरा गांधी**) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर जो काम किया जा रहा है उसका विवरण परमाणु उर्जा विभाग की वर्ष 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को प्रसारित की गई थीं तथा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया गया है।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

2362. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा केरल में स्थापित किए जाने वाले 8000 मीट्रिक टन अखबारी कागज वाले कारखाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की सरकार ने जाँच कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद**) : (क) और (ख) प्रस्तावित 80,000 मी० टन अखबारी कागज के कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है, और इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिए जाने की आशा है।

टेलीफोन उद्योग के लिए द्रुत-कार्यक्रम

2363. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उद्योग के लिए द्रुत विकास की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं योजना के अंत तक देश में कितने टेलीफोन उपकरणों की आवश्यकता होगी ; और

(घ) क्या वर्तमान एककों के लिए मांग पूरी करना सम्भव होगा और यदि नहीं, तो कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) संचार मन्त्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो देश में दूरसंचार उपकरण की मांग तथा सप्लाई के प्रश्न की जांच करेगी, तत्सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए साधन सुझायगी और देश में दूरसंचार उपरकण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की एक भावी योजना की सिफारिश करेगी। इसी बीच इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर कारखाने की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। नैनी (इलाहाबाद) में दो नए कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें एक कारखाना टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन के लिये है और दूसरा दूरवर्नी पारेषण उपकरण के लिये। इसके अलावा रायबरेली में टेलीफोन स्विचिंग उपकरण के उत्पादन के लिए एक और नया कारखाना खोलने की मन्जूरी दी गई है।

दुग्ध पाउडर तथा कंडैस्ड दुग्ध संयंत्र की क्षमता

2364. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री दुग्ध पाउडर के देश में उत्पादन के बारे में 30 अगस्त, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्ध पाउडर तथा कंडैस्ड दुग्ध का उत्पादन करने वाले वर्तमान संयंत्र में बेकार क्षमता के क्या कारण है विशेषतय जबकि पाउडर की कमी है और उसका लगातार आयात किया जाता है; और

(ख) सरकार का विचार स्थापित क्षमता से पूर्ण उपयोगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए तथा आवेदनों को विस्तार की अनुमति देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दुग्ध उत्पादों के मुकाबले में समाज की तरल दुग्ध की बढ़ती हुई आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है। क्षमता के महीनों की अवधि में तरल की दुग्ध उपलब्धि पर्याप्त कम हो जाती है। इन कारणों से दुग्ध पाउडर, कंडैस्ड दुग्ध और अन्य दुग्ध उत्पादनों के विद्यमान संयंत्रों में बेकार क्षमता रहती है।

दुग्ध उत्पादों में वृद्धि करने के विचार से एक समेकित कार्यक्रम जिसमें गहन पशु विकास और सुधरी पशुपालन प्रणाली शामिल हैं राष्ट्रीय योजना में अन्य बातों को साथ की रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक दूध वाले केन्द्रों से प्राप्त तरल दूध के प्रयोग के लिए दुग्ध उत्पादों के उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। 16,125 मी० टन की क्षमता के डेरी एकक स्थापित करने की योजनायें स्वीकार कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 11,480 मी० टन की क्षमता के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

प्रथम श्रेणी की तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सेवायें

2365. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं सहित, प्रथम श्रेणी की सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी सेवाओं के नाम क्या हैं तथा 1 अक्तूबर, 1972 को पृथक-पृथक प्रत्येक सेवा की कुल स्वीकृत संख्या (दोनों स्थायी तथा अस्थायी) कितनी-कितनी थीं; और

(ख) गृह मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ 34(3) इ ओ/57 दिनांक 17 अक्तूबर 1957 के अन्तर्गत केन्द्रीय सिब्बन्दी बोर्ड द्वारा नियन्त्रित केन्द्रीय सचिवालय पू.त में सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, निदेशकों तथा उप-सचिवों के रूप में पृथक-पृथक प्रत्येक सेवा में कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मशीनी औजारों का निर्माण तथा निर्यात

2366. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनी औजारों के निर्माण तथा निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना क्रियान्विति तथा मानिटरिंग सेल

2367. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एक वर्ष पूर्व योजना क्रियान्विति तथा मानिटरिंग सेल की स्थापना की घोषणा की थी परन्तु इस मानिटरिंग सेल को अभी तक कोई ठोस रूप नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सेल की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग में अप्रैल, 1972 में प्रबोधन (मानिटरिंग) और सूचना प्रभाग स्थापित किया गया था और यह तब से काम कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Space Research During Fifth Plan

2368. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Space be pleased to state :

(a) the results achieved in regard to space research during the last three years; and

(b) the expenditure likely to be incurred thereon during the Fifth Five Year Plan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The details of the results achieved in the field of space research in the country during the last three years are contained in the annual reports of the Department of Atomic Energy, for the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) The projects to be undertaken and the likely expenditure thereon during the Fifth Five Year Plan are being formulated.

टैनरी एन्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया को हुई हानि

2369. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया को पिछले वर्ष की तुलना में 1970-71 में हानि हुई है ;

(ख) यदि हां तो उक्त हानि कितनी हुई और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1970-71 में कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) . टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड से इसके चमड़े के कारखाने अर्थात कूपर एलन एण्ड नार्थ वैस्ट टैनरी को अपने अधिकार में लेने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया था । इन एककों को 1953 से घाटा हो रहा था और बन्द होने वाले थे जब सरकार ने हस्तक्षेप किया और 23-5-1969 को इनको अपने अधिकार में ले लिया । 1968 में कुपर एलन को 96 लाख रुपये का घाटा हुआ जबकि टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को 1966-70 के 10 महीनों में 48.18 लाख रु० का और 1970-71 में 57.83 लाख रु० का घाटा हुआ । सयंत्र की आधुनिकीकरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के पश्चात ही इसमें लाभ होने लगेगा, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) 193.45 लाख रुपये ।

आकाशवाणी (विविध भारती कार्यक्रम) से निरोध का विज्ञापन

2370. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम को सभी आयु वर्गों द्वारा सुना जाता है न कि केवल वयस्कों द्वारा, और क्या सरकार को 'निरोध' के बार-बार विज्ञापन किये जाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विज्ञापन के लिए क्या सरकार का विचार कोई अन्य तरीका निकालने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) . जी हां । 'निरोध' विज्ञापन के बारे में सरकार को कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । तथापि, सरकार ने

यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'निरोध' विज्ञापन केवल देर रात्रि जबकि परिवार के निम्न आयु वर्ग के सदस्य आमतौर पर सो जाते हैं, में ही प्रसारित हो, पर्याप्त कदम उठाये हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कर्मचारी

2371. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में राजपत्रित तथा सिपाहियों सहित अन्य श्रेणियों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित कितने-कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियाँ
(i) श्रेणी I	1	2
श्रेणी II	शून्य	शून्य
श्रेणी III	4,913	2,129
(ii) **सीमा सुरक्षा बल**		
श्रेणी I	10	5
श्रेणी II	13	1
श्रेणी III	6,289	2,490

(ख) . इन बलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए इन्हें अधिक से अधिक भरती करने के प्रयत्न किये जाते हैं। किन्तु अखिल भारतीय सेवा के दायित्वों तथा कठिन किस्म की ड्यूटियों के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार इन बलों में स्वेच्छा से नहीं आते।

विदेशी फर्मों के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मशीनी औजारों के लिए डिजाइन तैयार किया जाना

2372. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की दो फर्मों के साथ डिजाइनों तथा विपणन की व्यवस्था कर रहा है ;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनके अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के इंजीनियर तथा विदेशी कम्पनियाँ नए मशीनी औजारों के लिए संयुक्त रूप से डिजाइन तैयार करेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है और इस प्रक्रिया से सरकार को क्या लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां,

(ग) इस व्यवस्था से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, आन्तरिक बाजार तथा निर्यात बाजार के लिए जटिलतम मशीनी औजारों के निर्माण हेतु अपने अनुसंधान और विकास प्रयत्नों को और आगे बढ़ा सकेगा। यह भी आशा की जाती है कि इसके विदेशी मुद्रा के व्यय में पर्याप्त बचत होगी और आयात से कुछ आय भी होगी।

Soviet Assistance for Development or Electronics Industry

2373. Shri Hari Singh : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Soviet assistance has been received for the development of Electronics Industry in the country;

(b) whether two teams of experts from India had visited U. S. S. R. in this regard; and

(c) whether any report has been submitted by the said Study teams; if so, the main features thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) To obtain uptodate information about the development of electronics in USSR and other East European countries. Government sponsored the visits of two delegations to these countries during the months of July-August, 1972. One of the delegations was to deal with computers and the other with electronics in general.

The delegations explored the possibilities of greater technical cooperation and trade in these field between India and these countries.

The reports submitted by the delegations are still under study.

Report of the Study Group of Economic Development of Hill Areas

2374. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the study Group appointed by the Planning Commission to make a study of the problem of economic development of Hill Areas has presented its report after completing the study of these areas:

(b) the names of the Hill Areas of which a study was made; and

(c) the main features of the report and the time by which its recommendations would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) A Special Cell for dealing with the preblems of development of Hill Areas has been constituted in the Planning Commission which is dealing with the collection and processing of relevant data and inititaing suitable studies. It is not contempleted that this Cell will present a report; it will function and deal with the speacial problems of Hill areas in the same manner as other groups of Divisions in the Planning Commission.

In addition, a Committee of Direction has been set up under the Chairmenship of a Member of the Planning Commission with officers of the Planning Commission, the Ministry of Agriculture and the Government of U. P. as members. As the instance of the Committee of Direction, a number of studies connected with the development of Hill districts of U. P. have been taken up, which are still to be completed.

(c) Does not arise.

बड़ौदा के लिए, 300 लाइन का क्रास बार टेलीफोन एक्सचेन्ज

2375. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के लिए 1964 में 3000 लाइन वाले क्रास बार टेलीफोन एक्सचेन्ज की मंजूरी दी गई थी;

(ख) क्या क्राम-बार टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत तैयार है और अधिकांश उपकरण अनुपयुक्त पड़े हैं,

(ग) क्या यह आश्वासन दिया गया था कि 1971 के अन्त तक एक्सचेंज कार्य करने आरम्भ कर देगा, और

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में क्राम-बार टेलीफोन एक्सचेंज को स्थापित करके चालू करने का है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बड़ौदा में 3000 लाइनों का एक क्रास बार आटोमैटिक एक्सचेंज बिठाने के लिए प्राइवेट एस्टीमेंट की मंजूरी दिसम्बर, 1965 में दे दी गई थी।

(ख) क्रास बार एक्सचेंज के लिए नई इमारत तैयार है। इस इमारत में एक्सचेंज बिठाने का काम अगस्त, 1972 से शुरू किया जा चुका है।

(ग) लोक-सभा में इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(घ) एक्सचेंज बिठाने का काम पहले ही हाथ में लिया जा चुका है। आशा है कि यह एक्सचेंज 1974 में चालू हो जायेगा।

टेलीविजन-सैटों के मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही

2376. श्री **फतेह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क, क्या सरकार को पता है कि टेलीविजन सैटों के अधिक मूल्य के कारण टेलीविजन कार्यक्रम आम जनता तक जिनके लिए यह बनाये जाते हैं, नहीं पहुँच पाते, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार टेलीविजन सैटों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि जनसाधारण भी इनको खरीद सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) तथा (ख) सामान्यतः व्याख्या करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा मूल्य पर भी टी० वी० सेट एक अधिक मूल्य वाली मद है और इस प्रकार की निजी खरीद के लिए भारत की आमजनता की पहुंच से बाहर है। यह आशा की जाती है कि सामुदायिक-रिसीवरों के प्रयोग द्वारा अधिक श्रोताओं तक कार्यक्रम पहुँच सकेंगे। प्रयोग में आने वाले टी० वी० सैटों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

सरकार को पता है कि देश में टी० वी० सैटों की कीमतों को गिराने के लिए, कुछ आवश्यक कदम विचाराधीन हैं :—

(1) अधिक मात्रा उत्पादन की स्थापना करके इलैक्ट्रानिक्स घटकों की कीमतों में क्रमिक कमी, घटक, टी० वी० सैटों के मूल्य के भाग को प्रभावित करते हैं, विशेषकर, सरकार टी० वी०

पिक्चर ट्यूब की कीमत को जो एक मात्र सबसे बड़ी मद है, नीचे लाने के उपायों पर विचार कर रही है।

(2) टी० वी० सैटों का अधिक मात्रा में उत्पादन, ताकि मांग के अनुसार पर्याप्त संपूर्ति हो उद्योगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, विशेषकर लघु-उद्योग क्षेत्र में, और आशा की जाती है कि इससे पर्याप्त वाणिज्य स्पर्धा बढ़ेगी।

(3) ट्रांजिस्टर युक्त टी० वी० सैटों का उत्पादन।

(4) छोटे पर्दे वाले टी० वी० सैटों का आरम्भ करके छोटे टी० वी० ट्यूब/स्क्रीन से सम्बन्धित तकनीकी/मार्केटिंग स्वरूप हैं जो परीक्षाधीन हैं और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम

2377. श्री बी० वी० नायक : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम है जो संयुक्त क्षेत्र की कसौटी के अनुरूप हो ;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) अन्य क्षेत्रों की तुलना में उनका कार्यकरण कुल मिलाकर कैसा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की इक्वटी के साथ साथ अन्य पार्टियों की इक्वटी में पूंजी लगाती है। ऐसे मामलों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की एक सूची जिनमें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों द्वारा इक्विटी शेयर लिये गये हैं, सरकारी उद्यम ब्यूरों द्वारा संकलित की गई है और यह केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपक्रमों के कार्यकरण से संबंधित उनकी 1970-71 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबन्ध 2 के रूप में प्रकाशित की गई है, जिस की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। अन्य उपक्रमों की तुलना में ऐसे उपक्रमों जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शेयर हैं के सम्पूर्ण कार्य परिणाम के बारे में आम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि परिव्यय उद्योगों के प्रकार परिस्थितियां और अलग अलग उद्योगों के उत्पादन ढांचे और अन्य सम्बन्धित कारणों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली के औद्योगिक एककों को ऋण

2378 श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों औद्योगिक एकक, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन से ऋण लिया है, ऋण की वापसी के मामले में पीछे रह गये हैं ;

(ख) क्या अधिकांश औद्योगिक एककों ने या तो अपने संस्थानों को बन्द कर दिया है या वे अपने संस्थानों को दिल्ली से बाहर ले गये हैं ;

(ग) अदायगी के इन बकाया मामलों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) अदायगी न करने वाले इन एककों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग) जिन औद्योगिक एककों ने दिल्ली प्रशासन से ऋण लिया है और जिन पर रकम बकाया है उनकी संख्या तथा ऋण की कुल राशि निम्न प्रकार है:—

औद्योगिक एककों की संख्या जिन्होंने ऋण लिया है	...	5816
उन औद्योगिक एककों की कुल संख्या जिन पर बकाया रकम है	...	861
वितरित किया गया कुल ऋण		386 लाख रु०
बकाया राशि	...	7.61 लाख रु०

(ख) जी, नहीं।

(घ) बकाया रकम को लगान (लैन्डरवैन्यू) की भांति वसूल किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता

2379. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के नेताओं "द्वारा धरती के सुपुत्र" विचार धारा के प्रचार को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ;

(ख) क्या इस विचारधारा से राष्ट्रीय एकता की भावना कम होती है और इस से जन साधारण को मुख्य निकाय (राष्ट्र) से दूर होने में सहायता मिलती है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा गठित क्षेत्रीय स्वरूप समिति ने निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अपर्प्ति अवसरों के होने से राज्यों में उत्पन्न असन्तोष पर ध्यान दिया है। समिति ने बल दिया है कि संविधान इकहरी नागरिकता को मान्यता देता हैं और भारतीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है कि इसका सम्मान व परिक्षण होना चाहिए। समिति ने साथ ही एक और सिफारिश की थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों तथा उनमें यह भावना न हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए जहां राज्य के लोगों में से योग्यता प्राप्त स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध हों, उन्हें रोजगार का अधिकाँश भाग दिया जाना चाहिए तथा नीति के रूप में रोजगार देने वालों से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुरोध करना चाहिए। यथोचित कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के ध्यान में इस सिफारिश को लाया गया था। इन सिफारिशों के अनुसरण में सम्बन्धित मंत्रालयों ने उपयुक्त आदेश जारी किए हैं।

उद्योगों की प्रोद्योगिकी में कमी

2380. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दोनों क्षेत्रों में हमारे उद्योग टैकनोलाजी में पिछड़े हुए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक उद्योग को इस बात के लिए बाध्य करने का है कि वह एक डिजाइन विकास विभाग अपने अपने उद्योग के साथ सम्बद्ध रखें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : यद्यपि देश में पर्याप्त औद्योगिक आधार का विकास हो चुका है फिर भी, कतिपय जटिल और नये क्षेत्रों मे जहां देशी प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हैं, प्रौद्योगिकी कार्बजीं या कुछ अंतर अभी विद्यमान हैं। इसलिए सरकार ने केवल ऊन्हीं क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए चयानात्मक पद्धति अपनाई है और इसके साथ ही देश में अनुसंधान और विकास करने पर भी अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। जुलाई 1970 में सरकार ने उन 121 वस्तुओं का उदाहरण देते हुए एक विस्तृत सूची जारी की थी जिनके संबंध में देश में प्रौद्योगिकी संबंधी अन्तर विद्यमान था और जहां विदेशी सहयोग की गुंजाइश थी।

(ग) एक पृथक डिजाइन विकास संकल्प स्थापित करने की आवश्यकता उद्योग के प्रकार पर निर्भर करेगी। सरकार देशी डिजाईन के विकास को पर्याप्त महत्व देती है और देशी डिजाइन की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक अभ्युपाय किए जाते है। विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय सरकार एक शर्त यह भी लगाती है कि विदेशी सहयोग की अवधि में भारतीय कम्पनी अपनी डिजाइन और अनुसंधान सुविधाओं का विकास और स्थापना करे ताकि विदेशी सहयोग की अवधि हो जाने के पश्चात् विदेशी कम्पनी पर निर्भर न रहना पड़े।

तिब्बत के शरणार्थियों की जाँच-पड़ताल

2381. श्री राजदेव सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों, विशेषकर तिब्बत से आये शरणार्थियों के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या तिब्बती शरणार्थियों की जांच-पड़ताल के कार्य में हाल में ढील दी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान तिब्बती शरणार्थियों में से 11 का चीन के एजेन्ट होने के सन्देह में पता लगाया गया है। उनमें से 7 को दोषी सिद्ध किया गया और विभिन्न अवधि की सजायें दी गयी और जुर्माना किया गया। 3 पर मुकदमा चल रहा है और एक मामले में जांच की जा रही है।

(ग) : जी नहीं।

इन्टरनेशनल सोसायटी फार कृष्णा कांशसनैस

2382. श्री राजदेव सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि "इन्टरनेशनल सोसायटी फार कृष्णा

काँशसनेस" का सी० आई० ए० के साथ सम्पर्क हैं अथवा वह उससे कोई वित्तीय सहायता लेती है;

(ख) इस संस्था को किन साधनों से इतना अधिक धन प्राप्त होता है;

(ग) क्या अपने वित्तीय साधनों तथा अनुयायियों को बढ़ाने के लिए उन का प्रयत्न फिल्म प्रेमियों पर प्रभाव डालना है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार समिति के आय के स्रोत चन्दा, दान तथा साहित्य की बिक्री है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पटना स्थित डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का पुनः भुगतान

2383. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय के पुनः भुगतान के बिल हाल में तीन गुना बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। वर्ष 1970-71 में पटना के डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में जितनी रकम का भुगतान किया गया था, वर्ष 1971-72 के दौरान उस रकम से करीब 43 प्रतिशत अधिक रकम का भुगतान किया गया है।

(ख) नियन्त्रण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जो अधिकार दिए गए हैं उनके अधीन कर्मचारियों के सन्देहजनक चिकित्सा-व्यय के दावे नामंजूर कर देने जैसे कठोर कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा पटना में एक अतिरिक्त डाक-तार चिकित्सालय खोलने की अनुमति दे दी गई है। आशा है कि इस चिकित्सालय के खुल जाने पर चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के खर्च में आगे और कमी हो जाएगी।

Applications from Monopoly Houses for setting up of Industries in Madhya Pradesh

2384. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any application for Industrial Licences has been received from any Monopoly House after Ist March. 1972 for setting up industries in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the number of applications received and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddhedhwar Prasad) : (a) No application for setting up a new undertaking in Madhya Pradesh has been received after March 1, 1972 from any of the 20 larger industrial houses as defined in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee Report.

(b) Does not orise.

A. I. R. Correspondents Abroad.

2385. Shri G. C. Dixit : Wil the Minister of **Information and Broadcating** be pleased to state :

(a) whether there is any Correspondent from Madhya Pradesh among the All India Radio correspondents working abroad;

(b) if so, the number of despatches sent by him during the year 1971-72; and

(c) whether he is a full time or a part-time correspondent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : All India Radio has three full-time staff correspondents posted abroad. The citizenship of a correspondent and not the State domicile is enquired into while making appointment.

(b) & (c) Do not arise.

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में पूंजी निवेश

2386. श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना में वर्ष-वार संगठित गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ख) तदनुसार योजना लक्ष्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में निवेश के आंकड़े काफी समय बीत जाने के बाद उपलब्ध होते हैं क्योंकि उनमें कम्पनियों के तुलन पत्र का विश्लेश्न करना होता है । फिर भी, 1969 से 1971 के कलेण्डर वर्षों में गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1969	—	—	—	92.7 करोड़ रु०
1970	—	—	—	86.7 करोड़ रु०
1971	—	—	—	77.7 करोड़ रु०

(ख) इस संबंध में वर्षवार योजना के कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये हैं ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल से आवेदन पत्र

2387. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि में महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के लिए कितने लाइसेंस मंजूर किए गए; और

(ग) उक्त अवधि में महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर किए गए लाइसेंसों में अन्तर्ग्रस्त पूजी कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1970	1971	1972 (30-9-72 तक)	योग
महाराष्ट्र	735	641	452	1828
पश्चिम बंगाल	156	197	180	533

(ख) उपर्युक्त अवधि में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को स्वीकृत किये गये लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है:—

	1970	1971	1972 (30-9-72 तक)	योग
महाराष्ट्र	106	168	95	369
पश्चिम बंगाल	41	84	42	167

(ग) वर्ष 1971 और 1972 (30-9-72 तक) की अवधि में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को स्वीकृत किये गये लाइसेंसों में निहित भूमि, इमारत और मशीनों के लिये व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :—

राज्य	1971	1972 (30-9-72 तक)	योग
महाराष्ट्र	9,013.74 लाख रु०	8,464.10 लाख रु०	17,477.8 लाख रु०
पश्चिम बंगाल	6 881.52 लाख रु०	3,790.77 लाख रु०	10,672.29 वही
	15 895.26 लाख रु०	12 254.87 लाख रु०	28,150.13 लाख रु०

वर्ष 1970 की अवधि के ऐसे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे गये थे ।

सूखेके दौरान आरम्भ किए सूखा रहत कार्यों तथा आपातकालीन उत्पादन कार्य-क्रमों को दीर्घावधि विकास कार्य-क्रमों में बदलने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2388. श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों को सुझाव दिया है कि सूखे के दौरान आरम्भ किए गए सूखा रहत कार्यों तथा आपातकालीन उत्पादन कार्य-क्रमों का दीर्घावधि विकास कार्य-क्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य-क्रमों को पूरा करने हेतु क्या कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्षा की कमी के कारण खरीफ के उत्पादन में होने वाली संभावित कमी को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण देश में शुरू किया गया आपतकालीन उत्पादन कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है। इसको दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्षा की कमी के कारण पैदा हुई विपत्तियों को दूर करने के लिए देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए अकाल सहायता कार्यों के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार शुरू किए गए कार्यों को दीर्घावधि कार्यक्रमों के साथ मिला दिया जाय ताकि इनसे स्थाई लाभ प्राप्त हो सकें।

(ख) अकाल सहायता कार्यो पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए बनाए गए केन्द्रीय दलों द्वारा राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे इन सीमाओं के अन्दर ही उस सहायता कार्य को पूरा करें : अतः अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राज्य की राजधानी तथा महाराष्ट्र के अन्य जिला प्रधान कार्यालयों के बीच सीधी टेलीफोन लाइनें

2389. श्री ए० एस० कस्तूरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के वे जिला प्रधान कार्यालय कौन से हैं जिनको अब तक राज्य की राजधानी से सीधी टेलीफोन लाइनों द्वारा नही मिलाया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी के साथ सीधी टेलीफोन लाईन के जरिए जुड़े नहीं हैं :—

भंडारा, भोर, बुलदान, चाँदा, अलीबाग (कोलाबा) उस्मानाबाद, परभानी और वर्धा।

राजस्थान में लाइसेंसों और आशय-पत्रों का जारी किया जाना

2390. श्रीमती कृष्णा कुमारी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कुल कितने आवेदन पत्रों की सिफारिश की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल कितने आशय पत्र जारी किए; और

(ग) राजस्थान में औद्योगीकरण की गति को बढ़ाने की दृष्टि से आवेदन पत्रों की प्राप्ति और आशय पत्रों के जारी करने के बीच समय को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व पहले सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशें नियमित रूप से मांगी जाती हैं और उनपर औद्योगिक विचार किया जाता है। वर्ष 1970-71 और 1972 (30-9-72) के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 259 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और राजस्थान को 60 आशय पत्र जारी किए गए।

(ग) सरकार औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए हर प्रयत्न कर रही है और उनके निपटान के तरीके की सतत संवीक्षा की जाती है। समय समय पर अनिर्णीत आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के बारे में अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं और कदम उठाए गए हैं। इन अनुदेशों में पुराने आवेदन पत्रों पर विचार करने का विशेष अभियान शामिल है। उच्चतर स्तर पर अनिर्णीत आवेदन पत्रों की सामयिक संवीक्षा आशय पत्र जारी किए जाने तक विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही के लिए समय की सीमा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा पूरी जांच किए बिना भी कुछ समय के पश्चात अनिर्णीत मामलों पर स्वतः ही विचार करना। कुछ प्रकार के मामलों का विकेन्द्रीकरण और इन मामलों आदि के बारे में जानकारी के तरीके में संशोधन, शामिल हैं।

चौथी योजना के दौरान पूरी होने वाली राजस्थान में आरम्भ की गई परियोजनाएं

2391. श्रीमती कृष्णा कुमारी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना परिव्यय रखा गया है;

(ख) सहायता अनुदान और ऋणों के रूप में अलग-अलग केन्द्रीय सहायता कितनी है और चौथी योजना के लिए संसाधनों में राज्य का कितना अंश है;

(ग) अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) अब तक कौन-कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम और निर्माण, कार्य अलग-अलग आरम्भ किए गए हैं और पूरे किये गए हैं; और

(ङ) क्या विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय को अन्य विकास परियोजनाओं के लिए लगाया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). राजस्थान के लिए स्वीकृत चौथी योजना परिव्यय 302 करोड़ रुपए है जिसमें कि केन्द्रीय सहायता के 220 करोड़ रुपये तथा राज्य स्रोतों के 82 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, राज्य वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत परिव्ययों के मुकाबले वास्तविक व्यय के अनुसार 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के आधार पर ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार योजना अवधि के पहले तीन वर्षों (1969-72) में वास्तविक व्यय 173.08 करोड़ रुपये बैठता है। 1972-73 के लिए राज्य सरकार ने प्रत्याशित व्यय का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 65 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले व्यय 68.72 करोड़ रुपये का है।

(घ) तथा (ङ). राज्य सरकार, जिसे कि आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था, ने सूचना भेजने में कठिनाई व्यक्त की है। जहां तक निर्धारित किए गए परिव्ययों में परिवर्तन का प्रश्न है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निर्धारित क्षेत्र के परिव्ययों को गर निर्धारित क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया गया है।

दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

2392. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सफाई कर्मचारी बारह दिनों से हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वैध मांगें निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली नगर निगम के कुछ सफाई कर्मचारी 30-10-1972 से हड़ताल पर हैं ।

(ख) उनकी 19 मांगों में से 14 माँगें 19-5-1972 को स्वीकार की गई थीं और दिल्ली नगर निगम द्वारा उनको कार्यान्वित किया जा रहा है । अन्य 5 मांगों को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली को भेजा है तथा निर्णय की कार्यवाही जारी है ।

Posts Lying Vacant in Various Ministries

2393. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) the category wise number of posts lying vacant for one year in various Ministries; and

(b) the action being taken by Government to fill these posts early. keeping in view the unemployment problem ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b). Ministries/Departments are themselves required to take necessary steps to fill vacancies in various categories of posts in accordance with the procedure prescribed in the relevant Recurtment Rules for filling up the posts. As snch no centralised information regarding category wise number of posts lying vacant in various Ministries is ovailable.

In view of the imperative need for economy a limited ban on direct recruitment to Class III and Class IV posts, other than technical, operational, or field posts or those in scientific, commercial, or trading establishments, has been in operation during the last three years, with the result that a certain percentage of such posts had to be kept vacant. However, after a review of the matter, tho restrictions mentioned above have been modified as follows :

(i) Ministries/Departments and their Attached and Subordinate Offices may fill upto a maximum of 75% of the direct recruitment Vacancies arising in Class III services/posts. The recruitment to the vanaocies now released for being filled up, would be made according to a phased programme spread over a period of two to three years, depending upon the requirements of each office/establishment.

(ii) The requirements of various categories of Class IV Staff is to be worked out in accordance with norms laid down for each category and the deficiencies in each category may be made good in consultation with the associate finance of the Ministry/Department, through a phased programme of recruitment spread over a period of two to three years.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की व्यवस्था का पुनर्गठन

2394. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की व्यवस्था के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक विवरण संलग्न करके सदन के सभापटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3858/72]

मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सैनानियों का प्रधान मन्त्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये ताम्र पत्र

2395. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के वतंमान स्वर्ण जयन्ती वर्ष में मध्य प्रदेश के कितने स्वतंत्रता सैनानियों को प्रधान मंत्री द्वारा 'ताम्र पत्रों' से सम्मानित किया गया है ;

(ख) कितने स्वतंत्रता सैनानियों को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा ताम्र पत्र दिये गए है ; और

(ग) क्या आई० एन० ए० के भूतपूर्व सैनिकों को भी ताम्र पत्र' देकर सम्मानित किया गया है ; यदि हां तो प्रधान मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा सम्मानित आई० एन० ए० के व्यक्तियों के अलग-अलग नाम क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) दिल्ली में 15 अगस्त, 1972 को मध्य प्रदेश के 74 स्वतंत्रता सैनानियों को ताम्र पत्र दिये गये थे।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में अब तक स्वतंत्रता सैनानियों को ताम्र पत्र देने के लिए कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया है, परन्तु राज्य सरकार जयन्ती वर्ष के दौरान अनेक समारोहों का आयोजन कर रही हैं।

(ग) मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सैनानियों में, जिनको अब तक ताम्र पत्र दिये गये हैं, आजाद हिन्द फौज का कोई कर्मचारी नहीं है। परन्तु मार्ग-दर्शन में उन स्वतंत्रता सैनानियों को जो पात्र हैं, ताम्र पत्र देने की व्यवस्था है अतः मध्य प्रदेश के किसी भी पात्र आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी का नाम बाद की सूचियां में सम्मिलित किया जायेगा।

जिला योजनाओं के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत

2396. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने जिला स्तर की योजनाओं के लिए कुछ मार्ग दर्शक सिद्धांत राज्यों को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो वह मार्ग दर्शक सिद्धांत क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

जिला योजनाएं तैयार करने के लिए निर्धारित मार्ग निर्देशक सिद्धांतों में जिला आयोजना की संकलपना तथा जिला योजनाएं तैयार करने के लिए उठाये जाने वाले विशेष कदमों का उल्लेख

किया गया है। इनका आधार यह मूल तथ्य है कि स्थानीय क्षमताओं एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने तथा राज्य स्तर पर आयोजना के दृढ़ आधार की व्यवस्था करने के लिये जिला योजनाएं तैयार की जाएं। साथ ही इन में जिला योजनाएं तैयार करने के लिये विशिष्ट कदमों का उल्लेख भी है। जो कदम निर्धारित किये गये वे इस प्रकार है :—

(क) जिले के विभिन्न उप क्षेत्रों की समुन्नति, भौगोलिक स्थिति, वर्षा, जल-निकासी, भूमि की संरचना, जनता का वितरण तथा उत्पादक क्षेत्रों में विकास-स्तरों अवस्थापना एवं समाज सेवाओं के रूप में भौतिक-भौगोलिक स्थितियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिये ये आंकड़े जिला योजनाएं तैयार करने के लिये आधारभूत सामग्री प्रस्तुत करेंगे।

(ख) इन आँकड़ों का अध्ययन किया जाना चाहिये तथा इन्हें प्रारम्भिक तौर पर इस प्रकार सूचीबद्ध किया जाना चाहिये कि उसमें संसाधनों, समस्याओं एवं सम्भावनाओं का उल्लेख हो तथा जिले के विभिन्न उप-क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाकलापों को दी जाने वाली प्राथमिकताएं निश्चित हों।

(ग) सम्भावनाओं, उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं सम्बन्धी प्रारम्भिक ढांचे के आधार पर अधिकारियों तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की जायें ताकि ढांचे में निहित विभिन्न अनुमानों एवं कल्पनाओं के सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रियाएं जानी जा सकें। खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तर के अधिकारियों की बैठकों के अतिरिक्त प्रगतिशील किसानों तथा उद्यमियों और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाय। इस प्रकार का परामर्श उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये नहीं अपितु विकास की समस्याओं एवं सम्भावनाओं तथा प्रारम्भिक ढांचे में निर्धारित दृष्टिकोणों को सम्भाव्यता के सम्बन्ध में उनके विचार जानने के लिए किए जाने चाहिये।

(घ) विचार-विमर्शों के आधार पर उपर्युक्त ढांचे का पुनर्मूल्यांकन, संशोधन एवं विस्तार किया जाना चाहिये। इसके आधार पर विकास की दीर्घकालीन सम्भावनाओं का विवरण तथा माध्यम एवं अल्पकालीन योजनाओं के लिए समेकित नीति का विकास किया जाना चाहिये।

(ङ) अन्तर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं तथा प्रत्येक क्षेत्र की आन्तरिक प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिए, क्षेत्र तथा कार्यक्रमवार उद्देश्य निर्दिष्ट किये जाने चाहियें तथा नई स्कीमें तैयार करने और वर्तमान स्कीमें संशोधित करने के लिए दिशाएं निर्धारित की जानी चाहिये।

(च) ठोस स्कीमें तैयार की जानी चाहिये जिसमें वित्तीय, भौतिक तथा कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिये।

मार्ग-निर्देशक सिद्धांतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पाँच अध्याय हैं :

1. जिला आयोजना सम्बन्धी संकल्पना
2. जिला योजनाएं तैयार करना
3. विकास के वर्तमान स्तरों का मूल्यांकन
4. विकास हेतु आयोजन
5. चौथी योजना तथा भावी योजना के लिये लक्ष्य निर्धारण

जिला योजनाओं को एक पद्धतिबद्ध रीति से तैयार करने में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से मार्गनिर्देशक सिद्धांतों में अनुबन्ध भी जोड़े गये हैं जो (क) जिला योजनाओं के लिये एक रूपरेखा

प्रस्तुत करते हैं, (ख) आंकड़े संकलित करने के लिए प्रपत्रों की व्यवस्था करते हैं, (ग) मार्ग-निर्देशक बातें निर्दिष्ट करते हैं तथा (घ) उप-क्षेत्रों के निर्धारण की रीति-विहित करते हैं ।

पी० टी० आई० का अधिग्रहण

23·7. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस आशय की कितनी सिफारिशें मंत्रालयों तथा अन्य समितियों से मिली है कि सरकार को पी० टी० आई० को हाथ में लेने हेतु कदम उठाने चाहियें ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थिति पी० टी० आई० भवन के प्रबन्ध के लिए पी० टी० आई० नया संस्थान संगठित कर रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर थोड़ा नियंत्रण करने का है ताकि सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित यह भवन दूसरों के हाथों में न जाने पाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप- मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) . इस प्रकार की कोई सिफारिश सरकार को नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) . प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया इम्पलाईज यूनियन द्वारा ऐसे एक प्रस्ताव का हवाला उनके द्वारा पारित एक प्रस्ताव में तथा सरकार को भेजे गये एक अभ्यावेदन में दिया गया है । ऐसी किसी योजना के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है । इस सम्बन्ध में प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया से कोई पत्र नहीं मिला है ।

परमाणु शक्ति संयंत्रों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

2398. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में नया परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का विशेषज्ञ सर्वेक्षण दल परमाणु शक्ति केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सम्बन्धित गुणों के निर्धारण हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों का सर्वेक्षण कर रहा है ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) नये परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक स्थलचयन-समिति नियुक्त की है । समिति ने उत्तरी विद्युत क्षेत्र के स्थलों के सम्बन्ध में अपनी आन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है । आजकल यह समिति पश्चिमी विद्युत क्षेत्र के स्थलों की जाँच कर रही है तथा उसके बाद दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में भी इसी प्रकार की जांच करेगी । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर सरकार

द्वारा विचार किये जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि पश्चिमी क्षेत्र में बिजलीघर किस स्थान पर स्थापित किया जाये ।

देश में उपद्रवों के पीछे तत्व

2399. **श्री शशि भूषण** :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन तत्वों का पता लगाने के लिए जांच की है जिनका दिल्ली तथा देश के अन्य भागों के उपद्रवों के पीछे हाथ है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) . देश के विभिन्न भागों में विधि और व्यवस्था की स्थिति का अपना-अपना विशिष्ट स्वरूप है । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विभिन्न दंगों के लिए एक समान तत्व उत्तरदायी है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ पूरी तरह सम्पर्क रखती है तथा दंगों से निपटने के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान करती है ।

Production Capacity in Public and Private Sectors

2400. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total annual capacity and production in public sector industries in the country in terms of rupees ; and

(b) the comperative position of the private sector in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) . A Statement is attached. (Placed in Library See No L. T. 3859/72)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे कार्य मंत्रणा समिति ने स्वीकार किया था परन्तु वह विषय सूची में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बड़ी विचित्र बात है कि इसे निकाल दिया गया है पहले ऐसा कभी नहीं हुआ । लोकतंत्र के चलने का यह तरीका नहीं है ।

श्री पी० एम० मेहता : यह प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हैं । उन्हें आने दीजिये ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय बेतार तार (प्रदर्शन अनुज्ञाप्ति) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1446 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय बेतार तार (प्रायोगिक सेवा) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1447 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3845/72]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1152 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 23 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1153 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवाँ संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1313 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3846/72]

युगांडा से विदेशीय आदेश, 1972 और हिन्दी के प्रसार और विकास के लिये उसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति बढ़ाने के कार्यक्रम के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विदेशीय अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उपधारा (2) के अन्तर्गत युगांडा से विदेशीय आदेश 1972 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 446(ड) में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 3844/72]

(2) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति बढ़ाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3843/72)

भारतीय रेल (संशोधन विधेयक

INDIAN RAILWAY (AMENDMENT) BILL

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री टी० ए० पाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा बालयोगेश्वर से पूछताछ

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक सीमा-शुल्क अधिकारी ने उससे रिश्वत के रूप में एक लाख रुपये लेने की मांग की। यहाँ तक कि एक कांग्रेसी व्यक्ति, श्री शंभुनाथ मिश्र उसके मुकदमें में वकील की हैसियत से बचाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभा-पटल पर इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य कब देगें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अभी यहीं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) क्या आप स्पष्टीकरण देने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के लिये कह सकते हैं, परन्तु स्पष्टीकरण के लिए नहीं।

श्री आर० के० गणेश।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : 7-11-72 को पालम पर विदेशी मुद्रा, ज्वाहरात तथा घड़ियों के कथित तस्कर आयात के सम्बन्ध में साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए श्री प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ श्री बालयोगेश्वर को, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के अन्तर्गत 21-11-72 को 10 बजे प्रातः सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता (निवारक) नई दिल्ली के समक्ष सीमाशुल्क गृह में रूबरू पेश होने के लिए बुलाया गया था।

इस आदेश के जवाब में, श्री प्रेम पाल सिंह रावत के एडवोकेट श्री बी० एम० एन० कचेर

ने इस आशय का एक लिखित आवेदन भेजा कि श्री रावत का बयान 22-11-72 को 6 बजे सायं अशोका होटल में लिया जायगा। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था।

श्री प्रेमपाल सिंह रावत, निर्धारित तारीख और स्थान पर, सायं 6 बजकर 20 मिनट पर सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता (निवारक), नई दिल्ली के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए। उनके साथ 8 अन्य व्यक्ति थे जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:—

1. श्री एम० एन० मिश्र संसद सदस्य तथा वरिष्ठ एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय
2. श्री वाई० एस० महाजन, संसद सदस्य तथा बार-एट-ला
3. श्री एन० एस० बिष्ट, संसद सदस्य तथा एडवोकेट
4. श्री बी० एम० एन० कचेर, एडवोकेट
5. श्री बी० डी० मुखर्जी, एडवोकेट

श्री एस० एन० मिश्र, संसद सदस्य, एडवोकेट ने एक प्रारम्भिक प्रश्न उठया कि संविधान के अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत यह अनिवार्य नहीं है कि श्री रावत सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष कोई बयान दें। सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता, ने उन्हें सूचित किया कि संविधान का अनुच्छेद 20, जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि "किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा", इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि श्री रावत को, वर्तमान स्थिति में, किसी अपराध के सम्बन्ध इस्तगासे की कार्यवाही के लिये नहीं बुलाया गया है जैसी कि संविधान के अन्तर्गत परिकल्पना की गई है। तब श्री मिश्र ने यह तर्क दिया कि श्री रावत से पूछाताछ उनकी उपस्थिम में की जानी चाहिए और उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे पूछताछ की कार्यवाही को टेप रिकार्ड करेंगे। इस प्रयोजन के लिए वे एक टेप-रिकार्डर अपने साथ लाये थे। सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता ने श्री मिश्र तथा अन्य व्यक्तियों को सूचित किया कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के अधीन, जिसके अन्तर्गत सम्मन जारी किये गये थे, सीमाशुल्क अधिकारी को आवश्यक अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी प्राधिकृत एजेन्ट के जरिये पेश होने के लिए बुला सकता है और चूंकि इस मामले में ऐसे सम्मन जारी किए गए हैं जिनमें श्री रावत को रूबरू पेश होने के लिए कहा गया है, इसलिये वह, (सयायक समाहर्ता) बहुत से सलाहकारों अथवा एजेन्टों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोई व्याख्या नहीं है जिसके अधीन धारा 108 के अन्तर्गत सम्मन पर बुलाये गये किसी व्यक्ति को टेप-रिकार्डर का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय। श्री एस० एन० मिश्र ने आग्रह किया कि जो दो शर्तें रखी हैं उन्हें पूरा किया जाय। बातचीत चलती रही और प्रत्येक पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर कायम रहा। अन्त में 7 बजे सायं श्री एन० एस० बिष्ट और श्री एस० एन० मिश्र जाने के लिए उठ खड़े हुए और श्री रावत तथा अन्य व्यक्तियों को अपने साथ ले गये।

अगले दिन श्री बी० एम० एन० कचेर एडवोकेट से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें खेद है कि कुछ गलतफहमी के कारण 22 नवम्बर को श्री प्रेम पाल सिंह रावत का बयान नहीं लिया जा सका। उन्होंने अनुरोध किया कि 23 तारीख को सायं 6 बजे उसी स्थान पर सुनवायी नियत की जाय और केवल एक व्यक्ति को उनके साथ आने की अनुमति ही जाय। परन्तु शाम को सूचना मिली कि श्री रावत बीमार पढ़ गये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय चाहते थे कि मुझे सभा में वक्तव्य देना चाहिए, इसलिए यह सूचना प्राप्त की गई। कानून के अन्तर्गत कार्यवाही

चलती रहेगी और सरकार सक्षम क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली सामान्य जांच-पड़ताल के दौरान न्यायनिर्णय सम्बन्धी परवर्ती कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्द गाँव) : एक सीमा-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया गया है कि उसने एक लाख रुपये लेने चाहे । किसी व्यक्ति के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि वह सीमा-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशिष्ट आरोप लगाया था । यह समाचार पत्रों में आ चुका है कि सीमा-शुल्क अधिकारी ने एक लाख रुपये माँगे थे . . .

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिये । वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है । वह चर्चा के लिए कह सकते हैं ।

Shri Jyotirmoy Bosu : Please ask for a clarification.

अध्यक्ष महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

Mr. Speaker : Why all the hon. Members are Speaking to gether?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । तस्करी से जो माल लाया गया है, उसकी सूची के बारे में हम जानना चाहते हैं क्योंकि वह सी० आई० ए० का एजेन्ट है . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब मंत्री महोदय वक्तव्य दें तो क्या उनका वक्तव्य अधूरा होना चाहिये ? जो चीजें पकड़ी गई थीं, उनकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह विदेशी मुद्रा के रूप में 50 लाख रुपये लाये थे ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मंत्री महोदय कहते हैं सारे मामले की जाँच हो रही है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : उसकी जांच नहीं हो रही है ।

Mr. Speaker : It two or three hon. Members speak simultaneously, it will not go on record.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए इसलिए अनुरोध किया जाता है कि वह उन मामलों के बारे में जानकारी दें जिनके बारे में हमारे मन में आशंका है । यदि मन्त्री महोदय मामूली सा वक्तव्य दें और उसके बाद आप हमें प्रश्न न पूछने दें तो हमारे लिए यही रह जाता है कि हम आपसे पुनः अनुरोध करें कि आप मन्त्री महोदय से पुनः वक्तव्य देने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पुनः उत्तर दे रहा हूं । मैं नहीं जानता था कि आपने मुझ से मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहने का अनुरोध किया था । उन्होंने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया है ।

श्री पीलू मोदी : मामूली सा वक्तव्य दिया है ।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक विशेष प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है मैं उत्तर दे चुका हूँ । जहां पकड़ी गई वस्तुओं तथा अन्य बातों के बारे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने कई वस्तुयें पकड़ी हैं । इसी सभा में परसों एक प्रश्न आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस दिन जो वस्तुयें पकड़ी गई हैं उनकी सूची रखेंगे ।

श्री के० आर० गणेश : जी हां । उस दिन मैं प्रश्न में उठाई गई सभी बातों का उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा ।

एक सीमा-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, परन्तु वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

सभा के कार्य के बारे में

Re, BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : उस दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में हमने उन सभी माननीय सदस्यों की इच्छाओं को जाना, जिन्होंने प्रस्ताव दिये थे । तीन प्रस्तावों में से खाद्य के बारे में एक प्रस्ताव को चुना गया है । श्री पी० एम० मेहता ने भी राज्य व्यापार निगम पर चर्चा करने का प्रश्न उठाया था । यह समझा गया था कि यह बड़ा व्यापक विषय है और यदि माननीय सदस्य संशोधित प्रस्ताव की सूचना दें, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे । इस चर्चा के बाद मैं विदेश व्यापार मन्त्री से परामर्श करके उसे भी शामिल कर लूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमने कार्य मंत्रणा समिति में इसे अन्तिम रूप दिया था कि इस विषय को पहले लिया जाना चाहिए । यद्यपि हम खाद्य को भी महत्व देते हैं और हमें इस प्रश्न को मूल्यों के बारे में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाना था···

अध्यक्ष महोदय : ज्यों-ज्यों ये प्रस्ताव आते रहेंगे, मन्त्री महोदय तारीख निर्धारित करते रहेंगे ।

श्री राज बहादुर : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इस पर विचार करेंगे ।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. TWELTH REPORT OF COMMISSIONERS FOR LINGUISTIC MINORITIES

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : असम में हाल में हुये दंगों में जिन व्यक्तियों के प्राण गए उनके संतप्त परिवारों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति क्या रही है ? यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबन्ध है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम कुछ शर्त के साथ मातृ-भाषा होना चाहिए ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है और सभी राज्यों द्वारा उस पर सहमति दी गई है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए । केन्द्रीय सरकार भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होने पर आग्रह कर रही है ।

अब हमें इस बात की जांच करली है कि असम में विश्वविद्यालयों ने क्या निर्णय किया। असम में दो विश्वविद्यालय हैं—डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय तथा गोहाटी विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों ने शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा करने का निर्णय किया है। असम में केवल बंगाली ही अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, वहाँ अनेक अल्पसंख्यक समुदाय है । इसके अतिरिक्त वहां 100 से अधिक बोलियां हैं। जहाँ बहुत सी बोलियां हैं, वहां किसी विश्वविद्यालय के लिए सभी भाषाओं में शिक्षा देना संभव नहीं है ।

तब असम में ही इतनी ज्यादा गड़बड़ और आन्दोलन क्यों हो रहे हैं ? इसका कारण यह है कि वहां ऐसे लोग हैं जो असम का हित नहीं चाहते हैं और यह भी नहीं चाहते हैं कि असम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय नीति का पालन करे। 1970 में गोहाटी विश्वविद्यालय ने निर्णय किया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और असमिया होगा तथा छात्र अपने उत्तर असमिया बंगला और अंग्रेजी में लिख सकेंगे। इसका प्रचार सभी वर्गों के लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया । स्वाभाविक ही है कि इससे अन्य क्षेत्रों में छात्रों और जनता में रोष उत्पन्न हो गया। इससे ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों के मस्तिष्क में यह शंका पैदा हो गई है कि असम को द्विभाषी राज्य बनाने का निश्चित प्रयास हैं ।

ब्रहमपुत्र घाटी में आन्दोलन असमिया के पक्ष को लेकर हुआ। गोहाटी विश्वविद्यालय ने असमिया के साथ अंग्रेजी को भी शिक्षा माध्यम बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का कछार में विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि आसाम, डिब्रूगढ़ और गोहाटी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और असमिया को बनाया जाये तथा कछार के लिए एक अलग विश्वविद्यालय बनाया जाये। परन्तु इसका भी कछार में विरोध हुआ।

अत्यधिक विरोध होने के कारण एक मत से लिया गया निर्णय बदल दिया गया। वहां अत्यधिक हिंसा और लूटपाट हुई। इसके मुख्य कारण क्या हैं ? पहले तो यह कि कुछ लोग आसाम को द्विभाषी राज्य बनाना चाहते हैं तथा दूसरे यह कि यह प्रदेश आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और यहां रोजगार के बहुत कम अवसर हैं।

हम पर यह आक्षेप लगाना सर्वथा गलत है कि हम बंगालियों को आसाम से निकालना चाहते हैं। गत वर्षों में आसाम की जनसंख्या जितने बाहर से आये लोगों के कारण बढ़ी है उतनी और किसी राज्य की नहीं। फिर भी अगर हम पर यह आरोप लगाया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। जितनी सुविधा रोजगार के सम्बन्ध में अल्प संख्यकों को आसाम में प्राप्त है, उतनी किसी अन्य राज्य में नही है। सभी क्षेत्रों, व्यापारिक, औद्योगिक अथवा नौकारियों में अल्पसंख्यकों का एकाधिकार जैसा है । इससे युवकों में कुछ असंतोष होना स्वाभाविक हैं।

यह आरोप भी निराधार है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। उनकी सुरक्षा का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सेना आदि तक को वहाँ

लगाया गया तथा 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया । यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि वहां सामान्य स्थिति होती जा रही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (G valior) : This is very sad that the discussion on report of linguists Minorities Commissions has taken the shape of discussion on the dispute of Assamese and Bengali. I Support the demand of enquiry in to the disturbances in Assam and this should not be allowed again.

Central Govenment never took the question of linguistic minorities on a whole. They are taking it in parts.

India is a multy lingual Country whenever there is dispute between twd Indian languages, English Comes in between.

I would like to request the Gorvenment to implement the dicision of giving primary education in mother language. But the question of diciding the mother language has not been dicided. It should be right of the person to decide his or her language.

This Commission's worth for nothing. This is simply an informations. collecting unit and that too is not supped to it by the states. Moreover this reports itself partains to the year 1970 and now it is November, 1972.

The suggesting given in the meeting of Chief Ministers regarding secondary education have not been implemented. Now comes the question University education. There is no central policy regarding this. Centre should evolve some formula regarding medium of education. Every citizen of the state should know the language of his state.

Committies should be constituded to decide about second official language. The question of Urdu should not be raised simply for collecting votes. If injustice is being done with urdu, it should be resolved. But in no case it should be made a political question. In the end I may request that the question of language should be decided on national level. But this much is definit that Indian languages should be encouraged and English should be discouraged.

श्री कातिक उरांव (लोहारडगा) : यह बड़े खेद का विषय है कि हम अक्सर स्वयं अपने द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर चर्चा करते है । ये भाषाई अल्प संख्यक कौन है । हम इनकी परिभाषा किस प्रकार करेंगे ।

हम समय-समय पर भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्य बनाते रहे हैं । पर क्या हमने कभी इस बात का अन्दाजा भी लगाया कि भाषा के द्वारा एकता भी स्थापित की जा सकती है ।

हमें भाषायी, साम्प्रदायिक और धार्मिक विवादों के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये । इन सब का कारण शोषण है । देश में विभिन्न प्रकार के अल्प संख्यक हैं जैसे भाषायी अल्प संख्यक, धार्मिक अल्प संख्यक आदि । इन समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय नीति का पालन किया जाना चाहिए । यह नहीं कि जहां कहीं कोई समस्या हुई वहां उसके अनुसार नीति बना ली गई । ऐसा हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता ।

प्रत्येक को अपनी भाषा प्रिय है ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न कहां उठता है । वहां हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सब लोग इस बात का ध्यान किए बिना कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं प्रेमभाव से मिलकर एक जगह रह सकें ।

जब वे लोग, जो सभ्य कहे जाते हैं और जिनकी आशायें समृद्धि हैं इस प्रकार कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, तब हम आदिवासियों को क्या कहा जा सकता है, जो हमेशा से अल्प

संख्यक रहे हैं। हम भी अपनी बोली के लिए लड़ सकते हैं। पर यह सब समस्या प्रथकता की भावना के कारण पैदा होती है। और इसका मुख्य कारण है, शोषण। हमें लोगों में घृणा की भावना फैलाने वालों को सख्त सजा देनी चाहिये फिर चाहे वह कोई भी भाषा क्यों न बोलता हो।

हम आदिवासी भी जो लगभग 3 करोड़ हैं, अन्य सभी लोगों को जंगलों से निकाल बाहर कर सकते हैं। अतः हमें भाषा, जाति, धर्म आदि सबको भूल जाना चाहिए तथा जो भी आशन्ति पैदा करे उसे कठोर दण्ड दिया जाये। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 50 सुदृड़ लोगों की एक समिति बनाई जाये। वह समिति जहां कहीं भी गड़बड़ी हो वहां जा कर मामले की पूरी जांच करे और अपना प्रतिवेदन सरकार को दे तथा सरकार अपराधियों को उचित दण्ड दे।

किसी भी समस्या पर चर्चा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। परन्तु इसके द्वारा किसी प्रकार की अशान्ति अथवा वैमनस्य की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुयी)

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

The Lok Sabha met after lunch at five minutes past Fourteen of the clock

उपाध्याक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy speaker *in the chair*

Shri T. Sohanlal (Karol Bagh): Mr. Deputy speaker, Sir, the Jan Sangh administration is not paying any attention towards the strike of the sweepers and the payment of wages to them for the strike period I want that strike should come to an end as early as possible becouse there is large of epidemic ...

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले उठाया गया था।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): We want that health Minister may kindly reply to this point.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी कृपया बैठ जाएं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यद्यपि संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का विधान है पर वे मात्र कागज पर ही रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी केन्द्रीय सरकार ही है। वह इन उपबन्धों को कारगर ढंग से लागू नहीं कर सकी है। एकाध ज्ञापन अथवा सम्मेलन आदि करके ही उसने अपने कर्तव्य की इति श्री समझ ली। वे इसे अधिक महत्व नहीं देते। संसद ने भी इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की गई।

हमारी समझ में यह नहीं आता कि एकता परिषद को बिल्कुल निष्क्रय क्यों बना दिया गया है। इस के द्वारा इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है, पर वह एक तरह से समाप्त ही कर दी गई है।

भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतों को सुनने के लिए प्रेस कौंसिल के समान एक निकाय होना चाहिए।

भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषाओं के विकास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। इसके लिए राज्यों को ही नहीं वरन केन्द्र को भी धन देना चाहिए। भाषायी अल्प संख्यकों के मन में यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि उन्हें हीन माना जा रहा है।

उर्दू की स्थिति दिन प्रति दिन बुरी होती जा रही है। हमें उसे मरने नहीं देना है। उसे जीवित रखने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

आसाम में यह भाषायी विवाद क्यों। स्पष्ट है कि राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तर पर हमारा नेतृत्व असफल रहा है। फिर आसामी लोग हिन्दी भाषियों अथवा गुजराती भाषी लोगों से क्यों नहीं झगड़ते। स्पष्ट है कि उनसे उनका कोई आर्थिक हित नहीं टकराता। यदि स्थानीय लोग अथवा केन्द्रीय सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा सकती तो यह काम संसद को सौंप देना चाहिए।

सरकार को आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को जोड़ने सम्बन्धी मांग का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए।

अन्त में जैसा कि आयुक्त ने सुझाव दिया है, मेरा कहना यह है कि संविधान में प्रदान की गई सुविधाओं के उचित रूप में लागू होने की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय होना चाहिए।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रतिवेदन में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशिष्ट अथवा पर्याप्त पग उठाने की स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई है। आयुक्त के प्रतिवेदन से पता चलता है राज्य सरकारें आयुक्त के कार्य के लिए सहयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। आयुक्त द्वारा मांगे गये आंकड़े भी समय पर नहीं दिये जाते हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये केन्द्र सरकार में भी प्रभावी पग उठाने का आग्रह प्रतीत नहीं होता है।

आसाम में हुये हाल ही के भाषायी दंगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाषायी दंगे खारुपेतिया की अक्तूबर के प्रथम सप्ताह की घटनाओं से आरम्भ नहीं हुये अपितु सितम्बर के तीसरे सप्ताह में आरम्भ हुये जब कुछ लोगों ने, कुछ वर्गों ने हड़ताल करने के लिए कहा और कुछ भाषायी अल्पसंख्यकों ने यह बात नही मानी। आसाम से प्रकाशित होने वाले 'आसाम एक्सप्रेस' में यह बात प्रकाशित हुई है। भाषायी अल्पसंख्यकों को यातनायें दी गयी, और घर जला दिये गये, उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी और डिब्रूगढ़, नौगाँग जोरहाट, तेजपुर, गौहाटी तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के सभी भागों में महिलाओं के साथ दुराचार किये गये।

सरकार को वहां एक संसदीय दल भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये, जैसा कि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है। इससे हमें यह जानने का अवसर मिलेगा कि क्या घटना हुयी हैं और उनके कारण क्या हैं। हमें इन घटनाओं के मूल कारणों की जानकारी होनी चाहिए।

जनसंख्या के आँकड़ों के सम्बन्ध में सदेह व्यक्त किया गया है। मैं इस पुस्तक-भारत की जनगणना से यह बात प्रमाणित करना चाहता हूं कि भाषायी अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता क्या कम

हुई असमिया भाषी लोगों की जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई। प्रतिवेदन में बताया गया है कि भाषायी अल्पसंख्या बड़ी जनसंख्या में कमी होने से असमियाँ भाषी लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

बताया जाता है कि आसाम की विशेष भौगोलिक स्थिति है कि वहाँ इतने अधिक भाषायी अल्पसंख्यक हैं और उन सभी भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिये। निःसन्देह असामिया भी एक राष्ट्रीय भाषा है और इसे अपना विकास करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। लेकिन कठिनाई यह है कि असम सरकार केवल असमिया को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहती है। क्या असम सरकार हमारे संविधान में दिये गये भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर रही है। क्या यह इन भाषायी अल्पसंख्यकों अर्थात बंगालियों और सीधे सादे आदिवासी लोगों की सांस्कृति परम्पराओं को नष्ट करने की एक सुविचारित प्रक्रिया नहीं है। देश भर में भाषायी अल्पसख्यकों के रक्षक के रूप में भारत सरकार को इन बातों की ओर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। आप कितना समय लेंगे। 15 मिनट का समय आप ले चुके हैं। यदि आप हर बात को विस्तार से लेंगे तो अपनी बात भी नहीं कह पायेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करूंगा सरकार को स्थिति के प्रति गम्भीर होना चाहिये। ऐसे समाचार मिले हैं कि अभी भी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों पर असमिया भाषा स्वीकार करने तथा उनकी अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की मांग न करने के लिए दबाव दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में आसाम से ही आने वाले हमारे एक साथी ने सदन में जो दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है उससे भाषा की समस्या नहीं सुलझ सकती। भाषायी अल्पसख्यक तथा आदिवासी विभिन्न भाषायें बोलते हैं। इन लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति का विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तो पता नहीं आसाम की क्या दशा होगी। आदिवासी लोगों ने अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग करनी आरम्भ कर दी है। बंगला भाषी लोग प्रथक राज्य की माँग करेंगे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इसका कोई हल निकालें अन्यथा आसाम का और विभाजन हो जायेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा होता हूँ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विस्तार से विचार किया जा रहा था परन्तु दुर्भाग्य से सम्पूर्ण वाद-विवाद बंगाली-आसामी विवाद में परिणित हो गया है और हम कुछ लोग इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते थे इससे वंचित रह गये हैं। मुझे आशा है आप इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस प्रश्न पर मुझे सबसे पहले बोलना था परन्तु मुझ इस अवसर से वंचित रखा गया है।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के शिक्षा के माध्यम को आसाम के वर्तमान संकट का कारण बनाकर सदन में लाने का प्रयास किया गया है

विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम का निर्धारण 1969 को शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के अनुसार किया जाता है कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि आसाम की स्थिति पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये किन्तु आज स्थिति यह है कि गोहाटी और डिब्रूगढ़ के विश्व-विद्यालय में स्वीकृत शिक्षा माध्यम के साथ प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों सम्बन्धी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के उपबन्धों को पेश कर रहे हैं। यह कुछ ऐसी बात है जो इस मामले के अनुरूप नहीं है।

कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अनुरोध किया था कि सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिये जिसमें जोरदार शब्दों में हिंसा की निन्दा की जानी चाहिये। हम हिंसा की निन्दा करते हैं। श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी ने तथा श्री तरुण गंगोई ने भी इसकी निन्दा की है। 25 अक्तूबर को आसाम के आठ सदस्यों ने, जो दिल्ली में आये हुये थे, प्रेस को एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हिंसा की निन्दा की गई थी। मुख्य मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में हिंसा की निन्दा की है। विभिन्न संघ तथा संगठन भी इसकी निन्दा कर रहे हैं। इस मामले को इतना उग्ररूप देने की क्या आवश्यकता है जिससे कि कई निर्दोष व्यक्तियों को हिंसा का शिकार बनना पड़ता है।

हमारे राज्य में प्रांतीयकरण करने का अर्थ यह होगा कि सरकार किसी संस्था को अपने हाथ में ले लेगी और फिर उसे सरकारी व्यय से चलायेगी। अत: किसी भी संस्था को अपने हाथों में लेने से पहले कुछ नियमों को तदनुरूप करना पड़ेगा। वहां कई हाईस्कूल तथा अन्य संस्थायें गैर-सरकारी तौर पर खोली गयी और वही लोग उन्हें चला रहे हैं। उनके लिये घाटे के अनुदानों की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि उनमें जो भी घाटा होगा वह सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा अतः प्रांतीयकरण का यह प्रश्न उठता ही नहीं। इन उपद्रवों का कारण तो लोगों का भावावेश तथा जोश में आ जाना है। अत: मैं अपने बंगाली मित्रों से विशेषतया कछार के मित्रों से इस प्रकार का तनाव पैदा न करने का अनुरोध करता हूं।

आशा है कि आसाम तथा बंगाल के लोग समस्या को ठीक प्रकार समझने का प्रयास करेंगे और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को समस्या हल करने में सहायता देंगे ताकि सामान्य स्थिति कायम की जा सके और यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रगति कर सके।

Shri Birendra Singh Rao (Mahendra Garh) : The entire debate on the report of the commissioner of linguiitic minorities has been out of the Contract the efforts have not been made identify the root cause of the trouble.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सारा वाद-विवाद आसाम-बंगाल के सम्बन्ध में हुआ है भाषायी अल्पसंख्यकों के विषय में नहीं। आसाम-बंगाल की चर्चा के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों के दृष्टिकोण व्यक्त किये जाने के लिए इस चर्चा के समय का विस्तार करना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा और इन्हें अध्यक्ष महोदय को विचार करने के लिए भेज दिया जायेगा।

Shri Birendar Singh Rao : There is some basis for Providing safeguards to linguisfic minorities under the Constitution. Article 344 of the Constitution provides for setting up of Commission for Hindi the official language of the union, which would submit a report to the Committee Consisting of 30 Members of Parliament. This Committee was to Consider the Commissioners report and submit their recommendation to the president. But itis painful that

evenafter twenty five years since the constitution came in to force it is not known as what has been done in the matter. No report of that Commission on Hindi has ever come before this House.

{**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*}

The most essential thing is that the majority should not be ignored while protection is given to linguistic minorities. If the majority is neglected the process of nation building would be reversed. It is due to emergence of new tendancies of disintegration that there is no one language of the Country.

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. FOOD SITUATION

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ (बड़ौदा) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा देश में खाद्य पर विचार करती है।"

गतवर्ष सत्तारूढ़ दल के सदस्य देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने की बड़ी डींगें मारते थे और कहते थे कि अब भविष्य में देश को खाद्यान्नों के आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया गया था कि हरितक्रान्ति सफल हुई है तथा 90 लाख टन का एक बहुत बड़ा भंडार बना लिया गया है। इन उद्घोषणाओं से बड़ी प्रसन्नता हुई थी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Chairman Sir Foor Minister is not present here.

Some Hon. Members : He is here.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He is not a Minister of Cabinet rank. Induct him into Cabinet. I have got no objection. Food situation is grave and the House is discussing that situation Minister of food should not have obserbed from the House at the time of this discussion.

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): Sir, this is against the procedure of the House. There can be no objection when a mintster representing his ministry is present in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Bussiness of the House must get priorty.

Mr. Chairman : This has been a Convention and also the Precedent that the debate does proceed even when minister of State of Deputy Minister is present in the House and the cabenet Minister is absent.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। अल्पसंख्यकों का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थिति नहीं है उपमन्त्री श्री मोहिसिन को भेज दिया गया है। अब देश में खाद्य स्थिति के विषय में सदन में चर्चा होती है तो खाद्य मंत्री उपस्थित नहीं है। हमें सभा स्थगित कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह ठीक है और जो कुछ श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा ज्योतिर्मय बसु ने कहा है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु यह परम्परा रही है कि मंत्री की अनुपस्थित में राज्यमन्त्री अथवा उपमंत्री उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : मैं कह रहा था कि सरकारी उद्घोषणाओं से बड़ी प्रसन्नता

हुई थी परन्तु एक वर्ष से भी कम समय की अवधि में आज जनता की आंखों से दुख के अश्रु बह रहे हैं।

मूल्य आकाश चूम रहे है। विजयान्ध सरकार अन्धकार में डूब रही है। 14 नवम्बर को कृषि मंत्री ने संसद को बताया कि समूची स्थिति अनुमानित स्थिति से अच्छी हैं। किन्तु घंटों के पश्चात वित्त मन्त्री ने देश की खाद्य स्थिति को निराशाजनक बताया और देश को चेतावनी दी कि "हम गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं"। 13 दिनों के ही पश्चात कृषि मन्त्री ने इस बात से स्पष्ट इन्कार कर दिया कि सरकार का चावल आयात करने का कोई इरादा है। वह शायद इस बात को भूल गये कि एक दो दिन पहले ही उन्होंने सदन में बताया कि कुछ आयात किये जाने की आशा है।

यह उचित समय है कि सम्पूर्ण राष्ट्र को विश्वास में लिया जाये और देश की वर्तमान खाद्य स्थिति का सही मूल्यांकन किया जाये। हम असफलताओं के लिए बताये गये कारणों को सुनते सुनते थक गये हैं। मेरे विचार से हमें यह विदित ही है कि दो दिन पहले देश के विभिन्न भागों में हुई वर्षा के उपरान्त भी रबी की फसल का उत्पादन अनुमान से कम होने की आशा है। सरकार यह बहाना नहीं बना सकती है कि यह स्थिति बंगला देश को खाद्यान्नों की सप्लाई के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है।

वग वर्षों में मानसून के ठीक समय पर आने से सरकार के प्रयासों में निष्क्रियता आ गई है परन्तु इस वर्ष मानसून की असफलता से सरकार को यह सबक लेना चाहिये कि उसे मानसून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बाढ़ नियंत्रण के उपायों और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये। मैं खाद्यान्नों के आयात का हमेशा विरोधी रहा हूँ, खाद्य उत्पादन में होने वाली कमी को सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि उसे मालूम है कि इस कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है।

1950 से आयात किए गए खाद्यान्न और उनके लिए दिए गये मूल्य के आँकड़े चौंका देने वाले हैं। योजना के गत 15 वर्षों में 2.450 करोड़ रुपये के मूल्य का खाद्यान्न आयात किया गया, पहली दूसरी और तीसरी योजनाओं में क्रमशः 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 40 लाख और 5 करोड़ 12 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। 1966-67 में कुल 10 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सरकार ने खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर होने की बात कही थी परन्तु इसके बावजूद ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा। इस समय कनाडा से ही खाद्यान्न का आयात कर सकते हैं और उसके लिए भी ऊंचा मूल्य देना पड़ेगा। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

वर्ष 1962-63 के बाद से मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो 1949 में 100 था, आज बढ़ कर 244 तक पहुंच गया है। बढ़ती हुई मंहगाई ने जनसाधारण में नैराश्य और आक्रोश की भावना पैदा कर दी है। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने में असफल रही है।

गुजरात में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, स्थिति अत्यन्त विकट है। कहाँ कृषि योग्य भूमि 123.78 लाख हेक्टर है जिसमें से केवल 18.70 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधायें

उपलब्ध हैं। गुजरात में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वे मानसून पर निर्भर रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नर्मदा परियोजना की ओर दिलाना चाहूँगा। इसके जल का कोई उपयोग नही हो पा रहा है और किसानों को इन्द्रदेवता पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री इस वर्ष के अन्त तक इस सम्बन्ध में अपना पंचाट दे देंगी।

अन्त में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसी भी रूप में अनाज का आयात न करने का निर्णय किया है। दूसरे देश में कितनी मात्रा में अनाज की कमी है और सुरक्षित भंडार में कितना अनाज रखा हुआ है? तीसरे, क्या सरकार गेहूँ और चावल का थोक व्यापार लेने के अपने संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए प्रसिद्ध है।

क्या यह सच है कि समाचारपत्रों के अनुसार खाद्य सचिव अमरीका गये हुए हैं? यदि हां तो उनका वहाँ जाने का क्या उद्देश्य है? इस विषय पर चर्चा उठाने का मेरा उद्देश्य सरकार का ध्यान देश में व्याप्त गंभीर स्थिति की ओर दिलाना है।

सभापति महोदय : बंगला देश के राष्ट्रपति सेन्ट्रल हाल में आने वाले हैं इसलिये सभा को 6 बजे स्थगित करना पड़ेगा। यदि विभिन्न दलों के सदस्य अपने लिए निर्धारित समय का पालन करें तो काम चल सकता है। यदि मैं मन्त्री महोदय को सवा पाँच बजे नहीं बुलाता हूं तो सरकार से उत्तर प्राप्त करना कठिन होगा।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि महोदय को कल उत्तर देने के लिए कहा जाए, यह नहीं हो सकता है। डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय और श्री आर० बी० बड़े के नाम एक प्रतिस्थापन प्रस्ताव है। क्या श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे?

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

> "यह सभा, देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के उपरान्त खेद व्यक्त करती है कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य चरमसीमा पर पहुँच गये हैं और लोगों की क्रय शक्ति निरन्तर घटती जा रही है और सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने में पूर्णतया असफल रही है।"

सभापति महोदय : श्री पी० वेंकटासुब्बया

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : माननीय सदस्य ने खाद्य स्थिति पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय देश में इस समस्या का भयानक रूप प्रस्तुत किया है। हमें निष्पक्ष रूप से यह देखना है कि क्या यह वर्तमान स्थिति सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण अथवा कतियय अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पैदा हुई है।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ ने आंकड़ों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया हैं कि आयात बिल प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है परन्तु उन्होंने देश में जनसंख्या में वृद्धि, सूखा, बाढ़ आदि को ध्यान में नहीं रखा है। सौभाग्यवश गत तीन-चार वर्षों से मानसून के ठीक समय पर आने से स्थिति में सुधार हुआ है।

कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष नये नये तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे धान और गेहूं की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है यह ठीक है कि कृषि क्रांति से किसानों के एक वर्ग को, जिसके

पास सिंचाई की सुविधाएं हैं, लाभ पहुँचा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्पादन में कोई कमी हुई है खाद्य उत्पादन के मामले में पंजाब, हरियाणा और कुछ राज्यों ने प्रशंसनीय प्रगति की है, परन्तु इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर जैसे राज्यों में असाधारण सूखा पड़ा है, विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर खाद्य उत्पादन में अग्रणी थे। सूखा पड़ने से यहां मोटा अनाज का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हुआ जिससे चावल की मांग बढ़ गई, इससे यहां समस्या उत्पन्न हो गई। इस बार मानसून के न आने से बिजली का उत्पादन कम हुआ। इससे देश में खाद्य उत्पादन और औद्योगिक विकास को धक्का पहुंचा।

मैं यह बात स्वीकार करूंगा कि कृषि क्रांति ने उन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों को कोई लाभ नही पहुंचा है। इसलिए वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। यदि इन कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो हमें कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पिछड़ जायेगा। हमें छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल देना चाहिए बड़ी सिंचाई योजनाओं से तात्कालिक लाभ नहीं मिलते हैं। यहां बड़ी संख्या में टैंक बेकार पड़े हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। ये सिंचाई कार्यक्रम श्रम प्रधान होने चाहिए, मुझे बताया गया है कि योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि सूखा ग्रस्त दोनों में सिंचाई कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पन-बिजली कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी उसी प्रकार बल दिया जाना चाहिए, रायलसीमा में श्रीसलम पन-बिजली परियोजना कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ हुई थी परन्तु उस पर कार्य समय पर पूरा न होने से लागत व्यय बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।

वितरण व्यवस्था में आमूलचूक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें उचित दर की दुकानों अथवा राशन की दूकानों में चीनी नहीं मिलती है परन्तु काले बाजार में यह बहुत मात्रा में उपलब्ध है। इसका कारण हमारी दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था है सरकार को यथाशीघ्र अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए अन्यथा समाज-विरोधी तत्व स्थिति का फायदा उठायेगें।

यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में वितरण व्यवस्था में सुधार लायें, उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाई तो जाती हैं परन्तु फिर भी खाद्यान्न उपभोक्ताओं को नहीं पहुंच पाता। खाद्यन्न के व्यापारी इसे गांवों में न लेजाकर काले बाजार में बेच देते हैं और इस प्रकार कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं, अनाज के व्यापारियों को अनुचित कार्य करने से रोकना चाहिए।

हमें अनाज के आयात में शर्म नहीं करनी चाहिए, रूस और चीन जैसे उन्नत देश भी अनाज का आयात करते हैं, मंत्री महोदय का यह कथन सही है कि हम अनाज व्यापारिक दर पर खरीदेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अनाज के आयात करने की बात से जनता में विश्वास का संचार हुआ है।

हमारे किसानों ने कृषि कार्यक्रमों को बड़ी गंभीरता से अपनाया है परन्तु उन्हें उर्वरकों, खाद, बीज आदि की कम मात्रा में सप्लाई से निराश होना पड़ता है। उर्वरकों की चोर बजारी हो रही हैं सरकार उर्वरकों की सप्लाई समय पर नहीं करती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

हमारे किसान अधिक उत्पादन करने में समर्थ हैं। उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वे नये नये तरीके अपना रहे हैं ताकि पैदावार में वृद्धि हो। किसानों को उर्वरक, कीट नाशक औषधि तथा पानी की अत्याधिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पाता है जिसकी सुविधा शहरी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले किसानों को है। यह असन्तुलन समाप्त किया जाना चाहिए। यदि सरकार इन उपायों को क्रियान्वित करेगी तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

सभापति महोदय : श्री बी० वी० नायक के प्रतिस्थापना प्रस्ताव को तीन आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है। पहला, यह समय पर नहीं दिया गया है। दूसरा, यह है ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है। तीसरा यह आपेक्षित फार्म में भरकर नहीं दिया गया है। इसलिए इसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : गत अधिवेशन के दौरान खाद्य मंत्री महोदय ने आश्वशासन दिया था कि देश में पर्याप्त अनाज है और अकाल का कोई भय नहीं है। परन्तु इस अधिवेशन में श्री यशवन्तराय चव्हाण ने स्थिति को खराब बताया है।

जैसे कि आज देश में स्थिति है, उपभोक्ता को अनाज, दालें आदि खाद्य सामग्री के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। त्रिपुरा में चावल का मूल्य ढाई रुपये से तीन रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया है, वहाँ खाद्यान की सप्लाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उचित दर की दुकानें शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 गांवों में से केवल 1 गाँव में उचित दर की दूकानें हैं जिससे ग्रामीण लोगों को अनाज के लिए ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं, सरकार मजूरी बढ़ाते समय उचित दर की दुकानों में प्रचलित मूल्यों को अपना आधार बनाती है। परिणामस्वारूप दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है।

गत अधिवेशन में खाद्य मन्त्री ने खरीफ का उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी, परन्तु वस्तुतः कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने मिदनापुर में देखा है कि वहाँ सिंचाई आदि की कोई सुविधाएं किसानों को प्रदान नहीं की गई हैं। नदियों के जल का उपयोग न किये जाने के कारण वहाँ भूमि सूखी पड़ी है मिदनापुर में बड़े जमींदार किसानों को दण्ड देने हेतु उनकी अधपकी धान फसल को काट रहे हैं ताकि वे उनके नियन्त्रण में आ जायें। यह स्थिति प्रायः प्रत्येक जिले में विद्यमान है। राज्य सरकारों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वे किसानों की बेदखली को रोकें।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय अपनाये जाने चाहिए। भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिसके बिना अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सरकार को अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। गाँवों में लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं होती है। वहाँ सिंचाई आदि परियोजनाओं में लोगों को काम देना चाहिए ताकि उनसे प्राप्त मजूरी से वे अनाज खरीद सकें। आज आवश्यकता अधिक उत्पादन और अधिक अनाज की वसूली की है, आवश्यकता पड़ने पर अनाज का आयात किया जा सकता है परन्तु हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

श्री पी० आर० शिनाय (उदोपी) : इसमें सन्देह नहीं है कि मानसून के न आने के कारण खाद्य स्थिति खराब हो गई है। इस लिए सरकार ने द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत रबी मौसम के

दौरान 150 लाख टन अनाज वसूल करने का लक्ष्य रखा है, सरकार का उद्देश्य उचित दर की दुकानें खोलने, वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने, थोक व्यापार अपने हाथ में लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर अनाज का आयात करने का है ।

यह दुख की बात है कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय उर्वरक निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खाद्य संकट के प्रति गंभीर रुख नहीं अपना रहे है । भारतीय खाद्य निगम में कुप्रबन्ध है । उर्वरक निगम अपने उर्वरकों को सुदूर दक्षिण को नही भेजता है, उर्वरकों के मूल्यों में भारी असमानता है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारतीय उर्वरक निगम में व्याप्त कुप्रबन्ध को समाप्त किया जाये ।

उचित दर की दुकानें सरकारी स्तर पर भलीभांति काम नहीं कर रही है, इसका कार्य बेरोजगार नवयुवकों को सौंपा जाना चाहिये ।

देश में विद्युत का संकट है सरकार तापीय विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है, पन-बिजली तापीय विद्युत से सस्ती पड़ती हैं तथा यह सिंचाई कार्यों के लिए भी उपयुक्त है इस लिए पांचवीं योजना में पन बिजली को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : बढ़ती हुई मंहगाई और खाद्य की कमी दोनों मिलाकर विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं । खाद्य की कमी पर चर्चा करते समय हमें बढ़ती हुई जन-संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिये आज से 15 वर्ष पूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि हम शीघ्र ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इन सब आश्वासनों के बावजूद भी हमें प्रतिवर्ष अनाज का आयात करना पड़ता है, यह कहा गया है कि भारत का बजट वर्षा पर निर्भर रहता है, कृषि क्रांति ने हमें अवश्य लाभ पहुंचाया है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये इस पर भी क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि यदि सरकार जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल करने को प्राथमिकता देती तो वह आज इस संकट में न होती, 1891 में भारत की स्वतंत्रता 23.5 करोड़ थी जिसमें पिछले 10 वर्षों में वृद्धि 13 करोड़ की दर से हो रही है, आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मिल कर इस समस्या पर विचार करें ।

इस वर्ष राजस्थान, गुजरात, और महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है और हमें विदेशों से आयात करना पड़ेगा यदि जनसंख्या की वृद्धि रोकने हेतु कोई उपाय न अपनाया गया तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, जापान ने अपनी जनसंख्या की समस्या को सुलझा कर विश्व में अपनी अर्थ व्यवस्था को ऊंचे स्तर पर पहुँचा दिया है, हम भी इस समस्या को सुलझाकर जापान के साथ बराबरी कर सकते हैं । आँकड़ों के अनुसार 1965 में एक दिन में प्रति व्यक्ति को 471 ग्राम अनाज मिलता था जो 1970 में कम होकर 445 ग्राम रह गया था ।

देश के 39 प्रतिशत किसानों के पास केवल एक एक हैक्टेयर भूमि है जिसमें सामूहिक कृषि के अतिरिक्त गहन खेती नहीं की जा सकती, भारत का किसान अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है । अतः सरकार को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए अधिक उत्पादन की योजना को ध्यान में रखते हुये यह देखना होगा कि भूमि की सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाये कि प्रत्येक जोत लाभप्रद रहे ।

इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि टेलीविजन पर होने वाले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम

ग्रामीण जनता के लिए उपलब्ध कराये जाने चाहिये जिससे किसान खेती की नई-नई तकनीकों से अवगत हो सकें।

छोटी जोत वाले किसानों को सरकारी ट्रैक्टरों की निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिये तथा उन्हें बीज आदि राज सहायता प्राप्त दर पर मिलने चाहिये।

सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए जिससे अकाल की समस्याओं का समाधान हो सके। तीन वर्ष पूर्व, जब अकाल पड़ा था, हमने सदन में इस बात की मांग की थी तथा सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु अभी तक नहरें पूरी नहीं हुई हैं।

केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए दल भेजती है। राजस्थान में भेजी गयी मालचंदा दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति के बारे में अन्तिम रिपोर्ट देने में असाधारण देरी की है तथा वहाँ की सम्बन्धित व्यवस्था अत्यन्त कार्यकुशल है। अतः मेरा निवेदन है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्रियों को शीघ्रता से रिपोर्ट देनी चाहिए।

सरकार को गहरे नलकूप खोदने तथा गांवों में बिजली पहुंचाने के मामलों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे देश में बढ़ती हुई जन संख्या के लिये अधिक अन्न उत्पन्न हो सके।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): Sir, I feel that unless papulation explosion is controlled we will not be able to solve the food problem in our country. Therefore it is the duty of all of us, besides the Government, to tell the people of our country the importance of having a check over population increase.

Every one knows that our scientists and farmers have played a vital role in increasing agricultural production in the recent past. We produced 107 million tons of foodgrains year before last and last year we produced 104 million tones of foodgrain. With the crash programme under taken by the Governments estimated production of foodgrains in the current year is 100 million tones of foodgrain in spitse of adverse weather conditions. Thus we should not be worried about the availability of foodgrain for the country. Although we are able to achieve our targets in regard to meeting our food requirments indegeniously yet Government are negotiating with certain countries for importing marginal quality of foodgrains in case such a situation arises.

In view of the fact that in absanse of timely rain fall we have to face such difficult situation Government should make effective arrangments to avoid any loss to our crops. I therefore, suggest that all the facilities of tube wells, good seeds fertilizers should be provided to the farmers to enable him to increase our agricultural production. Government should also ensure regular supply of electricitn to the farmers. I have received several letters from Pali district complaining blackmarketing in crude oil for diesel engines. Government should take immediate action to check all these welpractices.

I also suggest that our policies regarding prices of foodgrains given to the farmers should be stable. Tax on agricultural holdings reportedly suggested by the Raj committee has caused worry among the formers and it may couse adverse affect on the production of foodgrains. I suggest that Government should think over this issue and take a suitable decision.

I support the decision of the Government regarding more and more procurement of foodgrains. But this decision can not be implement successfully unless middlemen are eliminated. Distribution system of foodgrains and sugar also should be improveda and more and more fair price shops should be opened in the country.

श्री डी० के० पण्डा : (भंज नगर) महोदय ! देश में खाद्यान्न की स्थिति बहुत नाजुक है तथा नित्यप्रति भुखमरी के समाचार आ रहे हैं । उड़ीसा में स्थिति और भी खराब है । यह भी सर्वविदित है कि स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है । क्या मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं ? संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय में विचार विमर्श हुआ है तथा वहां यह निर्णय किया गया है कि उन देशों की सरकारों का दोष है जहाँ खाद्यान्न की समस्या विद्यमान है । अतः खाद्यान्न की समस्या के लिए स्वयं सरकार ही उत्तरदायी है । कृषि मंत्रालय की दोषपूर्ण योजना तथा अन्य मन्त्रालयों के साथ उपयुक्त समन्वय की कमी के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है ।

इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि यह समस्या मानव ने उत्पन्न की है प्रकृति ने नहीं । इसीलिए इस समस्या को हल नहीं किया गया । जब संख्या की वृद्धि दर 2·50 प्रतिशत है किन्तु उत्पादन में वृद्धि की दर केवल 2.25 प्रतिशत है ।

सदन में अनेक बार इस बात पर बल दिया गया है कि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके । मंत्री महोदय ने सभापटल पर जो विवरण रखा है उसमें बताया गया है कि सरकार ने छोटी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ कर दी हैं । केवल इतना कहने से कोई लाभ नहीं होगा । किसी जिले में एक-दो ऐसी परियोजनायें आरम्भ कर देने से उस जिले की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो सकतीं । जब तक उसकी आवश्यकता तथा उसे पूरी करने के लिए पर्याप्त परियोजनायें आरम्भ नहीं की जाती तब तक कोई लाभ नहीं होगा ।

लगभग 32.3 करोड़ एकड़ कृषियोग्य भूमि में से केवल 19.9 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं पिछले 25 वर्षों में हमने इस दिशा में क्या किया है ? क्या हम 50 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

विपक्षी दल के सदस्यों ने कई बार इस बारे में सुझाव दिये हैं कि नलकूप लगाये जाएं किन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है ।

भूमि सुधार कार्यक्रम को भी सरकार ने खटाई में डाल दिया है । उड़ीसा में 10 एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने खटाई में डाल दिया है । यदि सरकार वास्तव में इस कार्यक्रम में रुचि रखती है तो उसे इस कार्यक्रम को लागू करना चाहिए ।

खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री श्री शिंडे ने बताया था कि हमारे पास खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार है तथा हम किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं । किन्तु नवम्बर में उड़ीसा में आए तूफान के दौरान लगभग 15-20 दिन तक खाद्यान्न की कोई सप्लाई नहीं हुई । हमने सरकारी सूत्रों से पता लगाया तथा पाया कि वास्तव में वहां खाद्यान्न का कोई भण्डार नहीं था । सरकार व्यर्थ ही अपनी बढ़ाई करती रही । तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में खाद्य विभाग ने वसूली कार्य को 54 एकाधिकार प्राप्त व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया है तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

देश में खाद्यान्न की कमी है तथा हमें इस स्थिति को स्वीकार करके स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए । उड़ीसा के गंजम जिले में प्रतिमास 500 टन चावल की आवश्यकता है जब कि हमें केवल 200 टन चावल मिलता है । क्या इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम आत्म निर्भर है ?

अन्त में मेरा सुझाव है कि छोटी सिंचाई परियोजनायें आरम्भ करने के साथ-साथ तुरन्त नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था की जाए तथा भूमि सुधार कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : I would like to mention certain points on this motion.

{ **डा० सरदीश राय** पीठासीन हुये
Dr. Sardish Roy *in the Chair* }

When Nature itself is not Conssent and exhibits itself sometimes in drought and at other times in excess of rain, it is too much to expect our Government to be infollible. State of Rajasthan is prove to famine. But Government gave not paid any attention to get the Rajasthan Camal Completed immediatily. I request that Government should take positive steps in this direction.

Sir, I believe in the theory that man can not go against Nature. Man should also not be worried for his meal since God provides food for all creatures in the world.

I am therefore apposed to this motion. The hon. Members should give certain Suggestion to solve the problem.

श्री जी० विश्वनाथन (वाडीवाश): इस वर्ष क अगस्त महीने में श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे ने कहा था कि बिदेशों से खाद्यान्न मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा खाद्यान्न संबंधी स्थिति ठीक है। श्री एफ० ए० अहमद ने भी बताया था कि देश के खाद्यान्न की स्थिति खराब नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने यह वक्तव्य दिया था कि जुलाई 1972 में भारत से गेहूँ का निर्यात किया जायेगा। इतना ही नहीं यह भी कहा गया था कि 1980 तक भारत को अपने फालतू गेहूं का निर्यात करना पड़ेगा अथवा उसे नष्ट करना पड़ेगा।

इन सब वक्तव्यों को सुनकर भारत की जनता अत्यन्त प्रसन्न हुई। किन्तु अब सरकार को देश की वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना पड़ा। वित्त मन्त्री ने कहा कि देश मे खाद्यान्न की स्थिति खराब है तथा हमें विदेशों मे गेहूँ चावल आदि आयात करना पड़ेगा। 1971-72 में खाद्यान्न के अनुमानित उत्पादन से 60 लाख टन खाद्यान्न कम उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त बाजरे और दालों की काश्त की भूमि में क्रमश: 17.1 और 11 प्रतिशत की कमी हुई है। खाद्यान्न की दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी हर वर्ष कम होती जा रही है।

हरित क्रांति के बारे में भी सरकार को पूरी सफलता नहीं मिली है। सभी राज्यों में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। तमिलनाडु को इस सम्बन्ध में पर्याप्त सफलता मिली है। तमिलनाडू में प्रति एकड़ भूमि में 1,794 किलोग्राम खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। अन्य राज्यों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए।

समय पर वर्षा न होने के कारण उत्पादन में कमी हुई, यह सच है। किन्तु इसका एक कारण भूमि की अधिकतम सीमा भी है। मैं यह नही कहता कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित न की जाए। मेरा अनुरोध यह है कि जो भी सीमा निर्धारित की जाए उसमें बाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अलाभकर जोत तथा उर्वरक की कमी के कारण भी उत्पादन में कमी हुई है। देश में ट्रैक्टरों की माँग कम होती जा रही है। सरकार को इसका पता लगाना चाहिए।

बाढ़ से 19 1-72 के अनुमानित: 626 करोड़ रुपये की फसल को नुकसान हुआ। सरकार को इस बारे में तुरन्त उपाय करने चाहिये। फसल कटाई के समय 15 प्रतिशत और अनाज साफ

करने में 10 प्रतिशत तथा भण्डर करने में लगभग पांच प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए वर्षा पर निर्भर न रखा जाये तथा भूमिगत जल से सिंचाई का प्रबन्ध किया जाए।

मंत्री महोदय उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में भी वक्तव्य दें। सरकार को वसूली कार्यक्रम को व्यापक बनाना चाहिये तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

***श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयनगर) : देश में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल में खाद्यान की स्थिति के बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। निस्संदेह देश में खाद्यान्न का भारी संकट उत्पन्न हो गया है तथा हजारों स्त्री पुरूष नित्य गाँवों में कलकत्ता में एकत्र होते जा रहे है। इतना ही नहीं ये लोग बड़ी दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं दो वर्षों से

पश्चिम बंगाल में भयानक बाढ़ आई तथा उसके पश्चात सूखा पड़ा। सितम्बर में थोड़ी वर्षा हुई तथा जैसे ही धान की फसल थोड़ी बढ़ी तभी भारी सूखा पड़ गया तथा सारी फसल मुरझा गयी।

यदि हम स्थिति का पूर्ण रूप से सामना नहीं करेंगे और तत्काल उपाय नहीं करेंगे तो हम न केवल अकाल की स्थिति रोकने में ही असमर्थ रहेंगे अपितु लाखों लोगों को मरने से भी नहीं बचा सकेंगे। किसान भारी संख्या में शहरों में आ रहे हैं। ऐसे भी समाचार आये हैं कि ग्रामीण लोग अपने बच्चों को विष दे रहे हैं और अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे उनका पोषण नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लोगों को भिक्षा भी नहीं मिलती। आज पश्चिम बंगाल में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है।

आज की संकटकालीन स्थिति के लिए सरकार दोषी नहीं है क्योंकि यह स्थिति मनुष्य द्वारा उत्पन्न नही की गई है। यह संकट अधिकांश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण है। इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने रबी की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किये हैं। इस उद्देश्य के लिये राज्यों को भी धन दिया गया है। किन्तु रबी की फसल के लिए पानी नहीं है। दामोदर घाटी निगम के मयूराक्षी जलाशय का जल सिंचाई के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि इस जल की बिजली उत्पादन करने के लिये आवश्यकता है।

अतः भयानक सूखे से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये हम सब को एक होकर साधन जुटाने होंगे यह सच है कि खाद्यान्नों का राशन किया जाना चाहिए जिससे खाद्यान्नों का समान वितरण किया जा सके। किन्तु राशन की दुकानों की माँग पूरी करने के लिये पश्चिम बंगाल को पर्याप्त खाद्यान्नों की सप्लाई नहीं की जाती। पश्चिम बंगाल में केन्द्र चावल की 50 प्रतिशत आवश्यकता भी पूरी नहीं कर रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के साथ न्याय करना चाहिए। यह राज्य अनेक वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से क्षत विक्षत हो गयी है।

पश्चिम बंगाल में पानी की बहुत कमी है। केवल सूखी-खेती ही बंगाल एवं सारे देश की कृषि सम्बन्धी समस्या को हल कर सकती है। अतः केन्द्रीय सरकार को अपनी कृषि परियोजनाओं में सूखी खेती का विकास करना चाहिए।

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summairsed translated version based on engligh translation of the speech delivered in Bengali.

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल के मामले पर पुनर्विचार किया जाये।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, Government can not deny that this sad situation is the remit of the shortrighted policies, the faulty planning of the Government. The Ministers of Agriculture have recently stated that the Government have adequate buffer stock of foodgrains and that there is no necessity to import any foodgrain. But the Finance Minister has now stated that foodgrain, like wheat, rice and pulses may have to be imported. I want to know from the hon. Minister the steps that have been taken to faces the drought condition and the floods, because draughts and flood have become a recuring features and prices of foodgrains are increasing day by day. The Government should check the rising prices.

The situation demands that adequate support prices of foodgrain should be given to the farmers.

Government's assessment of the future needs of the country having been totally wrong about 40 percent more foreign exchange has to be spent on the import of foodgrains.

Situation of foodgrains in all the states of the country is rather critical, which is because of defective public distribution system various state Governments have complained that they are not getting adequate food supplies. Therefore the Government should ensure that adequate supplies of foodgrain should reach in the remote and farthest villages.

Government should be aware of the fact that foodgrains and oils are being smuggled out to Nepal and China through Bangla Desh Government should look into this matter.

Some starvation deaths have been reported in Rajasthan Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar and Gujarat. Government should look into this matter and the hon. Minister should state the facts about these starvation deaths.

So far as the role of food corporation of India is concerned, this body has purchased maize and Bajra at high prices. The food corporation did not sell this foodgrain to the ready cusumers but sold it at a very high premium to the private traders. This public sector body has indulged in such correct practices. On the one hand -Government has declared that the foodgrain trading will be taken over by the Government buton the other hand state Governments are not allowing F.C.I. to function in their states. This is bad policy of the Government. In order to over come this critical situation Government should make all out efforts to help farmers in the matter of advanced agricultural techniques, and researches support prices and small irrigation facilities. Adequate power supply should also be restered to the farmers.

सभापति महोदय : श्री पीलू मोदी।

श्री के० एस० चावड़ा : सभापति महोदय, मेरी बारी है।

सभापति महोदय : आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री के० एस० चावड़ा : आपको पहले मुझे बुलाना चाहिये था। इसलिए आपका प्रतिवाद करते हुए मैं इस प्रस्ताव पर नहीं बोलूंगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : एक और जहां इस संकट के लिए ईश्वर को दोषी ठहराया गया है वहां दूसरी ओर सरकार को यह बहाना बनाने का अवसर दिया गया है कि ऐसी स्थिति जनसंख्या में वृद्धि के कारण हुई है। कभी न कभी सरकार को अपनी असफलता स्वीकार करनी पड़ेगी।

सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता का पोषण करे। हमने सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि वह अपनी नीति में परिवर्तन लाये जिससे जब कभी सूखे की स्थिति

उत्पन्न हो जाये तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके और उसका सामना किया जा सके। किन्तु हमारे देश के राज्य आपस में संगठित नहीं होते।

भारतीय खाद्य निगम का ही उदाहरण लीजिए। यहां अत्यधिक भ्रष्टाचार है। इस निगम का अध्यक्ष, जो इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार है। अभी तक इस पद पर आसीन है। उसके विरुद्ध जांच होने पर भी सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। अध्यक्ष ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जाली कार्मिक सघ बना लिया है। और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि श्रमिकों में असन्तोष है।

योजनाओं को प्राथमिकता आरम्भ से ही गलत आधार पर दी जाती है। इन योजनाओं में देश की आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। योजना प्राथमिकताओं में इतनी अवहेलना की गई है कि छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। सरकार जो भी निर्णय करती है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से करती है और जो भी कार्यवाही की जाती है वह सब राजनीति कारणों से की जाती है। देश के हित का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

इस वर्ष हमें बहुत भयंकर अकाल का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं सरकार मार्च के महीने के पश्चात जनता का पोषण किस प्रकार करेगी?

देश की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार की क्या नीति है।

{**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*}

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : आप बहुत अनुचित बातें कर रहे हैं। आप तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर बता रहे हैं।

सभापति महोदय : जब श्री चव्हाण भाषण दे रहे थे आप इस सदन में थे। यह सब रिकार्ड में है। आप सदन को गुमराह न करें।

श्री पीलू मोदी : मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। श्री चव्हाण ने अपने भाषण में कहा था कि वह 50 प्रतिशत जनता का पोषण कर सकते है। जिसका तात्पर्य है कि शेष 50 प्रतिशत जनता भूख से मर सकती हैं। अतः हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। सरकार को यथार्थता समझनी चाहिए और अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। सरकार को पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना चाहिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : इस सदन में वाद विवाद के दौरान चीनी के बारे मे कुछ उल्लेख किया गया है। हाल ही में लिए गए निर्णय की मैं घोषणा करता हूं कि उत्पादन शुल्क में कुछ कमी करने के कारण। दिसम्बर से चीनी का उद्ग्रहण मूल्य इससे पूर्व निश्चित किए गए मूल्य की तुलना में कम होगा।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष 1972-73 के उत्पादन की उद्ग्रहण चीनी के कारखाना मूल्यों को आत्यवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत 7 नवम्बर, 1971 को अधिसूचित किया गया था। इससे समस्त भारत के लिए उद्ग्रहण चीनी के भारित औसत मूल्य में लगभग 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई थी। 1972-73 के उत्पादन की चीनी के इन कारखाना मूल्यों के

आधार पर समस्त भारत में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की सम्भावित वृद्धि शामिल कर, उपभोक्ताओं के लिए समान परचून मूल्यों को सामान्यता वर्तमान 2 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर कम से कम 2.26 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, उद्ग्रहण चीनी के उपभोक्ता मूल्यों में इस भारी वृद्धि के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों में व्यक्त की गई तीव्र भावनाओं का उचित ध्यान रखते हुए सरकार ने एक सामान परचून मूल्य में की गई वृद्धि को कम करने के लिए यथा सम्भव सतर्कतापूर्ण प्रयास किया। भारतीय खाद्य निगम को अपनी परिचालन लागत कम करने और उद्ग्रहण चीनी पर सम्भावित उत्पादन शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने के लिए कह कर सरकार ने 1 दिसम्बर 1972 या दिसम्बर की ऐसी तारीख से जब कि विभिन्न राज्यों में उद्ग्रहण चीनी को उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा प्रथम बार जारी करने की अवधि से समस्त भारत में उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य की दुकानों से उद्ग्रहण चीनी 2.15 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से एक समान मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया है।

श्री बी० पी० नायक (कनारा) : देश में खाद्य स्थिति को हमें राजनीतिक मामला बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इससे राजनीतिक लाभ उठाना देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे मुख्य तत्व पानी है। इस सम्बन्ध में हमें निश्चित जानकारी है कि सिंचाई के साधनों के बारे में छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब तक हमारे देश में जल विवाद है, कोई सिंचाई परियोजना सम्भव नहीं है। इस लिए अब समय आ गया हैं जबकि हमें देश में सभी अन्तर्राज्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं को हल कर लेना चाहिए। सभी जल विवादों को हल कर लिया जाना चाहिए। और यदि सम्बद्ध राज्य कोई मैत्रीपूर्ण समझौता न कर पाएँ, तो केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है, कि वह यह सुनिश्चित करे और देखें कि दीर्घ कालिक इस सम्पूर्ण खाद्य उत्पादन कार्यक्रम को केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं, अपितु विशुद्ध राजनीतिक आधार पर भी समाप्त न किया जाये।

Shri Bhagirarh Bhanwar (Jhabua) : Sir, this is an admitted fact now that the food situation in the country has because very critical. The hon. Ministers have given cohtradictary statements regarding food situation in the Country. Even now they have no factual report. The real situation in the remote rural areas is that there are no foodgrains available there and where foodstuffs are availab'e the prices are so high that ordinary farmers or labourers can not afford to purchase them. Moreover the foodgrains supplied through Food Corporation of India is no rotten that there is every possibility of the epidemics breaking out. The Government should look into all this.

There have been full elaims about the green revolution. But the food problem in the country is getting critical because of the reason that near about 50 percent financial provisions made for the development of Agriculture go to the pockets of Government officers and the rest of the amount is not spent in time . Therefore Government should provide fertilzers, seeds tracctor and modern agricultural equipments in hilly areas and for the reclamation of waste land, other wise the situation may become more serious.

Madhya Prades is a backward state. Only a week back foodgrains were not available in the rural areas. It is said that relief measures in the name of crash programmes have been started in the state, but the people there are unemployed and their economic condition is going on deteriorating. In order to take this deteriorating sitution in the state Government should take some immediate action.

श्री वीरेन्द्रसिंह राव (महेन्द्रगढ़) : देश के सम्मुख खाद्यान्नों की जो विकट समस्या है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अर्थात आज से 25 वर्ष पूर्व हमारे देश में

लगभग 500 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता था । पिछले 25 वर्षों के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 1000 लाख टन तक हो गया है । यदि सरकार सही नीति अपनाती और उसे ठीक तरीके से लागू करती तो यह उत्पादन और अधिक तीव्र गति से बढ़ता । हम मन्त्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कितने एकड़ अधिक भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है । 20 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि में सिंचाई नहीं होती है । पिछले 25 वर्षों में हमारा किसान वर्ग और हमारी कृषि नष्ट हुई है ।

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से भी कोई लाभ नहीं होगा और यह भी व्यवहारिक नहीं है ।

स्थिति अत्यन्त गम्भीर होती जा रही है । यदि सरकार इस देश की खाद्य स्थिति में सुधार करना चाहती है तो उसे अपने सभी परामर्शदाताओं को निकाल देना चाहिए । और सरकार को ऐसे परामर्शदाता रखने चाहिये जो वास्तव में उन्हें कृषि सम्बन्धी व्यावहारिक सलाह दे सकें ।

हरियाणा राज्य में यह पद्धति अपनाने से वहां कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा और ऐसे कार्यक्रमों, नीतियों और सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों से वहां एक वर्ष में ही कृषि उत्पादन दुगना हो गया है । अतः यदि सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखें, उनके लिए नहरें बनवाए, रात में कारखाने चलाए जाएं और गांवों में दिन में बिजली दी जाए तो सारे देश में कृषि उत्पादन दुगना हो सकता है ।

देश में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और किसी प्रकार का उर्वरक उपलब्ध नहीं होता है । यहां पोटाश या फास्फेट भी नहीं मिलती । यहां केवल यूरिया ही उपलब्ध होता है जिसे हर प्रकार की खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है जो हमारी भूमि को क्षति पहुंचा रहा है ।

अतः पहले से अपनाई गई नीतियों में अब परिवर्तन किया जाना चाहिए । किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । देश के बहुत बड़े भूभाग में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं । किसानों को सस्ती बिजली दी जानी चाहिए । किसानों को किसी प्रकार की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज से पांच वर्ष पूर्व जब चीनी का भाव 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम था तब गन्ने का न्यूनतम मूल्य 7.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसमें अब केवल 50 पैसे प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जब कि चीनी का भाव आज खुले बाजार में 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम है । अतः किसान को कोई लाभ नहीं है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री बसन्त साठे : हम वास्तव में इस देश में बड़े गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं । विशेषकर महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है । यहां तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है । पूना जिले में ऐसा क्षेत्र है जहाँ 27 वर्षों से सूखा पड़ रहा है और वहां स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है । पीने के पानी तक की कमी है । मार्च में स्थिति के और अधिक गंभीर होने की संभावना है ।

हमें एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं करना चाहिये । अतः हम सबको मिलकर इस विकट स्थिति का युद्ध स्तर पर सामना करना चाहिए ।

इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए । जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करना हमारा प्रमुख कार्य है । एक अन्य उपाय है कि गंगा-कावेरी संगम जैसी

घाटी परियोजनाओं के लिए कार्य करना चाहिए । बाढ़ों पर काबू पाना ही होगा । बाढ़ों को नियंत्रण में करना होगा और पानी की कमी के प्रभाव को भी कम करना होगा ।

अतः हमें एक राष्ट्र के रूप में यह सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए । जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है इसे अपने सारे प्रयासों को छोटे किसानों की ओर केन्द्रित करना चाहिए ।

उन्हें बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशी पदार्थों की शीघ्र पूर्ति की जानी चाहिए ।

आज जो भी अनाज हमारे पास है उसे यदि इस संतुलित रूप से वितरित कर पाते हैं तो खाद्याभाव की किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमेंड हाबर) : खाद्यान्नों की स्थिति में पर्याप्त सुधार के कारण और पांच वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय के अनुसार पी. एल.--480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों को रियायती निर्यात जनवरी 197_ से बन्द कर दिया गया था ।

आर्थिक समीक्षा, 1971-72 में कहा गया है कि अनाज के आयात के लिये अग्रिम राशि जुलाई, 1971 के अन्त में 431 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी ।

देश में खाद्य की स्थिति विषम है । मूल्य बढ़ गये है 'गरीबी हटाओ' एक नारा मात्र है ।

सार्वजनिक वितरण जो 1968-69 में 101 लाख टन था, 1969-70 में 95, 1970-71 में 88 और 1971-72 में 77 लाख टन रह गया है ।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 1971-72 में स्टाक 79 लाख टन में था, जबकि सरकार जान बूझकर 95 लाख टन बता रही है ।

समय पर वर्षा होने पर ही सब कुछ निर्भर करता है । हरित क्रांति कोरी कल्पना है । कृषि मूल्य आयोग ने 1971-72 की खरीफ की फसल संबंधी रिपोर्ट में कहा है कि अच्छी फसल अच्छी मौनसून के कारण ही हुई है ।

रबी की फसल की स्थिति निराशा जनक है । उन्होंने दावा किया था कि हरित क्रांति द्वारा खाद्य समस्या हल हो गई है और उन्होंने निर्यात शुरू कर दिया है । हमें पता चला है कि श्री बी० के० नेहरू शिलांग से न्यूयार्क अनाज माँगने के लिये गये हैं ।

सरकार अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की जो बात कर रही थी, उसका क्या बना ? सरकार की इसके लिये निन्दा की जानी चाहिए ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : इस प्रस्ताव से सदन को इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने का अवसर मिला है । कुछ सदस्यों ने अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये हैं । कभी-कभी हमारी पार्टी के लोग भी आलोचना करते हैं । श्री पीलू मोदी के इस कथन पर श्री चव्हाण ने इस सभा में बताया था कि हम केवल आधी जन संख्या के लिए अनाज की पूर्ति कर सकते हैं, मुझे आपत्ति है ।

श्री पंडा ने जो यह कहा कि उड़ीसा में कुछ सप्ताहों तक अनाज का कोई स्टाक नहीं था, गलत है । वहां पर प्रथम अगस्त, 1972 को 1.29 लाख टन चावल था और प्रथम सितम्बर 1972 को 70000 टन चावल था तो भी उस महीने 33000 टन गेहूँ और चावल भेजे गये थे ।

मैं देखता हूं कि भुखमरी से मौतों के बारे में आरोप बड़ी सरलता से लगाये जाते हैं । मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कुछ क्षेत्रों में स्थिति कठिन है । भुखमरी से मरने वाले

व्यक्तियों के नाम मुझे बताइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले सत्र में मैंने मालदा में भूख के कारण मरने वाले 30 व्यक्तियों के नाम बताए थे। सरकार ने उस तथ्य का खण्डन नहीं किया। वह अपनी टिप्पणी वापस लें।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : उस समय दी गई सूची राज्य सरकार को भेजी गई थी। राज्य सरकार ने बताया कि भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

Shri Hukam Chand Kachwai : He has misled the House.

सभापति महोदय : वह व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सभा को गुमराह नहीं किया है।

Shri Ramavatar Shastri : Why not appoint a Parliamentary committee.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister is misleeding the country.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Please ask the minister to withdrawn his challenge.

Mr. Chairman : I would not do that.

Shri Phool Chand Verma : Then we shall not heer him.

Mr. Chairman : The hon. member may please take his seat, otherwise I will have to name him.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I rise on a point of order. I raised a question that people in states have died of starvation. The Minister has denied the charge without making any enquiry. He is misleading the House.

Shri Ramavatar Shastri : If I could not prove deaths due to starvation, I would resign my seat.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पिछले सत्र में श्री पण्डा ने और अब श्री ज्योतिर्मय बसु ने भूख से मरने वालों की सूची दी है। 'न्यूएज' में भी छपा है।

सभापति महोदय : यह बात श्री कछवाय पहले कह चुके हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपसे अथवा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि लोक सभा कि एक समिति नियुक्त करें।

सभापति महोदय : जो किसी समाचार पत्र में छपा है, वह व्यवस्था का मामला नहीं हो सकता।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है . . .

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्यों के कुछ आरोप हैं तो हम उनकी जांच करवाएंगे।

श्री पी० एम० मेहता : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

Mr. Chairman : This is my last warnning. Please allow the Minister to reply.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मंत्री महोदय ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं।

Mr. Chairman : Please hear the Minister. If he has misguided, you can write to the speaker. Please act according to the procedure.

श्री पी० एम० मेहता : उन्होंने सभा को चुनौती दी है।

सभापति महोदय : आप ने भी सरकार को चुनौती दी है। अतएव वह आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्त पुजा) : समय कम है। अतएव उन्हें सभा में वक्तव्य का अवसर दिया जाये।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : कुछ सदस्यों का कहना है कि देश की खाद्य स्थिति बहुत खराब है और सरकार की खाद्य नीति सर्वथा गलत है। मैं "चुनौती" शब्द को वापस लेता हूं। यदि भूख से मरने वाले व्यक्तियों के नाम हमें बताए जायेंगे तो हम उसकी जाँच करवाएगे। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई मौतें नहीं हुई ।

श्री डी० के० पण्डा*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ ने कहा है कि सरकार ने खाद्य स्थिति के बारे में उचित प्रबन्ध नहीं किया। मेरा निवेदन है कि देश में 1966-67 में सूखा पड़ा। 1972 में भी वैसी ही सूखे की स्थिति है। परन्तु वस्तु स्थिति देखने से पता चलता है कि स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। पिछले वर्षों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों का सूचकाँक 152 से बढ़कर 225 हो गया है। एक वर्ष हमने 85 लाख टन अनाज का आयात किया और दूसरे वर्ष 105 लाख टन का आयात किया। अतएव वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय शेष वक्तव्य सभा-पटल पर रख दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम मंत्री महोदय को सुनना चाहेंगे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं कल बोलने की अनुमति चाहूँगा।

सभापति महोदय : ठीक है। इसका निर्णय संसदीय कार्य मंत्री करेंगे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय : मैं सभा से जानना चाहता हूँ कि क्या वे मंत्री महोदय को कल सुनना चाहेंगे, अथवा परसों।

कुछ माननीय सदस्य : कल।

सभापति महोदय : ठीक है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 30 नवम्बर, 1972/अग्रहायण 9, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 30th November, 1972/Agrahayana 9, 1894 (Saka).

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded

Printed at the Sumer Printing Press, New Delhi-1 8